Peer reviewed Journal Impact Factor: 7.265 ISSN-2230-9578

Journal of Research and Development

A Multidisciplinary International Level Referred Journal

December2022 Volume-14 Issue-23

Chief Editor

Dr. R. V. Bhole

'Ravichandram' Survey No-101/1, Plot No-23, Mundada Nagar, Jalgaon (M.S.)

Address

'Ravichandram' Survey No-101/1, Plot, No-23, Mundada Nagar, Jalgaon (M.S.) 425102

Journal of Research and Development

A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal

December -2022 Volume-14 Issue-23

Chief Editor

Dr. R. V. Bhole

'Ravichandram' Survey No-101/1, Plot, No-23,
Mundada Nagar, Jalgaon (M.S.) 425102

EDITORIAL BOARD		
Nguyen Kim Anh ***[Hanoi] Virtnam***	***Prof. Andrew Cherepanow*** *Detroit, Michigan [USA]*	***Prof. S. N. Bharambe*** *Jalgaon[M.S]*
Dr. R. K. Narkhede ***Nanded [M.S]***	***Prof. B. P. Mishra,*** *Aizawal [Mizoram]*	***Prin. L. N. Varma*** *Raipur [C. G.]*
Dr. C. V. Rajeshwari ***Pottikona [AP]***	***Prof. R. J. Varma*** *Bhavnagar [Guj]*	***Dr. D. D. Sharma*** *Shimla [H.P.]*
Dr. AbhinandanNagraj ***Benglore[Karanataka]***	***Dr. VenuTrivedi*** *Indore[M.P.]*	***Dr. ChitraRamanan*** *Navi ,Mumbai[M.S]*
Dr. S. T. Bhukan ***Khiroda[M.S]***	***Prin. A. S. KolheBhalod*** *[M.S]*	***Prof.KaveriDabholkar*** *Bilaspur [C.G]*

Published by-Chief Editor, Dr. R. V. Bhole, (Maharashtra)

The Editors shall not be responsible for originality and thought expressed in the papers. The author shall be solely held responsible for the originality and thoughts expressed in their papers.

© All rights reserved with the Editors

CONTENTS

Sr. No.	Paper Title	Page No.
1	ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में मनरेगा योजना की भूमिका (श्रावस्ती जनपद के विशेष सन्दर्भ में) **वेद प्रकाश द्विवेदी**	1-4
2	राजकीय उदासीनता आणि भारतीय लोकशाहीची वाटचाल **प्रा.डॉ.माधव केरबा वाघमारे**	5-7
3	अंग्रेजी शासन के विरूद्ध प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम से पहले (अलीगढ़ जनपद उत्तरप्रदेश) की ऐतिहासिक स्थिति **डॉ. सुधीर कुमार शर्मा**	8-14
4	आदिवासी समाजाचे सामाजिक व आर्थिक प्रश्न **प्रा.** सुनील लक्ष्मण नेवकर	15-19
5	रामायण में वर्णित पशुधन के प्रति तात्कालिक मानवीय मनोवृति **डॉ. आशा कुमारी**	20-22
6	वर्तमान परिदृश्य में शिक्षित युवाओं की समस्याओं का समाज पर प्रभाव (एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण) **नेहा ' शशि बाला**	23-26
7	गडचिरोली जिल्ह्यातील मस्त्यशेतीचा विकास **डॉ. वनश्री न लाखे**	27-30
8	वैश्विक संकट के दौर में भारत के किशोरो में बढ़ती नशे कि प्रवृत्ति **पर्वत कुमार कृष्णा डॉ. अनिता सामल**	31-34
9	भारतीय लोकशाही आणि संविधानिक नैतिकता **प्रा. डॉ. देविदास ग्यानुजी नरवडे**	35-38
10	वर्तमान राजनीति में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता **डॉ कुमार मंगलम पाण्डेय**	39-41
11	ज्योतिसर की मनोवैज्ञानिक उपादेयता **डॉ. राजेश**	42-44
12	21 वीं सदी के हिन्दी बाल नाटकों का महत्व शालिनी तायवाडे **,** डॉ. ज्योति सिंह	45-47
13	निर्धनता का अनुसूचित जाति की महिलाओं के शिक्षा पर प्रभाव- एक अध्ययन **प्रियंका प्रिया , डॉ० विश्वनाथ झा**	48-50
14	बिहार में पर्यटन क्षेत्र में भविष्य का विकल्प – इस्कॉन (ISKCON) **सुप्रिया सृष्टि, रघुबर प्रसाद सिंह**	51-55

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, December 2022, Volume-14 Issue-23

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में मनरेगा योजना की भूमिका (श्रावस्ती जनपद के विशेष सन्दर्भ में)

वेद प्रकाश द्विवेदी
शोधार्थी समाजशास्त्र विभाग डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध वि०वि०
अयोध्या उत्तर प्रदेश
Email-vedprakashd1991@gmail.com
DOI-10.5281/zenodo.7524198

सारांश

भारत एक कृषि प्रधान देश है यहां की लगभग ७० प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है जहाँ पर अभी भी तमाम समस्याएं व्याप्त है। औद्यौगीकरण, नगरीकरण, रेल, सडक, डाक तार ने जहां एक और भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग-धन्धो के पतन, कृषि यंत्रीकरण के चलते ग्रामीण गरीबी, ऋणग्रस्तता, असमानता, व्यक्तिवादिता की भावना में क्रांतिकारी इजाफा हुआ है। वही लैंगिक भेद-भाव के चलते महिला वर्ग खासकर महिलाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई है। जिसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने निरन्तर प्रयास किया है **सतीप्रथा अवरोध अधिनियम १८२९, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम १८७६, बाल विवाह अवरोध अधिनियम १९२९, दहेज निरोधक अधिनियम १९६१, घरेलू हिंसा अधिनियम २००५** आदि महत्वपूर्ण कार्य सराहनीय है अनेक अधिनियमों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार किया है उसी क्रम में भारत सरकार द्वारा चलाया गया महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजना (जो २ फरवरी २००६ को चलाया गया) ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए खासकर महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ। जिसने महिलाओ को उनके घर के पास ही उत्तम रोजगार उपलब्ध कराकर रोजगार दिया है। जिससे महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हुई है बल्कि पुरूषो के ऊपर से उनकी निर्भरता कम हुई है जिससे वे भी अपने इच्छानुसार खान-पान वस्त्र आभूषण आदि के प्रति स्वतंत्र हुई है। इस योजना ने रोजगार सृजन के साथ-साथ अनेको क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
मुख्य शब्द : ग्रामीण क्षेत्र, गरीबी, लौंगिक विभेद, सशक्तिकरण, स्वावलम्बी।

प्रस्तावना:

भारत एक ग्राम प्रधान देश है यहाँ की लगभग ७० प्रतिशत आबादी गाँवो में निवास करती है। देश का विकास करना है तो गांवों का विकास करना होगा गांवो को अनदेखा कर भारत को विकसित करने के बारे सोंचना भी व्यर्थ है। विकास निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। ग्रामीण विकास का पहलू सामाजिक असमानता को दूर करके ग्रामीण महिला जो कि विकास की पंक्ति में सबसे पीछे खड़ी है, उनको सबके साथ बराबरी पर लाना है और इस हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार ने तमाम विकास कार्यक्रम चलाया है जिससे महिलाओ को सशक्त बनाकर सशक्त भारत का निर्माण किया जा सके। इस उद्देश्य से श्रावस्ती जनपद में मनरेगा योजना ने महिलाओं को किस तरह प्रभावित किया है जानने के लिए उक्त शीर्षक का चयन किया गया है।

समस्या का चयन:-

भारत सरकार ने महिला उत्थान हेतु न जाने कितनी विकास योजनाएं चला रही है फिर भी क्या कारण है कि ग्रामीण महिलाएं आज भी पुरूषो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नही चल पा रही है। हमारा उद्देश्य यह जानना है मनरेगा योजना ने महिलाओ को आर्थिक, सा०रूप से कितना सशक्त किया है और उनकी प्रस्थिति पर क्या असर पड़ा है और क्या-क्या परिवर्तन हो रहा है क्या उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि हो पा रही है कि नही आदि का श्रावस्ती जनपद में पता लगाना हमारा उद्देश्य।

अध्ययन का उद्देश्य:-

ग्रामीण विकास के विविध पहलुओ के अध्ययन के साथ-साथ ग्रामीण महिला, रोजगार सृजन के द्वारा स्वालम्बी, आत्मनिर्भर महिला के रूप में हमारे सामने आ रही है हमें यह देखना है, कि मनरेगा महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन ला रहा है? श्रावस्ती वैसेही शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, उद्योग-धंधा आदि में सबसे पिछड़ा जनपद है। इस जनपद की महिलाओं को पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना एक सपने के अलावा और

कुछ नही है इनकी वास्तविक स्थिति को जानना हमारा प्रमुख उद्देश्य है।

साहित्यावलोकन:-

ग्रामीण विकास विषय पर अनेक प्रकार के अध्ययन हुए है जिनका अध्ययन कार्य को पूर्ण करने हेतु किया गया है। आ**शीष बोस के पॉपुलेशन ऑफ इंडिया (१९९२) डॉ० जस्मिन लारेंस महिला श्रमिक, डॉ० राज कुमार महिला व विकास (२००९) हनुमान सिंह गुर्जर मनरेगा अधिनियम (२००८), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की ई० बुक (२००७) कुरू क्षेत्र योजना पत्रिका, समाचार पत्र पत्रिका** आदि के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि ग्रामीण महिला सशक्तिकरण एक बहु आयामी अवधारणा है जो सभी पक्षो को प्रभावित करती है।

अध्ययन विधि:-

उपरोक्त अध्ययन को पूर्ण करने हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनो स्रोतों का प्रयोग किया गया है प्राथमिक आँकड़ा ग्रामीण महिलाओं पर सर्वे से प्राप्त किए गए है तथा द्वितीयक आँकड़े पत्र-पत्रिकाओं, भारत सरकार व श्रावस्ती जनपद के विविध कार्यालयों व विभागों से प्राप्त किए गए है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम भारत सरकार ने ग्रामीण श्रमिको को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **२ फरवरी २००६ को आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर** जिले से इस योजना की शुरूआत की। २ अक्टूबर २००९ को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपिता **महात्मा गांधी के १४०वें जन्मदिन** के सुअवसर पर इस योजना का नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के स्थान पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम कर दिया तब से नरेगा को मनरेगा के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम ने न केवल ग्रामीण मजदूरो को उनके घर के पास रोजगार प्रदान किया है बल्कि बहुत बड़े श्रमिक प्रवास पर ब्रेक लगाकर अर्थव्यवस्था को भी सुधारा है।

इस योजना को सबसे पहले देश के २०० जिलो में लागू किया गया था वर्ष २००७-०८ में १३० जिला में और बढ़ा दिया गया उसके बाद सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया यह योजना प्रत्येक ग्रामीण को वर्ष में १०० दिन के रोजगार की गारण्टी प्रदान करता है, इस योजना में काम करने वाले श्रमिक का जॉबकार्ड भी बनाया जाता है जिस पर उसके कार्यो की उपस्थिति दर्ज की जाती है मनरेगा जॉबकार्ड धारक श्रमिक को न केवल उसके घर के आस-पास १०० दिन का रोजगार मिलता है। बल्कि उत्तम स्वास्थ्य हेतु स्मार्ट कार्ड बनाकर ५ लाख रूपये का इलाज मुफ्त किया जाता है साथ ही चलने के लिए साइकिल, खाने के लिए अनाज के अलावा आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है जिससे श्रमिकों को उचित जीवन जीने का अवसर मिल सके।

मनरेगा की मुख्य विशेषताएं निम्न है-

एतिहासिक अधिनियम:-

भारतीय इतिहास में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को उसके घर के आस-पास १०० दिन का रोजगार देने वाला पहला अधिनियम है इससे पहले इस तरह का कोई प्रावधान नही था।

बेरोजगारी भत्ता:-

यदि सरकार मनरेगा श्रमिक को १०० दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो उसे उसके एवज में निर्धारित बेरोजगारी भत्ता प्रदान करके के लिए बाध्य है।

महिलाओ को प्राथमिकता:-

योजना में महिलाओ को प्राथमिकता दी गई है कुल श्रमिकों में से एक तिहाई श्रमिक महिलाएं होगी अब तो कई राज्य सरकारो ने महिलाओ को ही मेट बनाने का फरमान भी जारी कर दिया है।

श्रमिको को कार्य स्थल पर सुविधाएँ:-

मनरेगा योजना के तहत कार्य स्थल पर तमाम सुविधाएँ प्रदान की जाती है किसी श्रमिक के घायल या चोटिल हो जाने पर नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ किसी मनरेगा

श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उचित मुआवजे का भी प्रावधान है। यह ग्रामीण महिलाओ के लिए एक प्रभावी सुरक्षा कवच है, जिसके माध्यम से वे स्वयं तथा अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है।

इस अधिनियम के माध्यम से महिला सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रावधानों से निम्नलिखित सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते है-

आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता :-

ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का आधार कृषि होता है कृषि प्रकृति के उपर निर्भर होती है कभी बाढ़ कभी सूखा कभी तूफान के चलते अक्सर फसल बर्बाद हो जाती है जिससे किसानों की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। जिससे उस किसान का जीवन-यापन कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में पुरूष किसी तरह से अपना खर्च तो चला ले जाता है परन्तु महिलाओं की आवश्यकताओं की ओर ध्यान नही देता जिससे उनकी दशा और खराब हो जाती है ऐसी स्थिति में मनरेगा खासकर ग्रामीण महिलाओ के लिए वरदान साबित हुआ है उनको आर्थिक रूप से सशक्त कर उनके जरूरतो को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है।

अधिकारो के प्रति जागरूकता:-

हमारे संविधान ने महिलाओ को अनेक अधिकार दे रखा है लेकिन उसकी जानकारी न होने के नाते महिलाएं अनेक अधिकारों से वंचित रह जाती है कानून की जानकारी न होने के नाते इन्हे घरेलू हिंसा, दहेज, उत्पीड़न, तलाक आदि समस्याओं का सामना करना पड रहा है ऐसी स्थिति में मनरेगा ने इन्हे घर से बाहर निकलने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया कार्यस्थल व सरकारी विभागो व कार्यालयो में इनकी अधिकारियो से मुलाकात होने लगी और अपनी समस्याओं को व्यक्त करने लगी साथ ही पढ़े-लिखे लोगो का साथ मिलने पर ये अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सजग होने लगी जो महिला सशक्तीकरण का सशक्त माध्यम बना।

बचत की आदत:-

मनरेगा के अन्तर्गत कार्य का मजदूरी सीधे हाथ में न मिलकर श्रमिक के बैंक खाता में सीधे स्थानान्तरित होता है ऐसी स्थिति में उस पैसे पर न तो किसी बिचवलिए दलाल और न ही किसी अधिकारी का जुगाड़ लगता है बल्कि श्रमिक को पूरी मजदूरी उसे मिल जाती है जिससे महिलाएं खासकर कुछ पैसा निकालती है बल्कि अधिकांश पैसा अपने खाता में ही जमा रहने देती है। जिससे कुछ दिनो बाद कुछ धन का बचत हो जाता है।

परिवारों की सुदृढता:-

मनरेगा योजना से श्रमिकों को उनके घर के आस-पास ही रोजगार उपलब्ध हो जाता है, जिससे ढेर सारे श्रमिक काम के रोजगार में दूसरे नगरो (दिल्ली, मुम्बई, लुधियाना, पंजाब, राजकोट आदि) में पलायन नही करते महिला व पुरूषों के घर में इकट्ठा रहने पर परिवार मजबूत होता है खासकर महिलाओ की सुरक्षा मिलती है और उनकी तमाम जरूरते पुरूष पूर्ण करते है। जिससे उन्हे भी सम्मान मिलता है।

निष्कर्ष:-

सारत: यही कहा जा सकता है, कि श्रावस्ती में ग्रामीण महिलाओ के सर्वांगीण विकास में मनरेगा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और महिला सशक्तीकरण और स्वावलम्बन का द्वारा खुला है जिससे ग्रामीण क्षेत्र की दबी, कुचली, दलित, निर्धन, कमजोर, महिलाओं को समाज के मुख्य धारा में शामिल होने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। जिससे उनके अन्दर आत्म गौरव आत्म निर्भरता का भाव आया है, जागरूकता बढ़ी है, समस्याएं कम हुई है। अत: सभी अध्ययनकर्ताओं को इस क्षेत्र में कार्य करके नूतन सुझाव अपेक्षित है जिससे महिलाओ को मुख्य धारा में शत-प्रतिशत लाया जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

१. **आशीष बोस: पापुलेशन ऑफ इंडिया १९९१** सेन्शान रिजल्ट्स एण्ड मैथडोलॉजी (देलीह बी०आर० पब्लिकेशन १९९२)

२. **डॉ० जास्मिन लॉरेंसः महिला श्रमिक सामाजिक स्थिति एवं समस्याएं** (अर्जुन पब्लिशिंग हाउस), नईदिल्ली २००९ है।
३. **अमर्त्य सेनः आर्थिक विषमताएं** (राजपाल पब्लिकेशन्स नईदिल्ली २००८)
४. डॉ० राज कुमार : महिला एवं विकास (अर्जुन पब्लिकेशन) हाउस नईदिल्ली) २००९
५. **हनुमान सिंह गुर्जर : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम २००६,** (राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमीजयपुर)
६. **कुरूक्षेत्र** वर्ष ५६, अंक २ दिसम्बर २००७
७. समाचार पत्र पत्रिकाएं
८. **अर्थ व्यवस्था पत्रिका** टवसम.ठ२०१३
९. योजना पत्रिका
१०. श्रावस्ती जनपद के विभाग एंव कार्यालय।
११. श्रावस्ती जनपद की छप्ब

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, December 2022, Volume-14 Issue-23

राजकीय उदासीनता आणि भारतीय लोकशाहीची वाटचाल

प्रा.डॉ.माधव केरबा वाघमारे

सहयोगी प्राध्यापक, (राज्यशास्त्र विभागप्रमुख) कै.न्हानाभाऊ मन्साराम तुकाराम पाटील कला महाविद्यालय,

मारवड ता.अमळनेर जि.जळगाव महाराष्ट्र

Email-drmkwaghmare1980@gmail.com

DOI- 10.5281/zenodo.7524206

सारांश

भारतीय राज्यघटनेने भारतासाठी लोकशाही शासन व्यवस्थेचा स्वीकार केला. आपल्या घटनाकरांनी हा निर्णय अत्यंत विचारपूर्वक भूमिकेतून घेतला. स्वातंत्र्य आंदोलन लढ्यातील महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आझाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि तत्कालीन सर्व नेते यांचा लोकशाही मूल्यावर प्रचंड विश्वास होता. त्यांची जनतेशी बांधिलकी होती. सत्तेचा उपयोग जनतेच्या कल्याणासाठी झाला पाहिजे अशी त्यांची धारणा होती. लोकशाही हीच देशातील सामान्य जनतेला न्याय मिळवून देते अशा उदात्त विचारातून लोकशाहीची निवड केली आणि त्याला अनुसरून स्वातंत्र्यानंतर राज्य घटनेद्वारे संसदीय लोकशाहीचा जन्म झाला. आज भारतीय लोकशाहीचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे होत असताना या लोकशाहीने आतापर्यंत यशस्वीरित्या वाटचाल केली आहे. असे असले तरी तिची वाटचाल इंग्लंड, अमेरिका, फ्रान्स या देशाप्रमाणे योग्य दिशेने सुरू आहे असे म्हणता येणार नाही. यात काही उणिवा राहिल्या त्या निदर्शनासही आल्या. अलीकडील काळात भारतीय राजकारणात हिंसाचार, झुंडशाही, बलप्रयोग, पैसा इत्यादी घटकांचा प्रभाव वाढून तत्त्वनिष्ठा, प्रामाणिकपणा, आदर्शवाद मूल्य बाजूला अडगळीत पडलेली दिसून येतात. यामुळे लोकांचा लोकशाही प्रक्रियेतील सहभाग कमी होऊन उदासीनता वाढताना दिसते. हे लोकशाहीच्या निकोप विकासाच्या दृष्टीने अपायकारक आहे.

शोध निबंधाचे उद्देश -

1) लोकशाहीचे अध्ययन करणे.
2) भारतातील राजकीय प्रक्रिया अभ्यासणे.
3) राजकीय उदासीनतेची कारणे शोधणे.
4) राजकीय उदासीनतेचे परिणाम लक्षात घेणे
5) राजकीय सहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न करणे.

प्रस्तावना - स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतात लोकशाही शासनव्यवस्था स्वीकारली ही भारतीय लोकशाही धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व या तत्त्वावर उभारली आहे. रक्ताचा थेंब न सांडता सामाजिक परिवर्तन घडवून आणणारी लोकशाही शासन पद्धती राज्यघटनेतून उदयास आली स्वातंत्र्यानंतर देशात सार्वभौम सत्ता स्थापन झाली आणि राज्य कारभार सुरू झाला. लोकशाही शिवाय विकास नाही म्हणून या लोकशाहीतूनच सर्व प्रश्न समस्या सुटतील या आशेवर लोकशाहीची स्थापना झाली. सर्वसामान्य लोकांना लोकशाहीने ताकद दिली. कळत नकळत या सामान्य लोकांनी तिला इथपर्यंत आणले आपले प्रश्न सहभागाशिवाय सुटणार नाहीत असा विश्वास त्यांच्यात वाढला, आज पर्यंतची सत्तांतरे बदल विकास लोकांच्या जागृकतेमुळे आणि सहभागामुळेच झाले आहेत. नागरिकांच्या डोळस सहभागावरच लोकशाहीची यशस्विता अवलंबून असते परंतु आज देशात असंसदीय तत्वे वाढून राज्यघटनेचे उच्च ध्येय पायदळी तुडविले जात आहे संसद विधिमंडळात लोकांचे प्रश्न सोडविण्याऐवजी गोंधळाचे ठिकाण बनले आहे म्हणून लोकांचा भ्रमनिरास झाला यामुळे राजकीय उदासीनता वाढत आहे हे लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे हे चित्र बदलून लोकांचा राजकीय सहभाग वाढवून लोकशाहीला बळकटी देण्याचा प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे.

संशोधन पद्धती -

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी दुय्यम साधनसामुग्रीचा वापर केला आहे. यात लोकशाही, भारतीय राज्यघटना, राजकीय सहभाग, राजकीय उदासीनता या विषयांवरील प्रकाशित ग्रंथ पुस्तके, मासिके,

पाक्षिके, वर्तमान पत्रातील लेख, इंटरनेट त्यावरील माहिती इत्यादी साधनांचा वापर केला आहे.

मतदारांची राजकीय उदासीनता आणि भारतीय लोकशाहीची वाटचाल -

महात्मा गांधीजीनी समाजाचा सर्वांगीण विकास साध्य करणे महत्त्वाचे आहे असा विचार मांडला होता. त्याला अनुसरूनच राज्य घटना चालवावी अशी शिकवण दिली. त्यानुसार स्वातंत्र्यानंतर देशाचा लोकशाहीद्वारे राज्यकारभार सुरू झाला. तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी आदर्श मूल्य जोपासून लोकांचे प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. यात लोकांचा सहभागही प्रचंड वाढत होता पण पुढे राजकारणातील आदर्श मूल्यांकडे दुर्लक्ष होऊ लागले. यातून समाजाने जे स्वप्न पाहिले ते स्वप्न अपूर्ण राहिले. लोकशाहीच्या आदर्श मूल्यांची उपेक्षा होत गेली म्हणून लोकांचा विश्वास कमी होऊ लागला. अलीकडील काळात अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाच्या वेळी सहभागाचे झलक पाहायला मिळाली व १४ व्या लोकसभेच्या निवडणुकीदरम्यान लोकशाहीचा सहभाग वाढला असे चित्र निर्माण झाले. पुढे अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षाद्वारे पुन्हा दिल्लीत लोकसहभागाची दुसरी लाट दिसली. पण त्यानंतर मात्र सहभाग अभावानेच जाणवतो अशा प्रकारचा सहभाग वाढवणे महत्त्वाचे असते.

जागतिकीकरणाच्या नंतर विविध क्षेत्रात समाधानकारक झालेली प्रगती पाहता विकासाचा लाभ सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचला नाही. अजूनही भारतात दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगण्याचे प्रमाण वाढले आहे. याबरोबर भूकबळी, कुपोषण, बालकामगार हे प्रश्न जशीच्या तशी उभी आहेत. यासोबत ओस पडलेली खेडी हे एका बाजूला तर उदासीन असलेला उच्चपदस्थ मध्यमवर्ग अशी विचित्र अवस्था दिसून येते. यातून लोकशाहीवरचा विश्वास कमी होण्यास कारणीभूत ठरते यामुळे निक्रियता वाढत आहे. राजकारणाबद्दल टीका करावयाची आणि मतदानाला बाहेर पडायचे नाही, अशी सुशिक्षित वर्गाची मानसिकता आहे. प्राध्यापक, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी अन्य नोकरदार हा राज्यकर्ते, राजकीय पक्ष भ्रष्टाचार, महागाई याविषयी आपले मत पोटतिडकीने मांडतात. मात्र मतदानाचेवेळी जोडून सुट्ट्या घेऊन थंड हवेच्या ठिकाणी मौज मजा करतात या वर्गाच्या मनात सतत राजकारणाविषयी मोठी तिडीक आहे, पण मतदान करताना हे बांधिलकीचे धडे हेतू परस्पर विसरतो तसेच विविध आंदोलनांमध्ये आक्रमकपणे पुढाकार घेणाऱ्या आणि समाज माध्यमातून राजकारणावर भाष्य करणारी तरुण पिढी मात्र मतदानाबाबत उदासीन दिसते केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केलेल्या पाहणीनुसार महाराष्ट्रात 18 या वयोगटातील 66 टक्के तरुण मतदार म्हणून नाव नोंद होत नाही तर ते 18 ते 19 वयोगटातील 50 टक्के तरुण मतदार यादीत नाव समाविष्ट करत नाही हा त्यांचा राजकीय निरुत्साह लोकशाहीच्या वाटचाल समाधानकारक नाही त्यांचा उत्साह मोर्चे आंदोलन या पुरता मर्यादित असतो.

याबरोबरच मतदानाच्या दिवशी विविध मार्गाचा अवलंब करून दहशत निर्माण केली जाते. निवडणुकीला जत्रेचे स्वरूप येतो. पैसा वशिला जात धर्म यांचा सर्रास वापर केला जातो. यामुळे सुजाण मतदार कानाडोळा करतात लोकशाही निवडणूक प्रक्रिया गंभीर बाब आहे. पण सुजाण लोक गांभीर्याने घेत नाहीत. यामुळे अयोग्य प्रतिनिधी निवडणूक जिंकतात. सध्या गुन्हेगारांचे राजकारण देशात सुरू झाले. स्वातंत्र्य कालखंडात राजकीय प्रवाह उच्च नीतिमान ध्येयवादी लोक होते आता बिल्डर, स्मगलर, गुन्हेगार यांचे प्रमाण वाढले जनते दारे निवडून आलेले प्रतिनिधी संविधानावर आणि न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नाही असे सांगतात असा हा देशाचा रक्षकच भक्षक बनला आणि लोकशाहीचा शत्रू झाला सामाजिक आर्थिक स्थितीशी तिळमात्र संबंध नाही, कायद्याचे ज्ञान नाही अशा लोकांचा शिरकाव वाढल्यामुळे त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना व्यवस्थेविषयी आपुलकी वाटत नाही.

समाज माध्यमातुन धार्मिक आणि राजकीय ध्रुवीकरण करून त्याचा फायदा सत्ताधारी उठवताना दिसतो. लोकशाही मूल्यं आणि स्वातंत्र्यासंदर्भात याचा नकारात्मक परिणाम होत आहे. देशातील राजकीय वातावरण यामुळे दूषित होताना दिसते. अल्पसंख्यांकांना आणि विरोधकांना कमकुवत तथा खलनायक समान दाखवून राष्ट्रद्रोही ठरविण्यात येत आहे. महात्मा गांधी म्हणत होते, लोकशाहीचे खरे ध्येय बलवान एवढीच संधी कमकुवत असणाऱ्यांनाही उपलब्ध करून देणे असे आहे याकरिता विकेंद्रीकरण महत्त्वाचे मानत होते परंतु आज राजकारणात घराणेशाही हितसंबंधांचे राजकारण ठराविक मूठभर लोकांच्या हातात सत्ता दिसते यात सर्व सामान्य माणूस कुठेच दिसत नाही.

जनतेचा राजकीय व्यवस्थेवरील वाढलेला अतिविश्वास त्याचे झालेले नैतिक अधःपतन, भ्रष्टाचार, घराणेशाही, चल-अचल संपत्ती, भ्रष्टाचाराचे आरोप, घराणेशाही हे राजकारणाचे आधार बनले आहेत. राज्यकर्ता वर्ग आणि नोकरशाही यांनी केलेला भ्रष्टाचार वाढलेला चंगळवाद जनतेच्या दैनंदिन प्रश्नाकडे होणारे दुर्लक्ष यापुढे तळागाळातील लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडतांना दिसतो. आपण निराधार आहोत, आपली दखल कोणीही घेत नाही अशी भावना वाढली म्हणून राजकीय उदासीनता वाढत आहे.

गावपातळीवरील ग्रामपंचायती पासून लोकसभा निवडणुकीपर्यंत मतदान होऊन लोकप्रतिनिधी निवडणे हा लोकशाहीचा खरा आत्मा आहे पण निवडणुकीचे गणितच बदलले. राजकीय पक्षांत जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाले. कार्यकर्ते यांच्यात कटुता वाढली. साम-दाम-दंड-भेद यांचा वापर करून सत्ता प्राप्ती ध्येय बनले. पुढे आमिषे प्रलोभने सुरू झाली. लोकशाहीचे पावित्र्य टिकविण्यासाठी आदर्श आचारसंहिता सुरू झाली खर्चाला मर्यादा घातली गेली पक्षांतर बंदी कायदा आणला मात्र याला बगल देऊन राजकीय हित जपल्या जाते. सर्वसामान्य माणूस हा मुख्यतः जगण्याच्या गरजांशी जोडलेला असतो अशा व्यक्तीला अर्थकारणाचा, समाजकारणाचा विचार करणे त्याचा खल करणे त्याला परवडत नाही फक्त आपले काम व्हावे अशी त्याची अपेक्षा असते. याबरोबरच भारतातील राजकारण व्यक्ती केंद्रित झाले आहे सामूहिक नेतृत्व समजू शकत नाही या व्यक्तिकेंद्रित राजकारणामुळे एखाद्या व्यक्तींची पक्षांतर केले की लोकांचा भ्रमनिरास होतो. म्हणून तो राजकीय प्रक्रियेपासून अलिप्त राहणे पसंत करतो.

राजकीय उदासीनता दूर करण्यासाठी उपाय -

1) समाजात लोकशाही मूल्ये रुजवणे.
2) राजकारणातील अपप्रवृत्तींना आळा घालने.
3) निवडणूक आचारसंहितेचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे.
4) समाजातील सर्व स्तरातील लोकांचा विकास करणे.
5) लोकांचा राजकीय सहभाग वाढविणे.

समारोप-

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने स्वतःसाठी संसदीय लोकशाहीचा मार्ग स्वीकारला आज जगातील सर्वात मोठी लोकशाही कसा गौरवाने उल्लेख केला जातो दिडशे वर्षांच्या पारतंत्र्यातून प्रदीर्घ लढा दिल्यावर लोकांनी लोकांचे लोकशाहीचे सरकार स्थापन केले. सर्वांच्या मतांचा आदर, सहमतीचे राजकारण करून देशात लोकशाही अधिक बळकट करणे अपेक्षित होते. पण आजजे लोकशाहीच्या नावाखाली चालले आहे ते देशाच्या हिताचे नाही निवडणूक असतांना सबका साथ सबका सबका विकास चा नारा असतो मात्र निवडणुका संपल्या की ते नावापुरती राहते आणि मन की बात सुरू होते. याचा अनुभव लोकांनी घेऊन राजकीय पक्ष नेत्यांनी आदर्श निर्माण करून चांगला देश घडवणे अपेक्षित आहे. आज देशातील विचारवंत जबाबदार सुजाण नागरिकांनी लोकशाही लोकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी पुढे येऊन प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

संदर्भ -

1) भोळे भा. ल. - (2008) *राजकीय विश्लेषण* पिंपालापुरे बुक प्रकाशन, नागपूर
2) कांबळे बाळ (संपा.) (2012) - *भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हाने*, डायमंड प्रकाशन पुणे
3) गायकवाड विनोद (2013) - *भारतीय लोकशाहीतील स्थित्यंतरे*, साईनाथ प्रकाशन नागपूर
4) यादव योगेंद्र (2019)- *आमचा देश आमची लोकशाही आमचे मुद्धे*, दै.लोकसत्ता, औरंगाबाद
5) अणे श्रीहरी (2020) - *संविधान अस्वस्थेतेकडून अत्यव्यवस्थेकडे*, मंथन दै.लोकमत, जळगाव

Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, December 2022, Volume-14 Issue-23

अंग्रेजी शासन के विरूद्ध प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम से पहले (अलीगढ़ जनपद उत्तरप्रदेश) की ऐतिहासिक स्थिति

डॉ. सुधीर कुमार शर्मा
प्राचार्य, इतिहास विभाग महात्मा गोपालाराम महाविद्यालय, अन्ता, बांरा (राज.)
Email- sssharma54186@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.7524216

शोध सारांश-

वर्ष १८५७ के अन्त तक अलीगढ़ जनपद में विद्रोह का स्वरूप अत्यन्त उग्र और व्यापक हो गया था। यद्यपि इस विद्रोह का प्रारम्भ सैनिकों ने किया था, तथापि विद्रोह के प्रारम्भ होने के पश्चात् अलीगढ़ जनपद की जनता और जन नेता भी इसमें सक्रिय रूप से सम्मिलित हो गए थे। उनकी उग्र और हिंसक गतिविधियों ने सरकार के सम्मुख गम्भीर चुनौती तथा अनेकों समस्यायें उत्पन्न कर दी थीं। विद्रोह के उग्र और व्यापक स्वरूप को देखकर अलीगढ़ जनपद के तत्कालीन जिलाधीश मि. वाट्सन को जिला मुख्यालय छोड़कर भागना पड़ा और उसे अपने जीवन की सुरक्षा के लिए आगरा में शरण लेनी पड़ी ।

नवम्बर, १८५७ के पश्चात् अंग्रेजों ने अलीगढ़ जनपद के हाथरस, खेर, मंडराक, इगलास अकराबाद, अतरोली, सिकन्दराराऊ, आदि विभिन्न क्षेत्रों में सैनिक बल के द्वारा विद्रोह के दमन का प्रयास किया। लगभग एक वर्ष तक निरन्तर संघर्ष करने के पश्चात् नवम्बर, १८५८ में सरकार को अलीगढ़ जनपद के विद्रोह का दमन करने में सफलता प्राप्त हो सकी थी ।

इस प्रकार मई, १८५७ से दिसम्बर, १८५८ की अवधि में अलीगढ़ जनपद के लगभग सभी क्षेत्र विद्रोह की आग में जलते रहे। जिन विद्रोही नेताओं ने इस जनपद में विद्रोह का नेतृत्व किया था, उनमें खैर के राव भोपालसिंह, गहीन के जाटनेता अमानी सिंह, अकराबाद के मंगलसिंह व मेहताब सिंह, सिकन्दराराऊ के गौस मोहम्मद खॉ, रामघाट (अतरौली) के रहीम अली, गंगीरी के इस्माइल खॉ के साथ-साथ मौलवी अब्दुल अजीज तथा नसीमुल्ला खॉं के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त अंग्रेज कप्तान मरे की घुड़सवार सेना के नायक किसनसिंह ने अंग्रेजी सत्ता के विरूद्ध विद्रोह करके अलीगढ़ जनपद में विद्रोहियों को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था।

कूट शब्द -
जनपद, पौराणिक, बोधिसत्व, विद्रोह, परगनों।

प्रस्तावना-

अलीगढ़ जनपद के वर्तमान स्वरूप की रचना अंग्रेजों के शासनकाल में की गई थी। इस जनपद के प्रारम्भिक इतिहास के क्रमबद्ध विवरण के लिए, पर्याप्त और प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। पौराणिक दृष्टि से इस जनपद का मुख्य नगर "कोल" एक पुरातन स्थान माना जाता है। एक किंवदन्ती के अनुसार तृतीय युग में कुशराव ने कौशाम्बी के नाम से इस नगर की स्थापना की थी।[१] किन्तु हिन्दू पुराणों में कौशाम्बी के विषय में उल्लिखित विवरण के आधार पर कोल व कौशाम्बी की समता संदिग्ध प्रतीत होती है। रामायण के अनुसार त्रेता युग में सूर्यवंशी राजा कुश के पुत्र कुशाम्ब ने कौशाम्बी नगरी की स्थापना की थी।[२] यह स्थान प्रयाग से तीस मील पश्चिम दिशा में यमुना नदी के बायें किनारे पर स्थित था।[३] इसके खण्डहर उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में कोसमा गाँव के नाम से प्रसिद्ध हैं।[४] भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान कोल से बहुत दूर स्थित है।

समीक्षा-

द्वापर युग में श्रीकृष्ण के भाई बलराम ने इस स्थान पर कोल नामक असुर का वर्ध किया था। उसकी स्मृति में इस स्थान का नाम कोल रखा गया। इस मान्यता की पुष्टि के लिए भी प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में कुषाणकालीन चार वस्तुयें सुरक्षित हैं, जिन्हें कोल, लाखनू तथा सासनी के निकटवर्ती स्थानों की खुदाई में प्राप्त किया गया था। इनमें से सर्वाधिक आकर्षक बोधिसत्व की एक प्रतिमा है जो ६ फुट ४ इंच लम्बी है और उसका सिर तथा दाहिनी भुजा कटी

हुई है। इस मूर्ति पर ३७ शक संवत (११३ ई०) तिथि अंकित है।[७] इस प्रमाण के आंधार पर यह कहा जा सकता है। कि कोल बौद्ध धर्म के अनुयाइयों का प्रमुख केन्द्र था।

अध्ययन का क्षेत्र-

कोल एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्र का क्रमबद्ध ऐतिहासिक विवरण मुसलमानों के आक्रमण के समय से प्राप्त होता है। भारत पर मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व कोल नगर ''दोर'' राजपूतों की राजधानी थी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय ''दोर'' राजपूतों की राजधानी थी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय ''दोर'' राजपूतों का मुखिया ''बरन'' (बुलन्दशहर) का हरदत्त था। बाहरवीं शताब्दी के अन्त तक बरन के राजा ने अपने राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से कोल को एक सैनिक चौकी बना लिया था।[६] सन् ११९४ ई० में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोल पर अधिकार कर लिया था, [७] तथा उसने हिसामुद्दीन गुल्बक को कोल का गवर्नर नियुक्त किया था।[८]

अध्ययन पद्धति-

सन् १८५७ के राजनीतिक घटनाक्रम के सम्बन्ध में विगत अध्यायों में किये गये विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंग्रेज सरकार के विरुद्ध इस विद्रोह का प्रारम्भ फरवरी सन् १८५७ में बैरकपुर सैनिक छावनी के सैनिकों द्वारा किया गया था । विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों की घटना को कहा जा सकता है, जिससे भारतीय सैनिकों को यह सन्देह हो गया था कि अंग्रेज सरकार का उद्देश्य भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना था। किन्तु इस घटना के अतिरिक्त इससे पूर्व अनेकों ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी थीं जिनके फलस्वरूप सरकार के विरुद्ध भारतीय सैनिकों में असन्तोष का सूत्रपात हुआ था ।

इस प्रकार यद्यपि सरकार की जनविरोधी नीतियों से भारतीय जनमानस भी असन्तुष्ट तथा क्षुब्ध था, तथापि १८५७ के विद्रोह को प्रारम्भ करने का श्रेय भारतीय सैनिकों को ही था। बैरकपुर छावनी स्थित १९वीं रेजीमेण्ट के वीर एवं निडर भारतीय सैनिक मंगल पाण्डे ने सरकार की धर्मविरोधी और अनैतिक नीतियों के विरुद्ध विद्रोह करने का आव्हान अपने साथियों से किया । यद्यपि मंगल पाण्डे को फाँसी की सजा देकर तथा उसके कुछ अन्य प्रमुख साथी सैनिकों को अन्य तरीकों से दण्डित करके सरकार ने सैनिकों की आवाज को दबाने का प्रयास किया, किन्तु वह आवाज तो भयंकर ज्वालामुखी का स्वरूप ग्रहण कर चुकी थी, जिसने शीघ्र ही मेरठ, दिल्ली, अलीगढ़ सहित सम्पूर्ण उत्तरी भारत को अपने प्रभाव में ले लिया ।

मई, १८५७ में चर्बी के कारतूसों को प्रयोग करने से इन्कार करने के अपराध में मेरठ छावनी के ८५ सैनिकों का कोर्टमार्शल हुआ और उन्हें बुरी तरह अपमानित करके जेल में बन्द कर दिया गया । उनके हजारों सैनिक साथियों ने जब इस अमानवीय दृश्य को देखा तो उन्हें बड़ा दु:ख हुआ और उन्होंने भी अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह की गति तथा उग्र स्वरूप को देखकर मेरठ के अंग्रेज अधिकारी स्तब्ध रह गये। विद्रोहियों ने जेल में बन्द अपने साथियों को मुक्त कराया, शहर में अंग्रेजों के बंगलों में आग लगा दी और विद्रोह को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से १० मई की रात में ही उन्होंने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया और वे ११ मई को प्रात: काल दिल्ली पहुँच गये ।

दिल्ली के विद्रोही नेताओं को मेरठ के विद्रोही सैनिकों के आने की सूचना पहले ही प्राप्त हो चुकी थी, जबकि अंग्रेज अधिकारियों को इस बात की कोई खबर नहीं थी। मेरठ के विद्रोहियों के दिल्ली पहुँचते ही दिल्ली की सेना के भारतीय सैनिकों ने भी अंग्रेजों के विरूद्ध विद्रोह कर दिया और दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुरशाह के नेतृत्व में अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। १६ मई, १८५७ को दिल्ली के लाल किले पर विद्रोहियों का अधिकार हो गया।

सुल्तान अलाउद्दीन मसूदशाह-बिन-फीरोजशाह के शासनकाल में निज़ाम-उल-मुल्क महज़बुद्दीन कोल का गवर्नर था।[९] उसके अत्याचारों के कारण सन् १२४२ में दिल्ली में उसकी हत्या कर दी गई। तत्पश्चात् कोल के वजीर पद पर निज़ामुद्दीन सदर-उल-मुल्क को नियुक्त किया गया था।[१०]

सन् १२५२ में जलाली एवं कोल में मुस्लिम शासन के विरूद्ध होने वाले विद्रोह का दमन करने का दायित्व सुल्तान नासिरूद्दीन महमूद ने अपनी सेनानायक बलवन को सौंपा था। इस अभियान में बलवन को पूर्व सफलता मिली।[११] अपनी विजय और अपने स्वामी के नाम

को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से बलवन ने कोल में सन् १२७३ ई- में एक विजय स्तम्भ का निर्माता कराया था।[१२] बलवन के राज्यारोहण के उपरान्त इस विजय स्तम्भ (मीनार) के निर्माण और मरम्मत कार्य का दायित्व उसके सुयोग्य पुत्र मोहम्मद ने भलीभाँति पूरा किया था।[१३] बलवन ने कोल की जागीर को मोहम्मद के पश्चात् मोहम्मद शेरंदाज को दे दिया जिसने विद्रोही तुगरिल खाँ के विरूद्ध बंगाल अभियान में सफलता प्राप्त की थी।[१४] सन् १२७९ में कोल को बयाना और ग्वालियर के साथ मिलाकर ,क राज्य बना दिया गया, जिसका वजीर मलिक मोहम्मद शेर खाँ को नियुक्त किया गया।[१५]

जलालुद्दीन फीरोजशाह के शासनकाल में सन् १२९० में मलिक कीकी कोल का गवर्नर था।[१६] अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में सन् १३०० ई- में तरगी के नेतृत्व में जब मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, तब कोल तथा बरन (बुलन्दशहर) में उन्हें पराजित किया गया था। फलस्वरूप वे दिल्ली की ओर बढ़ने में सफल नही हो सके थे।[१७]

मोहम्मद-बिन-तुगलक के शासनकाल में कोल तथा निकटवर्ती क्षेत्र की स्थिति का ज्ञान इब्नबतूता के विवरण में मिलता है। सन् १३४२ में चीन को जाते समय इब्नबतूता कोल से गुजरा था और उसने इस नगर की बहुत प्रशंसा की थी।[१८]

कोल के निकट हिन्दुओं ने इब्नबतूता पर प्राणधातक आक्रमण किया था। वह किसी प्रकार अपनी प्राणरक्षा कर सका और गाँव-गाँव भिक्षा माँगकर उसने अपनी भूख को शान्त किया था। कोल से कुछ दूर स्थित तेजपुरा नामक गाँव में सन्त दिलशाद ने उसकी प्राणरक्षा की थी।[१९] उसके विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि मोहम्मद-बिन-तुगलक के शासनकाल में गंगा व यमुना के मध्य स्थित दोआब की जनता को अकालों की पुनरावृत्ति व शासक की कठोर नीति के कारण भयानक विपत्तियों का सामना करना पड़ा था।[२०]

मोहम्मद-बिन-तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोजशाह ने सन् १३७६ ई- में हिसाम-उल-मुल्क तथा हिसामुद्दीन को संयुक्त रूप से कोल तथा अवध का शासक नियुक्त किया गया था।[२१] फिरोजशाह की मृत्यु के पश्चात् इस क्षेत्र की स्थिति अत्यन्त निराशाजनक हो गई। सन् १३९८ में तैमूर के आक्रमण से कोल तथा अन्य निकटवर्ती स्थान प्रभावित हुए थे। तैमूर की सेना ने कोल के उत्तरी भाग में जन-धन का अत्यधिक विनाश किया था।[२२]

तैमूर के आक्रमण के पश्चात् इकबाल खाँ दोआब का वास्तविक शाक बन गया तथा अपनी मृत्यु तक उसने कोल को अपने अधिकार में रखा। सन् १४०७ में उसकी मृत्यु हो जाने के बाद इकबाल खाँ के परिवार के ,क सदस्य दौलत खाँ का कोल पर अधिकार हो गया।[२३] उस समय सम्पूर्ण देश की राजनीतिक स्थिति अनिश्चित थी। इस अनिश्चितता की स्थिति का अन्त उस समय हुआ जब सन् १४१४ में सैयद वंश का प्रथम सुल्तान खिज्र खाँ सत्तारूढ़ हुआ। देश में प्रत्येक स्थान पर राजपूतों में विद्रोह तथा असन्तोश की भावना व्याप्त थी, तथा राजधानी में व्याप्त अराजकता से लाभ उठाकर वे अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहे थे। सन् १४१८ ई० में कोल के विद्रोह का दमन करने के लि, स्वयं खिज्रखाँ वहाँ गया था।[२४] सन् १४२० ई० में कोल के वजीर ताज-उल-मुल्क को भी इसी प्रकार का कदम उठाना पड़ा था। खिज्रखाँ के पुत्र एवं उत्तराधिकारी मुबारकशाह को भी सन् १४२६ ई० में कोल एवं अतरोली पर अधिकारी करने के लिए जौनपुर के शासक इब्राहीम शाह के विरूद्ध संघर्ष करना पड़ा, जिसमें उसे सफलता प्राप्त हुई थी।

मुबारकशाह की मृत्यु के पश्चात् बहलोल लोदी ने सन् १४४५ में कोल व जलाली का प्रशासन ईसाखाँ को सौंप दिया।[२५] उन दिनों जलेसर से जलाली तक सम्पूर्ण क्षेत्र पर जौनपुर के शासक मोहम्मद शाह का अधिकार था।४ इस प्रकार सम्पूर्ण क्षेत्र पर जौनपुर के शासक मोहम्मद शाह का अधिकार था। इस प्रकार ईसाखों ने बहलोल लोदी के राज्य की सीमा पर एक सन्तरी के दायित्व का निर्वाह किया था। बहलोल लोदी के क्षेत्र को जीतने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील बना रहा।

अध्ययन क्षैत्र रिर्पोटिंग व विश्लेषण-

दौलतराव सिंधिया से जीते गये सम्पूर्ण क्षेत्र को राजस्व प्रशासन की सुविधा के लिए तीन भागों में विभाजित करने का कार्य इटावा के जिलाधीश आर०कनिंधम, मुरादाबाद के जिलाधिश लेसेस्टर तथा फर्रूखाबाद में कार्यरत गवर्नर

जनरल के प्रतिनिधि सी. रसैल को सौंपा गया था।[२६] ३ अक्टूबर सन् १८०३ को जारी किये गये इस आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विभाजन की यह प्रकिया कमाण्डर-इन-चीफ के अनुमोद के पश्चात् ही पूर्ण समझी जायेगी।[२७]
कमान्डर-इन-चीफ लॉर्ड लेक को इस सम्पूर्ण क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण और संचालन का कार्यभार सौंपा गया था।[२८]

२८ अक्टूबर, १८०३ को उपर्युक्त तीनों अधिकारियों की वार्ता कोल (अलीगढ़) में प्रारम्भ हुई। उन्होने लॉर्ड लेक को इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र को निम्नलिखित चार भागों में विभा-जित करने का प्रस्ताव किया था।[२९]

प्रथम भाग-

सहारपुर, मुजफ्फर, मेरठ और हापुड़ के निकटवर्ती ५३ परगना।

द्वितीय भाग-

खुर्जा, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर, शिकारपुर, दादरी, दनकोर, गाजीउद्दीन नगर (गाजिराबाद), गढ़ मुक्तेश्वर एवं निकटवर्ती कुल ३० परगना।

तृतीय भाग-

कोल, अतरौली, डिवाई, छर्रा, भमौरी, पिंडरावल, खैर, नौहझील, चण्डोस, बरोली, पीतमपुर, मुर्थल तथा निकटवर्ती कुल बारह परगना।

चतुर्थ भाग-

फिरोजबाद, सादाबाद, सहपऊ, खन्दौली, राया, जेवर, मुरसान, मांट, महावन, हसनगढ़, गोरई, हसाइन, हाथरस, जलेसर, सोनर्ह -कुल पन्द्राह परगना।

सन् १८०४ ई० में उपर्युक्त विभाजन के द्वितीय, तृतीय, तथा चतुर्थ भागों को मिलाकर अलीगढ़ जनपद की संरचना की गई थी।[३०] इसके अतिरिक्त अनूपशहर तथा सिकन्दराराऊ की परगनों को क्रमशः मुरादाबाद एवं इटावा जनपदों की सीमाओं से हटकर उन्हें भी अलीगढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था।[३१] १ अगस्त १८०४ ई० को सी. रसैल को नवगठित अलीगढ़ जनपद का प्रथम जिलाधीश नियुक्त किया गया था।[३२]

परवर्ती पतिवर्तन-

सन् १८०४ में गठित किया गया अलीगढ़ जनपद प्रशासनिक दृष्टि से एक सुदृढ़ इकाई सिद्ध नहीं हो सका। इसका क्षेत्रफल अनावश्यक रूप से विस्तुत था, जिसके कारण अंग्रेज अधिकारियों को प्रशासनिक असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त जिलाधीश पर भी कार्य का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इस असुविधा और कठिनाई को ध्यान में रखते हुए। बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स[33] ने सन् १८१५ में अलीगढ़ जनपद को तीन प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित करने के आदेश निर्गत किये थे। यद्यपि उक्त तीनों इकाईयों को अलीगढ़ जनपद के तत्कालीन जिलाधीश सी. फर्ग्युसन के नियंत्रण में रखा गया था, तथापि उसकी सहायता के लिए बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स के दो सहायक सचिवों- मि. कालवर्ट तथा एस.एम. बुल्डरसन को भी अलीगढ़ भेजा गया था।[३४] जिलाधीश सी. फर्ग्यूसन ने इन अधिकारियों को निम्न परगनों की प्रशासनिक देखरेख का दायित्व सौंपा था।[३५]

मि० कालवर्ट-

अनूप शहर, अकराबाद, गंगीरी, जलाली, जहांगीराबाद, पचलाना तथा सिकन्दराराऊ।

एस. एम. बुल्डरसन-

सदाबाद, खंदोली महावन, मांट, फिरोजाबाद, जलेसर, राया, सोनई, सहपऊ तथा लौहझील।

शेष परगनों को जिलाधीश ने अपने नियंत्रण व अधिकार में रखा। यह व्यवस्था भू-राजस्व के संग्रह तथा बन्दोबस्त कार्य को शीघ्र सम्पादित करने के उद्देश्य से की गई थी।

सन् १८१६ में किये गये पदिवर्तन के फलस्वरूप अलीगढ़ जनपद का सीमा विस्तार तथा क्षेत्रफल प्रभावित हुआ था। उस वर्ष लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार फिरोजाबाद, खंदौली तथा सहपऊ के परगनों को आगरा जनपद में हस्तांतरित कर दिया गया तथा कासगंज तहसील विलराम, विलराम, सोंरों, फेजपुर तथा मारहरा परगना का आधा भाग को इटावा जनपद से हटाकर अलीगढ़ जनपद में सम्मिलित कर दिया गया।[३६] दो वर्ष पश्चात् सन् १८२० में अलहढ़ जनपद के उत्तरी क्षेत्र के सात परगनों को मेरठ जनपद में मिला दिया गया।[३७]
सन् १८२४ में कुछ नवीन जनपदों का गठन किया गया जिसका प्रभाव अलीगढ़ जनपद की सीमा तथा क्षेत्रफल पर पड़ा था। सम्पुर्ण कासगंज तहसील जिसे सन् १८१६ में इटावा जनपद से

हटाकर अलीगढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था। को नवगठित बदायूँ जनपद में मिला दिया गया।[३८] इसी प्रकार डिबाई, शिकारपुर, अनूपशहर, खुर्जा, जहांगीराबाद, अहमदगढ़ परगनों तथा पीतमपुर परगना के आधे भाग को बुलन्दशहद जनपद में सम्मिलित कर दिया गया।[३९] सादाबाद, सिकन्दराऊ, महावन, मांट, सोनई, राया, जलेसर तथा नौहझील के परगनों को नवगठित मथुरा जनपद में मिला दिया गया।[४०]

इस प्रकार सन् १८२४ में किये गये परिवर्तनों के फलस्वरूप अलीगढ़ जनपद के सीमा विस्तार तथा क्षेत्रफल में पर्याप्त कमी आ गई थी। आगामी कुछ वर्षों में किये परिवर्तन प्रशासनिक दृष्टि से विशेष महत्वपुर्ण नहीं थे। सन् १८२८-२९ में अलीगढ़ जनपद के दो परगनों - चंडौस तथा सोमना को बुलन्दशहर जनपद में मिला दिया गया, किन्तु दो वर्ष बाद इन परगनों को पुनः अलीगढ़ जनपद में ही सम्मिलित कर दिया गया।[४१] सन् १८३२-३३ में सिकन्दराराऊ परगना को मथुरा जिले से हटाकर अलीगढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था।[४२] इसी प्रकार सन् १८७४ में बरौली परगना के सत्रह गॉवो और बतरौली परगना के एक गॉव को अलीगढ़ जनपद से हटाकर बुलन्दशहर जनपद में मिला दिया गया।[४३] १८७७ के विद्रोह से पूर्व अलहगढ़ जनपद की भौगोलिक सिथिति में अन्य कोई परिवर्तन नहीं किया गया था।

भौगोलिक स्थिति एवं सीमा-विस्तार -

भौगोलिक दृष्टि से अलीगढ़ जनपद २७°-२९° तथा २८°-११° उत्तरी तथा ७७°-२९°, व ७८°-३८° पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।[४४] इस जनपद की आकृति विषयम षटभुजाकार है। अलीगढ़ जनपद आगरा मण्डल के सभी जनपदों आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद तथा महामायानगर में एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता है। आगरा मण्डल के प्रशासन का दायित्व मण्डलायुक्त पर होता है, जिसका मुख्यालय आगरा में स्थित है। सामान्य प्रशासन एवं राजस्व व्यवस्था के कुशल सम्पादन हेतु अलीगढ़ जनपद को छः तहसीलों कोल, हाथरस, इगलास, अतरौली, खैर, सिकन्दराऊ में विभाजित किया गया था।[४५] किन्तु महामयानगर जनपद की संरचना के पश्चात् अब अलीगढ़ जनपद में पॉच तीसीलो ही कार्यरत है। १८७७ के विद्रोह से पूर्व सभी छः तहसीलों को निम्नलिखित परगनों में विभाजित किया गया था।

तहसील	परगना
१. कोल	कोल, बरौली, मुर्थल
२. हाथरस	हाथरस, मुरसान
३. इगलास	गोरई, हसनगढ़
४. अतरौली	उतरौली, गंगीरी
५. खैर	खैर, टप्पल, चंडौस
६. सिकन्दराऊ	सिकन्दराराऊ, अकराबाद।

आगरा मण्डल के सर्वाधिक उत्तरी क्षेत्र को समाविष्ट करने वाला अलीगढ़ जनपद गंगा और यमुना नदियों के ऊपरी दोआब में स्थित है। इस जनपद की उत्तर-पूर्व दिशा में बहने वाली गंगा नदी ने कुछ मील दूर तक अलीगढ़ जनपद को बदायूँ जनपद से पृथक कर दिया है, जबकि उत्तर पश्चिम दिशा में यमुना नदी ने अलीगढ़ जनपद तथा हरियाणा प्रान्त के गुड़गॉव जनपद के मध्य विभाजन रेखा खींच दी है। अलीगढ़ जनपद की उत्तर दिशा में बुलन्दशहर जनपद की अनूपशहर और खुर्जा तहसीलें स्थित हैं, जबकि पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिशा में मथुरा जनपद की मांट, महावन और सादाबाद तहसीलें हैं। इसी प्रकार अलीगढ़ जनपद के पूरब और दक्षिण-पूरब में एटा जनपद की जलेसर, एटा तथा कासगंज तहसीलें हैं ।

उपर्युक्त व्याख्या के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अलीगढ़ जनपद ऐतिहासिक एवं भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जनपद है। प्राचीन काल से अंग्रेजों के शासनकाल तक यह जनपद विभिन्न राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु रहा था।

निष्कर्ष -

अलीगढ़ जनपद में १८७७ के विद्रोह से सम्बन्धित सम्पूर्ण घटनाक्रम का अध्ययन करने के पश्चात् निष्कर्ष के रूप में निम्नलिखित बिन्दुओं को रेखांकित किया जा सकता है -

(१) अन्य स्थानों की भाँति अलीगढ़ जनपद में भी १८७७ के विद्रोह का प्रारम्भ सैनिकों द्वारा ही किया गया था। बैरकपुर छावनी के सैनिकों ने इस विद्रोह को प्रारम्भ किया, मेरठ छावनी के सैनिकों ने उसकी गति को तीव्र किया और उसके पश्चात् विद्रोह की ज्वाला ने शीघ्र ही सम्पूर्ण उत्तरी और मध्य भारत को अपनी चपेट में ले

लिया। उस समय अलीगढ़ में नौ नम्बर देशी पलटन के सैनिकों की चार कम्पनियों तैनात थीं। अलीगढ़ के तत्कालीन जिलाधीश मि० वाट्सन ने इन सैनिकों को अन्य जनपदों में फैले हुए विद्रोह के प्रभाव से दूर रखने का पूरा प्रयास किया, किन्तु उन्हें अपने प्रयासों में तनिक भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी।

सन्दर्भ सूची

1. जे.आर.हविंसन, ''अलीगढ़'' स्टेटिस्टिक्स'', रूड़की, १८७६, पृ.सं. १
2. श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण (प्रथम भाग), गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय ३२,
3. पृ.सं. ३-६
4. शान्तिकुमार नानूराम व्यास, रामायणकालीन संस्कृति, नई दिल्ली, १९७१, पृ. स. ३३२
5. विद्याभूषण भारद्वाज, चतुरसेन के उपन्यासों में इतिहास का चित्रण, मेरठ,
6. १९७२, पृ.सं. ६७
7. एच०आर०नेविल, ''डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स ऑफ द यूनाइटेड प्रॉविन्सेज ऑफ आगरा ,एण्ड अवध'', खण्ड छः (अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट) इलाहाबाद, १९०९, पृ.सं. १६१
8. एस०एम० सिद्दीकी, ''अलीगढ़ डिस्ट्रिक्टः , हिस्टोरीकल सर्वे'', नई दिल्ली,
9. १९८१, पृ.सं. ३०
10. मोहम्मद हबीब एण्ड के०ए०निजामी (सम्पादक), कॉम्प्रीहैन्सिव हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्द ५, 'द दिल्ली सल्तनत', नई दिल्ली, १९७०, पृ.सं. १६७
11. इलियट एण्ड डाउसन, 'द हिस्ट्री ऑफ इण्डिया ,ज टोल्ड वार्ड इट्स ओन
12. हिस्टोरियन्स', जिल्द २, इलाहाबाद, १९६४, पृ.सं. २२२ पर उद्धृत, हसन
13. निजामी कृत ''ताज-उल-मासिर'' में ऐबक की कोल विजय का वर्णन इस
14. प्रकार है।

"He took 'kol' which is one of the most celebrated fortresses of hind. Thoses of the garrison who were wise were converted to islam, but those who stood by their ancient and chiefs of the state entered the fort, and carried off much treasure and countless plunder] including one thousand horse"

९. एस०एम०सिद्दीकी, पूर्व उद्धृत, पृ.सं. ४८
१०. मोहम्मद हबीब एण्ड के०ए०निजामी, पूर्व उद्धृत, पृ.सं. २५०-२५१
११. इलियट एण्ड डाउसन, पूर्व उद्धृत, जिल्द २, पृ.सं. ३४३
१२. ई.टी.,टकिंसन, -''स्टेटिस्टीकल, एण्ड हिस्टोरीकल एकाउन्ट ऑफ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट'' इलाहाबाद, १८७५ , पृ.सं. ४८५

"This building was built suring the reign of the great sultan, the owner of the neck of natioins, nasir-id-din wa-id-din] the king of the kings] the protector of people of the faith, the heir of the kingdom of sulaiman may god perpetuare his kingdom and his rule ! by order of the learned great malik Azam kutlugh khan. Baha –il-hal wa-id –din the malik of the malike of the east and of china, balban; the shamsi. Diring the days of his governorship rajab as 652 17th august 1253 ad

१३. ई० टॉमस - ''क्रातिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ देहली'', लन्दन, १८७१, पृ.सं. १२९
१४. एस.एम.सिद्दीकी- पूर्व उद्भूत पृ.सं. ५४
१५. तारीख-ए-फिरोजशाही इलियट एण्ड डाउसन- पूर्व उद्भूत जिल्द तीन, पृ.सं. ११७
१६. ई.टी. एटकिंसन - पूर्व उद्धृत पृ.सं. ४८६
१७. इलियट एण्ड डाउसन, पूर्व उद्धृत, जिल्द तीन, पृ.सं. ५३८
१८. मो-हबीब एण्ड के०ए०निजामी, पूर्व उद्धृत, पृ. सं. ३६९
१९. मेंहदी हुसैन (अनुवादक), ''द रेहला ऑफ इब्नबतूता'', बड़ौदा, १९५३, पृ.सं. १५२-१५३

'Then we set out from bayana, and reached the city of koil. It is a handsome city possessing gardens. Most of the trees are mange trees.

२०. मेंहदी हुसेन (अनुवादे) - द रेहला ऑफ इब्नबतुता, बड़ौदा, १९५३ पृ.सं. १५२-१५३
२१. मेंहदी हुसैन, पूर्व उद्धृत (प्रस्तावना), पृ.सं. ५६

२२. मो.हबीब एण्ड के०ए०निजामी, पूर्व उद्धृत, पृ. सं. ७३७
२३. एच.आर.नेविल, पूर्व उद्धृत, पृ.सं. १६६
२४. ई.टी.एटकिंसन, पूर्व उद्धृत, पृ.सं. ४८७
२७. एच.आरनेविल, पूर्व उद्धृत, पृ.सं. १६६
२६. रेग्यूलेशन ९, १८०७, सेक्शन १, बंगाल रेग्यूलेंशन्स, जिल्द-१, पूर्व उद्धृत, पृ.सं. ७७०
२७. यूनाइटेड प्रॉविन्सेज ,डमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट {१९११-१९१२}, इलाहाबाद, १९१२ पृ.सं. ११
२८. इटावा, मुरादाबाद और फर्रूखाबाद उन सात जिलों में से तीन जिले थे, जिनके अन्तर्गत अवध के नवाब वजीर द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी को समर्पित किए गए भू-भाग को विभाजित किया गया था। अन्य चार जनपद थे- इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर और बरेली।
२९. देखिए, एच.आर.नेविल, पूर्व उद्धृत, पृ.सं. १२२
३०. जे.आर. हचिंसन, पुर्व उद्धृत, पृ.सं. १३
३१. लॉर्ड लेक के लिए लॉर्ड वेलेजली का पत्र, दिनांक ३० सितम्बर, १८०३ ई', ''डिसपेचेज मिन्स एण्ड कॉरिस्पोन्डेन्स ऑफ वेलेजली'', जिल्द तीन, लन्दन, १८३६, पृ.सं. ३६९,
३२. ग्राण्ट डफ - ''हिस्ट्री ऑफ मराठज'', जिल्द तीन, लन्दन, १८२६, पृ.सं. २४७
३३. ई.टी.,टकिंसन - पूर्व उद्धृत, पृ.सं. ३४८
३४. रेग्यूलेशन ९, १८०४, सेक्शन-३, बंगाल रेग्यूलेशन्स, जिल्द ,क, लन्दन, १८७४, पृ.सं. ७५
३५. च.आर.नेविल - पूर्व उद्धृत, पृष्ठ १४,
३६. डब्लयू.एच. स्मिथ - पूर्व उद्धृत, पृ.सं. ७३
३७. समर्पित किये गये तथा जीते गए क्षेत्रों में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की उत्तराधिकारी संस्था, जिसका गटन रेग्यूलेशन , १८०७, अनुसार किया गया था।
३८. देखिए - रेग्यूलेशन, १८०७, ''बंगाल रेग्यूलेशन्स'' जिल्द दो, पूर्व उद्धृत, पृ.सं. ६२-६३
३९. डब्ल्यू.,च.स्मिथ - पूर्व उद्धृत, पृ.सं. ६०
४०. ''प्रोसीडिंग्स कमिष्नर्स, नं० १६, दिनांक ३१दिसम्बर, १८१६
४१. सिकन्दराबाद, तिलबेगमपुर, दनकौर, कसना, बरन, मालागढ़ तथा मलिकपुर के परगनों को मेरठ जनपद में सम्मिलित किया गया था-''प्रोसीडिंग्स कमिश्नर्स, १९, दिनांक ४ अगस्त, १८१८ - ''प्रोसीडिंग्स कमिश्नस'', नं० ८, दि० १७ मार्च, १८१५, नं. १७, दिनांक ५ नवम्बर, १८१६, तथा नं० १७, दिनांक ८ मार्च, १८१६
४२. डब्लयू.,च.स्मिथ - पूर्व उद्धृत, पृ.सं. ५६
४३. जे.म.सिद्दीकी - पूर्व उदधृत, पृ.सं. १७१
४४. प्रोसीडिंग्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वेस्टर्न प्रॉविन्सेज, बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स की
उत्तधिकारी संस्था, नं० १२, दि. २७ अप्रैल, १८२४
४५. जे.आर.हचिंसन - पूर्व उद्धृत, पृ.सं. २१

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, December 2022, Volume-14 Issue-22

आदिवासी समाजाचे सामाजिक व आर्थिक प्रश्न

प्रा. सुनील लक्ष्मण नेवकर
सहा.प्राध्यापक समन्वयक, राज्यषास्त्र विभाग बी.डी.काळे महाविद्यालय,
घोडेगाव, ता. आंबेगाव, जि. पुणे
Email-sunilnevkar@gmail.com
DOI- 10.5281/zenodo.7524220

गोषवारा -
देषातील तळागाळातील आदिवासी समाजाचा मागासलेपणा कमी होऊ षकला नाही. निश्कृश्ट राहणीमान, खालावलेली आर्थिक परिस्थिती, दारिद्रय, वेदना, व्यथा, छळ, अन्याय, अत्याचार, षोशण, भूक, अमानुशता, उपेक्षीत आणि वंचित जिणे, सामाजिक प्रतिश्ठेचा अभाव इत्यादींना बळी पडलेला आदिवासी समाज आहे. हे कोणीही अमान्य करू षकत नाही. अनेक कारणांचा तो संयुक्त प्रभावच म्हणावा लागेल. आदिवासींसाठी अनेक विकास योजना येतात आणि त्या कुठे जातात ? त्यांच्या पदरात किती पडत असतील? त्याचे सखोल अध्ययन करण्याची आवष्यकता आहे.

प्रस्तावना -

भारत देषात अनेकविध वंष, जाती, धर्म आणि संस्कृतीची वस्ती आहे. विविध भाशिक आणि बोली भाशिक भारतात एकसंघ राहतात. विविधता हेच तर भारतीयांचे एक खास वैषिश्ट्य आहे. देषभरात सहा हजार पेक्षा अधिक जातीजमातीचा समावेष आहे. भारताच्या एकूण जनसंख्येत २०११ च्या जणगणनेनुसार एक चर्तुतौंष आदिवासी बांधवांचा समावेष आहे. १९५० मध्ये २१० तर २००१ मध्ये ५५० आदिवासी जाती-जमातींचा समावेष आढळतो. मानव समाजातील आर्थिक क्रियांचा ऐतिहासिक दृश्टीकोनातून विचार केल्यास त्यात सातत्याने परिवर्तन घडून आलेले दिसते. आद्यपाशाण युग, नवपाशाण युग, विविध धातू युग इत्यादी आदिवासी समाजाची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने पाशाण युगाप्रमाणे म्हणजे खाद्यसंकलन, षिकार, मासमारी आणि पुढे पशुपालन, षेतीलागवड व छोटे-छोटे उद्योग अषी आहे. ग्रोस या अभ्यासकाने मानवी समाजाच्या आर्थिक विकास क्रियांच्या पाच प्रमुख अवस्थांचा उल्लेख केला आहे.

आदिवासी

अर्थ आणि व्याख्या -
नागरी संस्कृती पासून दूर व अलिप्त राहिलेले मुळचे भारतातील रहिवासी म्हणजे आदिवासी.
डॉर्विनच्या उत्क्रांतीवादी सिध्दांतानुसार षारिरीक दृश्टया मानव जातीपर्यंत विकसित झालेले, उत्क्रांत पावलेले परंतु मनाने, बुध्दिमत्तेने इतर माणसाच्या तुलनेत अविकसीत राहिलेले लोक म्हणजे आदिवासी असे म्हणता येईल. इ.स. १९६२ च्या षिलॉंग येथील आदिवासी समितीच्या परिशदेने केलेली समर्पक व्याख्या एका समान भाशाबोलीचा वापर करणाऱ्या एकाच पूर्वजापासून उत्पत्ती सांगणारा, एका विषिश्ट भूप्रदेषात वास्तव्य करणाऱ्या तंत्रषास्त्रीय ज्ञानाच्या दृश्टीकोनातून मागासलेला, अक्षर ओळखही नसलेल्या आणि रक्तसंबंधावर आधारित, सामाजिक तसेच राजकीय रितीरिवाजांचे अधिक प्रामाणिकपणे पालन करणाऱ्या एकजिनसी गटसमूहाला आदिवासी समाज म्हणतात.

आदिवासींचा वार्शिक इतिहास -

इ.स. पूर्व १४०० मध्ये आर्यांनी (वैदिक ब्राम्हण) गुरे चारण्याच्या निमित्ताने खैबर खिंडीतून भारतात प्रवेष केला. आर्य हे मूळचे भारतीय नव्हते लोकमान्य टिळकांनी ब्राम्हणाचे उगमस्थान उत्तरधृव असल्याचे सांगितले आहे. क्षत्रिय, वैष्य आणि षुद्र या हिंदू बहुजनांचे मूळ आदिवासी जमातीत आहे. आदिवासी जमात ही स्वाभिमानी होती. त्यांनी छळवणूक करणाऱ्या ब्राम्हण वर्गापासून अलिप्त आणि दूर रानावनात, डोंगर दऱ्यात राहणे पसंत केले, परंतु ब्राम्हणांची षरणागती मात्र त्यांनी कदापीही स्वीकारली नाही. कंद-मुळे, रानमेवा खाऊन आणि नदी-नाल्यांचे पाणी पिऊन राहणे पसंत केल. आदिवासी हे मूळ रहिवासी, आद्य वसाहतकार आहेत. त्यांच्यात एक फार मोठा दोश होता, तो म्हणजे ते आत्मसंरक्षणास समर्थ नव्हते. त्यामुळे देषात पष्चिम, वायव्य व ईषान्य दिषांकडून (आलेल्या) घुसलेल्या द्रविड, इंडोआर्यन आणि मोंगल लोकापुढे त्यांचा टिकाव लागू षकला नाही. (भारतीय संस्कृतिकोष खंड १. संपादक प. महादेवषास्त्री जोषी) आधी वसलेले म्हणून ते आदिवासी. इतर समाजापासुन भयाने दूर रानावनातून, डोंगर दऱ्यातून भटकंती करणारे आणि तिथेच वास्तव्य करणाऱ्यांनी आपले

आचार-विचार मौखिक स्वरूपात जतन करून खडतर जीवन जगले आहेत.

आदिवासी जमातीचे लोकसंख्यात्मक विष्लेशण

१९५१ च्या जनगणनेनुसार भारतात सुमारे २ कोटी आदिवासी होते. (५.६ प्रतिषत) २०११ मध्ये ३० कोटी (२५.३ प्रतिषत) आणि २०२१ मध्ये सुमारे ३४ कोटी (२५.५ प्रतिषत) आदिवासी आहेत. महाराश्ट्र राज्यात भारताच्या एकुण लोकसंख्येत ७-८ टक्के आदिवासींची संख्या आहे. (२०११) महाराश्ट्रात २००१ मध्ये एकुण लोकसंख्या ९-६९ कोटी असून ८-५८ लक्ष (८.८५ प्रतिषत) आदिवासी लोक आहेत. २०११ महाराश्ट्राच्या ११-२४ कोटी लोकसंख्येपैकी २१ प्रतिषत (२.३८ कोटी) आदिवासी लोकांची संख्या आहे. आदिवासी मध्ये अनुसूचित जमाती आणि अनुसूचित जातींचा प्रमुख गट समूहाचा समावेष आहे. महाराश्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येत जनगणेनुसार एसी. एसटीचे १९६०-६१ ते २०१८-१९ चे प्रमाण तक्ता क्र. १ मध्ये दिले आहे. २००१-२०११ या दषकातील एस. सी.व एस.टी. संयुक्त लोकसंख्या वार्शिक वाढ २-१२ आहे. ती भारत व महाराश्ट्राच्या वाढीच्या तुलनेत अधिक आहे. परंतु एस.सी.व एस.टी. च्या स्वतंत्र वाढीचा विचार केल्यास त्यांची वाढ भारत व महाराश्ट्रापेक्षा अल्प आहे. भारताच्या सर्व राज्यांचा सर्वांगीण विकास साध्य करण्यासाठी प्रत्येक प्रदेष व त्यातील प्रत्येक गट, जाती-जमातीचे लोक, तळागाळातील लोक आणि लिंगनिहाय विकास करावा लागेल. स्वातंत्र्य सूर्याचा उगम होऊनही थोडी थोडकी वर्शे झाली नाहीत तर अमृत महोत्सवी पर्व साकारले आहे. परंतु देषातील तळागाळातील आदिवासी समाजाचा मागासलेपणा कमी होऊ षकला नाही. निकृश्ट राहणीमान, खालावलेली आर्थीक परिस्थिती, दारिद्र्य, वेदना, व्यथा, छळ, अन्याय, अत्याचार, षोशण, भूक, अमानुशता, उपेक्षीत आणि वंचित जिणे, सामाजिक प्रतिश्ठेचा अभाव इत्यादींना बळी पडलेला आदिवासी समाज आहे. हे कोणीही अमान्य करू षकत नाही. अनेक कारणांचा तो संयुक्त प्रभावच म्हणावा लागेल. आदिवासींसाठी अनेक विकास योजना येतात आणि त्या कुठे जातात ? त्यांच्या पदरात किती पडत असतील ? त्याचे सखोल अध्ययन करण्याची आवष्यकता आहे.

आदिवासी समाजाच्या विकासाचा प्रयत्न

आदिवासी समाजाचा जलद गतीने विकास घडून यावा, त्यांना मानवी दृश्टीकोनातून जीवन जगता यावे या उदात्त उद्येषाने प्रेरित होऊन राज्य आणि केंद्र षासन प्रयत्नषील आहेत. इ.स. १९८३ मध्ये म्हणजे आजपासून ३९ वर्शांपूर्वी एक स्वतंत्र आदिवासी विभाग निर्मित करण्यात आला. परंतु परिणामकारक अंमलबजावणी अभावी उद्दीश्टे साध्य होऊ षकली नाहीत. म्हणून १९९२ मध्ये या विभागाची पुर्नरचना करण्यात आली. षासनाच्या वतीने अनेक प्रकारांच्या सामाजिक व षैक्षणिक विकास योजना राबविल्या जातात.

प्रमुख आदिवासी विकास योजना

महाराश्ट्र षासनाने श्री. द.म. सुकठणकर या राज्य नियोजन मंडळाचे अनुभवी सदस्य व माजी सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीचे गठन केले. त्यांनी चौकषी करून ज्या षिफारषी सादर केल्या त्यांचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे. २००५-०६ पासून केंद्र षासनाने महाराश्ट्राला ९ प्रतिषत इतका विकासनिधी मंजूर केला आहे. त्यापैकी ४० प्रतिषत राज्यस्तरावर आणि ६० प्रतिषत जिल्हास्तरावर वापरला जावा अषी तरतूद करण्यात आली. या आर्थिक निधीतून पुढील अनेक विकास प्रकल्पावर खर्च केला जातो.

अ) आदिवासी सामाजिक विकास योजना

डोंगर दऱ्यांमधून जीवन जगणाऱ्या तसेच समाज प्रवाहापासून अलिप्त असलेला व उपेक्षित आदिवासी जनसमुदायात आमुलाग्र परिवर्तन होण्यासाठी, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध प्रकारचे प्रयत्न केले जातात. त्यापैकी प्रमुख सामाजिक योजना पुढीलप्रमाणे आहेत. १) आदिवासी कन्यादान योजना २) ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्तीविकास कार्यक्रम इत्यादी.

ब) षैक्षणिक विकास योजना आदिवासी बांधव मुळात अतिदुर्गम स्थळी वास्तव्यास असतात. आदिवासी पाडयात प्रामुख्याने कमालीची निरक्षरता, दैववादी आचारण, जुन्या परंपरा व चालीरिती यांनी पछाडलेला असतो. आणि विषेशतः त्यापासून विभक्त व्हावे अषी त्यांची मानसिकता नसते. षिक्षणाषिवाय त्यांच्या वृत्तीत आणि कृतीत बदल होऊ षकणार नाही याची पूर्णपणे जाणीव ठेवून पुढची पिढी षिक्षित झालीच पाहिजे म्हणून संबंधीत विभाग आटोकाट प्रयत्न करतात. त्या दृश्टीने १) षासकीय आश्रम षाळा २) अनुदानित आश्रम विद्यालय ३) कनिश्ठ महाविद्यालय ४) मुले व मुली यांच्यासाठी स्वतंत्र षासकीय वसतिगृहे ५) व्यावसायिक प्रषिक्षण केंद्रे ६) एकलव्य निवासी षाळा इत्यादी. षिक्षणाच्या सोयी व संधी निर्माण

करण्याबरोबरच शैक्षणिक गुणवत्तेवर भर देण्यात येतो. त्यासाठी अनेकानेक प्रकारच्या शिष्यवृत्तीच्या भरपूरर सुविधा दिल्या जातात. उदाहरणार्थ १) षालान्त परिक्षेत्तर शिष्यवृत्ती योजना २) विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता. षिवाय प्रसंगी जादा भत्ता देण्याची व्यवस्था केली जाते. विशेषत: मधूनच षिक्षण सोडून जाण्याच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवृत्तीला आळा बसावा यासाठी काळजी घेण्यात येते. ३) विदेषातील षिक्षणासाठी षिष्यवृत्ती योजना ४) विषेश बुध्दीवानांना प्राविण्य बक्षिसे ५) अपंगांना षिष्यवृत्ती व वाहतूक भत्ता देण्यात येतो. तसेच ६) प्रोत्साहनपर बक्षिस देण्याची योजना ही राबविली जाते सुमारे ५०० पेक्षाही अधिक वस्तीगृहातून ६० हजार आदिवासी विद्यार्थ्यांना अनेक प्रकारच्या सोयी सवलतींचा फायदा होतो. ५५६ षासकीय आश्रम षाळा कार्यरत आहेत. इ.स. २०१६-१७ मध्ये एकूण १.८७.३९२ विद्यार्थ्यांमध्ये ५०-४८ प्रतिषत विद्यार्थी आणि ४८-५२ प्रतिषत विद्यार्थीनींना आश्रम षाळेतून षिक्षणाची संधी मिळू षकली. नियतनिधी व्यतिरिक्त केंद्र षासन विषेश केंद्रीय सहायता निधीची व्यवस्था करते.

२००१ च्या खानेसुमारीनुसार पंजाब, हरियाणा या राज्यात व पौंडेचरी, दिल्ली, चंदिगढ या केंद्रषासित प्रदेषात आदिवासी लोकांचे अस्तित्व आढळले नाही. परंतु मेघालय (८६ प्रतिषत), मिझोरौम (९५ प्रतिषत), नागालैंड (९० प्रतिषत), लक्षादीप (९५ प्रतिषत) मध्ये बहुतांष लोक आदिवासी असल्याचे आढळले. पारतंत्र्यात ब्रिटीष षासनाच्या कूट नितीचा आदिवासींवर भयंकर प्रभाव पडला होता. तरीही त्यांच्या षोशणाला स्थानिक जमीनदार वर्ग आणि सावकार हे अधिक प्रमाणात जबाबदार होते असे अभ्यासकांचे मत आहे. पूर्वी आदिवासी हे जंगलाचे मालक होते, राजे होते. परंतु इंग्रजांच्या कुट धोरणामुळे आणि वन कायद्यातील तरतुदींमुळे आदिवासी समाजावर अनेक प्रकारचे निर्बंध लादले गेले. ब्रिटीष आमदानीमध्ये हिंदुस्थानात ख्रिष्चन धर्माचा फार मोठ्या प्रमाणात प्रसार व प्रचार झाला. त्याला आदिवासी बळी पडत गेले असे दिसते. ब्रिटीषांच्या वसाहतवादी नीती धोरणामुळे आदिवासींचे जगप्रसिध्द हस्तकला कौषल्य नश्ट झाले. हस्त व्यवसाय बंद पडले. आदिवासींच्या ललीत कला कुषलतेचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास झाला. विदेषी सत्तेच्या घातक कृत्यांचा-धोरणांचा प्रतिकार करण्यासाठी आदिवासींना लढे उभारावे लागले. बिरसा मुंडा यांच्या नेतृत्वात ब्रिटीष षासन तसेच देषी जमीनदार वर्ग व सावकारांचा प्रतिकार करण्यासाठी आदिवासींना लढे उभाराने लागले - झगडावे लागले.

<u>स्वातंत्र्योत्तर स्थित्यतंर</u> :-

षैक्षणिक सोयी-सवलतीची खैरात व विविध माध्यमातून आर्थिक सढळ सहाय्य आणि विशेषत: आदिवासी विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात ७-५ प्रतिषत राखीव प्रवेष, तसेच भारतीय संविधान कलम ३३५ नुसार राज्य व केंद्रीय लोकसेवा आयोग व निवड मंडळातर्फे आदिवासींना ७-५ टक्के राखीव जागांची तरतूद राजकीय क्षेत्रात देखील ७-५ टक्क्यांचे आरक्षण देण्याची व्यवस्था झाली. देषाच्या लोकसभेत ४१ आणि विधान सभेत ५२७ जागा आदिवासी लोकांसाठी आरक्षीत झाल्या आहेत. आदिवासींच्या सांस्कृतिक भिन्नतेची जोपासना व त्यासाठी प्रोत्साहनाला प्राधान्य दिले जाते. निसर्गाच्या सहवासात राहणारे व खरे निसर्ग प्रेमी आदिवासी लोक फळ-फुले, कदंमुळे वापरून पशुपक्षी आणि वनराईच्या सानिध्यात रममाण होणारे, अत्यंत समाधानपुर्वक जीवनाचा आस्वाद घेणारे व पाखरा प्रमाणे स्वच्छंदीपणे जीवन जगणारे आहेत. लोकगीते, लोकनृत्ये, कथाकथन यांच्या आस्वाद घेत आनंदोत्सवात तसेच आपल्या जबाबदारीचा विसर न पडू देता जीवन यज्ञात रममाण होणारे आदिवासी बांधव आहेत. हे त्यांचे मोलाचे वैषिश्ट्य आहे. असाध्य रोगावर झाडा-झुडपापासून प्रभावी औशधी तयार करण्याची कला व ज्ञान त्यांना प्राप्त झाले आहे. षासनाच्या षिक्षणाच्या प्रसारामुळे त्यांच्यात पुश्कळ परिवर्तन घडून येत आहेत. तव्दतच क्रियाषील कार्यात आणि विषेशत: राजकारणात त्यांचा सहभाग वाढू लागला आहे. पुढची पिढी तर अधिक महत्वाकांक्षी, उत्साही, धडपडणारी आणि सळसळणाऱ्या उश्ण रक्ताची बनत आहे. हेच तर खरे यष आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी सुध्दा अनेक आदिवासी बांधवांनी मोलाचा सहभाग दिला आहे.

आदिवासी लोक गरीब व दुर्बल असले तरी तो कधीही भीक मागताना दिसणार नाही अथवा ऋणभारामुळे आत्महत्येस बळी पडतो असे दिसणार नाही. भविश्य म्हणजे काय ते त्यांना अजिबात उमगलेले नाही. भविश्याची ते काळजीही करत नाहीत. म्हणून ते आनंदी आहेत.

समारोप

आदिवासीच्या संस्कृतीची जोपासना करणे, त्यांची जीवनमूल्य जोपासणे आवष्यक आहे. आदिवासींना जीवनातून उध्वस्त न होऊ देता सर्वांगीण प्रगतीवर भर दिला जावा, विकासाचा पुरेपूर लाभ त्यांना मिळायलाच हवा. आदिवासी समाजाला अनेक सोयी सवलती उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. परंतु त्या विशयी ते जागृक नाहीत. ते त्या विशयी अज्ञानी आहेत. तसेच विकास प्रारूपाची अमंलबजावणी बाबतही सदोशता आढळते. पुरेषा जागृतीची आवष्यकता आहे. दारिद्रयाची यषोगाथा मधून म्हणतात महाराश्ट्रातील सर्वात नाडला गेलेला आणि वंचित वर्ग म्हणजे भटके विमुक्त समाजातील लोक त्यांच्यापर्यंत अद्यापही विकासाची झुळुक पोहोचलेली नाही. तळातील लोकांची अवस्था खूपच बिकट आहे. अषांचा विकास होणार तरी कसा ! असे ते संषोधक व्यथा व्यक्त करतात. बऱ्याचदा आदिवासीच्या वास्तविक अडचणी आणि गरजा जाणून न घेता विकास योजना तयार केल्या जातात. म्हणून त्या योजना राबवितांना बहुविध अडचणी व मर्यादा उभ्दवतात. विकास योजना अंमलबजावणीमध्ये पुरेषी निश्ठा नसते, की आत्मीयताही आढळून येत नाही. सर्वात महत्वाची गोश्ट म्हणजे मुळात लाभार्थ्यांच्या जागृतीची कमतरता आहे. षासकीय प्रयत्नापासून आदिवासीमध्ये मंदगतीने का होईना बदल घडून येत आहे. बुजरी आदिवासी व्यक्ती अलीकडे सर्वसामान्यांमध्ये मिसळत आहे, सहभाग घेत आहे. असे असले तरी विकास योजनांची सफलता आणि त्यांचा वेग पुरेसा उंचावणे क्रमप्राप्त आहे.

संदर्भ सूची -

१) आदिवासी विकास विभाग माहिती पुस्तिका सन २०१५-१६.
२) गारे गोविंद, २०००, 'आदिवासी समस्या आणि बदलते संदर्भ' सुगावा
प्रकाषन पुणे.
३) गुरव धनाजी, २००८, 'आदिवासी साहित्य' वाड:मयसेवा प्रकाषन नाषिक रोड.
४) घाटे निरंजन, २०१६, 'आदिवासींचे अनोखे विष्व' मनोविकास प्रकाषन पुणे
५) साने माणिक, गडवाल ऐ. ऐ., २०१२ 'आदिवासीचे समाजषास्त्र' विद्या प्रकाषन नागपूर.
६) षेलकर अभया, २०१४, 'अनुसूचित जाती व जमातीचे कायदे' नाषिक लॉ हाऊस औरंगाबाद.
७) Census of India 2011.

संदर्भ सूची -

१) कुलकर्णी बी. वाय. २००३, "भारतीय षासन व राजकारण" विद्या प्रकाषन, नागपूर.
२) भोळे भा. ल. २०१३, "भारतीय गणराज्याचे षासन आणि राजकारण, कॉन्टिनेटल प्रकाषन नागपूर.
३) दंडवते मधु १९९९, "न्यायपालिका, संसद आणि कार्यपालिका वेध, अंतर्वेध, साधना प्रकाषन पुणे.
४) जाधव तुकाराम, महेष षिरापूरकर, २०११, "भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया खंड १", द युनिक ॲकॅडमी, पुणे.
५) फडीया बी. एल. २००४, राजनिती विज्ञान, प्रतियोगिता साहित्य पब्लिकेषनन्स.
६) योजना मासिक २०२० एप्रिल.

सूचना

द्वितीय व तृतीय वर्शामधील सर्व विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की, महाविद्यालयातील स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्षन केंद्र यांच्या वतीने महाराश्ट्र लोकसेवा आयोग स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी पूर्णविळ अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची निवड करावयाची आहे. तरी जे विद्यार्थी वर्शभर पूर्णविळ महाविद्यालयात उपस्थित राहुन महाराश्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांची तयारी करणार आहेत, अषा विद्यार्थ्यांची सामान्य क्षामता चाचणी परीक्षा वार मंगळवार दिनांक २९/११/२०२२ रोजी सकाळी १०:३० ते १२:३० या वेळेत होणार आहे.
तरी इच्छुक आणि पूर्णविळ देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनीच या परीक्षेसाठी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्षन केंद्र समन्वयक प्रा. सुनील नेवकर यांच्याकडे दिनांक १५/११/२०२२ पर्यंत नाव नोंदणी करावी.
सामान्य क्षामता चाचणी (स्वरूप) - राज्य सेवा पूर्व परीक्षा अभ्यासक्रम
वेळ - २ तास
प्रष्न - बहुपर्यायी प्रष्न ;M.C.Q.)१०० प्रष्न (१०० गुण)

सूचना

प्रथम वर्शामधील सर्व विद्यार्थ्यांना कळविण्यात येते की, महाविद्यालयातील स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्षन केंद्र यांच्या वतीने महाराश्ट्र लोकसेवा आयोग स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी पूर्णविळ अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची निवड करावयाची आहे. तरी जे विद्यार्थी वर्शभर पूर्णविळ महाविद्यालयात उपस्थित राहुन महाराश्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांची तयारी करणार आहेत, अषा विद्यार्थ्यांची

सामान्य क्षमता चाचणी परीक्षा वार सोमवार दिनांक ०३/१०/२०२२ रोजी सकाळी १०:३० ते ११:३० या वेळेत होणार आहे.

तरी इच्छुक आणि पूर्णविळ देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनीच या परीक्षेसाठी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्षन केंद्र समन्वयक प्रा. सुनील नेवकर यांच्याकडे दिनांक १२/०९/२०२२ पर्यंत नाव नोंदणी करावी.

सामान्य क्षमता चाचणी (स्वरूप) - राज्य सेवा पूर्व परीक्षा अभ्यासक्रम

वेळ - १ तास

प्रष्न - बहुपर्यायी प्रष्न ;M.C.Q.) ५० प्रष्न (५० गुण)

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, December 2022, Volume-14 Issue-22

रामायण में वर्णित पशुधन के प्रति तात्कालिक मानवीय मनोवृति

डॉ0 आशा कुमारी

सहायक आचार्य (हिंदी विभाग) आई०ई०सी० विश्वविद्यालय, बद्दी, हिमाचल प्रदेश

Email -aashu.bhandari04@gmail.com

DOI- 10.5281/zenodo.7524223

शोध सारांशिका

यह समीक्षात्मक शोध वाल्मीकि रचित रामायण में उस समय पशुओं की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए लिखा गया है ताकि वर्तमान में जनमानस तक पशुओं की उपादेयता का संदेश पहुँच सके | रामायण के अध्ययन से पता चलता है कि वाल्मीकि द्वारा रामायण में पशुओं को विशेष स्थान प्रदान किया गया है | रामायण में वर्णित पशुओं की दशा उनकी उपादेयता को आज भी संवर्धन प्रदान कर रही है | कोई भी शुभ कार्य, गृह परिवेश, व्यापार का क्षेत्र या फिर रणभूमि हर जगह पशुओं को बहुत महत्व प्रदान किया जाता था | कुछ पशु जैसे गाय स्वयं देवताओं के समकक्ष पूज्यनीय थे | उस समय रामायण में भांति भांति के जानवरों का वर्णन स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र जी ने वानर रुपी हनुमान, रीछ रुपी जामवंत, पक्षिराज गिद्ध जटायु तथा अन्य जीवों को जो महत्त्व दिया है वो आज भी हम मनुष्यों को आदर्श स्वरूप प्रदान करता है |

शब्द कुंजी : रामायण, वाल्मीकि, पशुधन, तात्कालिक दशा

प्रस्तावना :

महर्षि वाल्मीकि की श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण भारतीय समाज की अनुपम देन है। आज भी इसके द्वारा बिखरे हुए भारतीय समाज का बहुत ही अच्छा पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। वैसे तो बाल्मीकीय रामायण से संबंधित अनेक शोध प्रबन्ध तथा पुस्तकें देखने को मिलती हैं, परन्तु इनमें मूल ग्रन्थ को राजनैतिक, पारिवारिक, काव्यात्मक, रचनात्मक एवं समीक्षात्मक प्रसंगों को ही विद्वतजनों ने अपना मूल लक्ष्य माना है। इसकी सामाजिक तथा आर्थिक उपादेयता का तो स्पर्श मात्र किया है। अधिकांशतः ग्रन्थ के आध्यात्मिक पक्ष को अनावृत किया गया है। बहुत से लोगों के पारिवारिक वातावरण धार्मिक होने के कारण वे वाल्मीकीय रामायण को आध्यात्मिक ग्रन्थ मानते हैं। परन्तु इस महान ग्रन्थ से तत्कालीन समाज के लिए उपयोगी पशुओं के धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक महत्व को प्रस्तुत लेख में उद्घाटित करने का अल्प प्रयास किया गया है।

जीविकोपार्जन का साधन

रामायण काल में पशुओं का महत्वपूर्ण स्थान है। पशुपालन मनुष्य के जीविकोपार्जन का प्राचीनतम साधन है। समाज का एक वर्ग पशुओं की देख-रेख तथा उनकी सुश्रूषा के द्वारा आजीविका चलाता था। रामायण काल में पशुपालन आर्थिक जीवन का मूल आधार था | पशुओं में गाय, वृषभ, हाथी, घोड़े आदि प्रमुख थे। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जिसके पास गाय, बैल, घोड़े तथा धनधान्य का अभाव हो। हलों द्वारा कृषि की जाती थी, जिसे वृषभ की सहायता से खींचा जाता था। राजा भी पशुपालन तथा कृषि में संलग्न रहते थे। राजा जनक द्वारा हल चलाने का उल्लेख रामायण में हुआ है, जिसके द्वारा उन्होंने सीता को प्राप्त किया था | राम ने भरत से कहा था कि पशुओं की रक्षा में सदैव संलग्न रहना चाहिए, इससे सुख की प्राप्ति होती है।

पशुओं की देख-रेख के लिए गोपाध्यक्ष नामक पदाधिकारी राज्य की तरफ से नियुक्त किये जाते थे। पशुओं का उपयोग मांस, दूध तथा सवारी के लिए किया जाता था। जनकपुर के लिए प्रस्थान करते समय विश्वामित्र के पीछे सैकड़ों बैलगाडियां थी। साथ ही गोरथ का भी उल्लेख हुआ है | रावण के सैनिक बाघ, बिलाव, खच्चर और ऊंट आदि पर चढ़ कर युद्ध क्षेत्र में आते थे।

व्यापारिक महत्त्व

साधारणतया यह प्रतीत होता है कि पशुपालकों से ही लोग गाय, बैल, हाथी तथा घोड़े आदि खरीदते होंगे। राजा लोग भी अपने संरक्षण में पशुओं का पालन किया करते थे क्योंकि रामायणकार ने अपने महाकाव्य में यत्र-तत्र अनेक स्थानों पर राजा के द्वारा पशु संरक्षण का संकेत किया है। उदाहरणार्थ भरत जब राम से मिलने चित्रकूट जाते हैं तो राम ने उनके द्वारा संरक्षित पशुओं का समाचार ज्ञात किया था | अयोध्या नगरी में हाथी, घोड़े, गाय तथा ऊंट इत्यादि के झुण्ड देखे जा सकते थे। अयोध्या नगरी में भद्र एवं मृग जाति के हाथी, पर्वताकार तथा मदमस्त हाथी विराजमान थे। ये गजराज ऊंचे स्वर में मस्त होकर चिंघाड़ते थे जिसका वर्णन रामायण में हुआ है |

गोधन का संवर्धन दुग्ध उत्पादन के सन्दर्भ में

अयोध्या राज्य में गोधन का बाहुल्य था। राजा गायों को दान में दिया करते थे। पशुपालन में गोपालन को सर्वाधिक महत्व दिया जाता था। राम भी चित्रकूट में भरत से शासन के समाचार पूछते हुए उनके द्वारा संरक्षित गायों के समाचार भी जानने की जिज्ञासा करते हैं। तत्कालीन समाज गोशालाओं प्रत्यागार, गोसमूह को गोकुल, ग्वाले को गोपाल तथा चारागाह के लिए सादृल शब्द प्रयुक्त किये जाते थे। गौओं के साथ-2 उनके झुंड में सांड के भी विचरण का बाल्मीकि ने रामायण में वर्णन किया है | सुन्दर काण्ड में रावण की तुलना सांड से की गयी है। यथा- जिस प्रकार गोशाला में श्रेष्ठ गायों के बीच सांड सुभायमान होते हैं उसी प्रकार रावण भी सुन्दरियों के बीच घिरा हुआ शोभायमान होता था | गाय की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार दधि में नवनीत, मनुष्यों में ब्राह्मण तथा औषधियों में अमृत श्रेष्ठ है उसी प्रकार पशुओं में गाय श्रेष्ठ है।

गाय को जीवनदात्रि कहा गया है। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में अनेक प्रकार के वन्य पशु तथा शान्त मृग पशु भी निवास करते थे | उनका आश्रम ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था । विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ का दर्शन किया । विश्वामित्र के आश्रम में आने पर वशिष्ठ ने उनसे आतिथ्य सत्कार का अनुरोध किया | विश्वमित्र द्वारा आतिथ्य सत्कार का अनुरोध स्वीकार करने पर श्रेष्ठ मुनिवर प्रसन्न हुए, उनके आश्रम में कामधेनु नामक एक दिव्य गाय थी जो मनोवांछित फल प्रदान करती थी । वशिष्ठ ने उस चितकबरी होमधेनु को बुलाया जो कामधेनु ही थी | महर्षि ने कहा शबले शीघ्र आओ मैने विश्वमित्र का उत्तम भोजन आदि का आतिथ्य सत्कार करने का निर्णय किया है | तुम मेरे इस मनोरथ को सफल करो | दिव्य कामधेनु आप मेरे कहने से इन अतिथियों के लिए अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करो महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी वैसी वस्तुएं प्रदान की, जिससे विश्वामित्र अपनी सेना सहित संतुष्ट हुए | तदोपरान्त उस दिव्य गाय को विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ से माँगा | विश्वामित्र ने कहा भगवन आप मुझसे एक लाख गौए लेकर यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए क्योंकि यह गौरत्न रूप है। रत्न लेने का अधिकारी राजा ही होता है । मुझे यह दिव्य गौ दे दीजिए क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है । महर्षि वशिष्ठ ने अनेक गाये (एक लाख या सौ करोड़) विश्वामित्र द्वारा दिये जाने पर भी कामधेनु को नहीं दिया। वशिष्ठ ने कहा कि यह मुझसे अलग होने के योग्य नहीं है । जिस प्रकार मनस्वी पुरुष की अक्षयकीर्ति उससे अलग नहीं रह सकती उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ सम्बंध रखने वाली भी मुझसे पृथक नहीं रह सकती । मेरा हव्यकव्य एवं जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है । फलस्वरूप विश्वामित्र एवं वशिष्ठ का युद्ध हुआ और विजयी वही हुआ जहाँ कामधेनु थी ।

गोदान की पराकाष्ठा

यज्ञों में जो पुरोहित भाग लेते थे उनके पारिश्रमिक के रूप में जिन पशुओं का दान दिया जाता था, उनमें गाय सर्वश्रेष्ठ थी । अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने पुत्रोष्टि नामक यज्ञ के पूर्ण होने पर दक्षिणा के रूप में पुरोहित को पूर्व दिशा, अध्वर्यु को पश्चिम दिशा, ब्राह्मण को दक्षिण दिशा तथा उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दान में दी थी । परन्तु निरन्तर ब्रह्मचिंतन करने के कारण ब्राहमण वर्ग द्वारा पृथ्वी का पालन करने में असमर्थता व्यक्त करने पर राजा दशरथ ने 10 लाख गायें, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रायें तथा उससे चौगुनी रजत मुद्राएँ दान में बांटी |

गोदान की पराकाष्ठा का उदाहरण रामायण में प्राप्त होता है | सन्तति की सुख समृद्धि के लिए राजा दशरथ ने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुधन के विवाह संस्कार से पूर्व नांदीमुख व गोदान करने के बाद अपने एक-एक पुत्र की मंगलकामना से धर्मानुसार कांसे के दुग्ध पात्रों सहित सुवर्ण से मंडित सींगों वाली एक-एक लाख सवत्सा (बछड़ों सहित) गायों का दान किया । इसके अतिरिक्त प्रचुर धन पुत्रों के लिए गोदान रूपी पुण्य के उद्देश्य से ब्राहमणों को दान में दिया ।

गाय की श्रेष्ठता का एक अन्य उदाहरण रामायण में इस प्रकार प्राप्त होता है श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण में दशरथ अपने पूर्व जन्म की ओर संकेत करते हुए कहते है कि मालूम होता है कि मैने पूर्व जन्म में बहुत सी गायों को उनके बछड़ों से वियोग कराया है इसी कारण मेरे पुत्र राम से मेरा वियोग हुआ है । संभव है कि मैंने अनेक जीवों की हत्या की है इसी कारण इस जन्म में मेरे ऊपर पुत्र विछोह संकट आया है |

रामायण काल में पशुपालन से शिल्प कला का विकास

वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य में पशुओं के शिल्प जीवन का बहुविधि वर्णन किया है। इन पशुओं में गाय, वृषम, घोड़े, ऊँट, खच्चर, गधे, कुत्ते तथा हाथी इत्यादि का उल्लेख हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि पशुपालक जन पशुओं से होने वाले पदार्थों से अनेक कुटीर उद्योग चलाते थे । दुग्ध पदार्थ बनाने का कुटीर उद्योग ग्राम्यांचल में प्रचलित था और वे अनेक दुग्ध पदार्थों द्वारा अपना जीवनयापन करते थे । ग्वालों के घोष बड़े समृद्ध थे । राम ने ग्रामों से प्राप्त दुग्ध पदार्थों का स्पष्ट संकेत किया है । आर्यों में शाकाहार के व्यापक प्रचलन के कारण दुग्ध एवं दुग्ध निर्मित पदार्थों की रामायणकालीन समाज में बड़ी माँग रही होगी |

रामायण में पशुओं द्वारा वाणिज्य के विकास की सूचना प्राप्त होती है रामायण में वर्णित है कि अयोध्या से विभिन्न व्यापारी अनेकानेक वस्तुएं लेकर दूर-दूर तक जाया करते थे तथा हाथी, घोडों का उपयोग बड़ी संख्या में करते थे । रामायण में कम्बोज, वाहलीक, नदीज, बनायु, जाति के घोड़ों का उल्लेख प्राप्त हुआ है | सम्भवतः घोड़ों की उपर्युक्त नस्लें विदेशी व्यापारियों से आयात की गयी थी | अयोध्या में विभिन्न देशों के व्यापारी भी निवास करते थे । व्यापारी लम्बी-लम्बी यात्राओं हेतु रथ, बैलगाडी, घोड़े तथा ऊँट का प्रयोग करते थे । अयोध्या राज्य के आंतरिक व्यापार में बैलगाडियों द्वारा ही वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का उल्लेख है ।

रामायण में विध्य क्षेत्र से हाथियों के आयात का भी उल्लेख प्राप्त होता है। हाथी का उपयोग भार ढोने, युद्धकाल में काम आने तथा शिल्प क्षेत्र में भी हुआ है । रामायण काल में हस्तिदंत का उल्लेख विस्तार पूर्वक मिलता है । रामायण में विभिन्न श्रेणियों की चर्चा में हस्तिदंत के शिल्पकार (दंतकाराः) और व्यावसायी (दंतोपजीविनः) की श्रेणियाँ भी आती है । इससे यह ज्ञात होता है कि हस्तिदंत के शिल्पकार एवं व्यावसायी रामायण काल में काफी संगठित थे।" वाल्मीकि की रामायण में भरत के बुरे स्वप्न देखने की चर्चा आती है, जिसमें वे राजा दशरथ के हस्ति के दांतों को खण्ड-खण्ड होकर गिरते हुए देखते है । जो अपशकुन का सूचक है । रामायण काल में राजकीय शैया हस्तिदंत से जड़ी होती थी । हनुमान जब सीता की खोज में लंका पहुंचते है तो रावण की शैया हस्तिदंत से जटित देखते है । हस्तिदंत का उपयोग राजकीय महलों को सुंदर बनाने हेतु किया जाता था । रावण के राजकीय महल के स्तम्भ और सतह हस्तिदंत

जड़ित थे । वह सम्भवतः लकड़ियों द्वारा निर्मित होने के कारण हस्तिदंत से सुसज्जित किये जाते थे । रामायण काल में राजकीय क्षेत्र, राजमहल के रथ तथा पालकी भी हस्तिदंत से सुशोभित होते थे |

रामायण में रेशम के कीड़े पालने के चार स्थानों का उल्लेख हुआ है । मगध, अंग, पुंड तथा पूर्वी प्रदेश । पूर्वी प्रदेश का तात्पर्य आसाम से रहा होगा । ये जंगली क्षेत्रों में पाये जाते थे क्योंकि इनके द्वारा खाये जाने वाले पत्ते इन्ही क्षेत्रों के पेड़ों पर जंगलों में पाये जाते थे | राम और सीता दोनों ने राज्याभिषेक के समय रेशमी वस्त्र धारण किये थे । दण्डकारण्य छोडते समय सीता ने रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। (जब रावण ने सीता को अपहत किया था)

उपसंहार :

वाल्मीकि रामायण में पशुओं के आखेट/मृगया का वर्णन आया है । राम के अनुसार मृगया राजाओं की क्रीडा थी । राजर्षियों के मनोविनोदार्थ उसे जारी किया गया था । कौशल राज्य की सीमा पार करते हुए राम ने बड़ी उत्सुकता से कहा था कि अब में सरयू के पुष्पित वनों में कब मृगया खेलूंगा | स्वर्ण मृग के वध का औचित्य बताते हुए राम ने लक्ष्मण से कहा था कि राजा लोगों द्वारा हिरणों को मारने में दोहरा उद्देश्य होता है प्रथमतः विनोद और द्वितीयतः माँस प्राप्ति | ऐसा नहीं था कि राम इस क्रीड़ा में निहित क्रूरता से अनभिज्ञ थे, उन्होंने विनम्रतापूर्वक यह निवेदन किया था कि यह क्रीड़ा लघु मात्रा में ही पसन्द करता हूँ। मृगया प्रेम को तो राजर्षियों की सम्मत स्वीकृति प्राप्त थी । मृगया के प्रति राम का प्रगाढ़ उत्साह तो था परन्तु निर्दोष प्राणियों पर इस प्रकार की जाने वाली क्रूरता का इन्हें मान था । आश्रमों के निकट वे इस क्रूर पीड़ा से बचने का प्रयास करते थे । लक्ष्मण वनवास काल में सीता और राम के भोजन हेतु मृग का मांस खुली आँच पर पकाते थे । हुनमान ने रावण के भोजनालय में विविध प्रकार के पशुओं के कटे मांस को देखा था । रामायण में पशुओं से कुश्ती लड़कर उन्हें मारने का भी उल्लेख है । अयोध्या के महारथी सिंह, व्याघ्र एवं वाराह जैसे जंगली पशुओं को बाहु युद्ध में पछाड देते थे ।

इसके अतिरिक्त रामायण में पशुओं का वर्णन अनेक स्थलों पर हुआ है। सीता को दहेज में राजा जनक ने अनगिनत बैलों पर लदे हुए सामान, 1 लाख घोड़े, 25 हजार रथ, 10 हजार मतवाले हाथी दिये थे | रामायण में सुग्रीव के राज्याभिषेक के समय श्रीराम द्वारा सुग्रीव के वृषभ के श्रृंग से अभिषिक्त करने का उल्लेख है । लोग अपने पशुओं को गहनों से सजाया करते थे । राजकीय वैभव के प्रतीक हाथियों को कांचनी से सजाया जाता था । युद्ध में प्रयुक्त अश्वों को 'उरश्वछ' से सुरक्षित किया जाता था।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. वाल्मीकि रामायण, बालकांड 1/7/3 वाल्मीकि
2. रामायण, बालकांड 1/66/14
3. वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकांड 100/48
4. वाल्मीकि रामायण, बालकांड 1/31/17
5. वाल्मीकि रामायण, बालकांड 2/83/16
6. वाल्मीकि रामायण, बालकांड 6/73/11-2
7. वाल्मीकि रामायण 2/100/50
8. वाल्मीकि रामायण 1/6/25-26
9. दीक्षित, सूर्य प्रकाश, वाल्मीकि रामायण की हिन्दी (गद्य पद्य) 4/18/20
10. दीक्षित, सूर्य प्रकाश, तदैव, 6, हेमन्त ऋतु
11. वाल्मीकि रामायण, 1/100/50.
12. वाल्मीकि रामायण 2/40/43.
13. वाल्मीकि रामायण 2/46/17.
14. वाल्मीकि रामायण 2/67/29
15. वाल्मीकि रामायण 3/16/20.

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, December 2022, Volume-14 Issue-23

वर्तमान परिदृश्य में शिक्षित युवाओं की समस्याओं का समाज पर प्रभाव (एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण)

नेहा[१] शशि बाला[२]

[१]पी-एच.डी. शोध छात्रा (समाजशास्त्र) डॉ.राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,अयोध्या

[२](प्रोफेसर) समाजशास्त्र विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गोंडा(अवध विश्वविद्यालय)

DOI-10.5281/zenodo.7524233

सारांश -

प्रस्तुत अध्ययन वर्तमान परिदृश्य में शिक्षित युवाओं की समस्याओं का समाज पर प्रभाव पर आधारित है। जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवा समस्याओं तथा इन समस्याओं का समाज पर पड़ने वाले प्रभावों के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना है। इसके साथ ही युवा क्या है?(अवधारणात्मक व्याख्या)इनकी समस्याएं क्या है?इसके उत्पन्न होने के क्या कारण है? और इन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है आदि का अध्ययन करना है।

किसी भी राष्ट्र अथवा देश के शिक्षित नवयुवक राष्ट्र के विकास और निर्माण की आधारशिला होते हैं, हमारे समाज के स्वस्थ, शिक्षित नवयुवक ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षित युवा ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है क्योंकि पढ़ा लिखा हुआ ही देश की वास्तविक पहचान होता है यदि हमारे देश या समाज के नव युवकों में चारित्रिक दृढ़ता व नैतिक मूल्यों का समावेश होगा तथा वे मानसिक व बौद्धिक दृष्टि से परिपूर्ण होंगे तो हम स्वस्थ और विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। शिक्षित युवा ही हमारे देश का वर्तमान है और भविष्य का सेतु भी है। हमारे देश की लगभग ६५ प्रतिशत जनसंख्या युवाओं की ही है। प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारे देश के युवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, फिर वह भूमिका चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रही हो,कृष्ण की हो, अर्जुन की हो,महात्मा गांधी,स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा,डॉक्टर भीमराव अंबेडकर,राजा राममोहन राय,स्वामी दयानंद सरस्वती ने हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत एक विकासशील और बड़ी जनसंख्या वाला देश है। यहां आधी जनसंख्या युवाओं की है, देश की लगभग ६५ प्रतिशत जनसंख्या की आयु ३५ वर्ष से कम है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। यहां के लगभग ६० करोड लोग २५ से ३० वर्ष के आयु के है। यह स्थिति वर्ष २०४५ तक बनी रहेगी। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या २५ वर्ष से कम आयु की है।

मुख्य शब्दावली-शिक्षित युवा, शिक्षा, जीवन - यापन।

युवा कौन है?(अवधारणात्मक व्याख्या)- विभिन्न विद्वानों ने युवाओं के अर्थ को अलग-अलग शब्दों में परिभाषित किया है। कुछ विद्वानों ने युवा शब्द के अर्थ को आयु को आधार मानकर परिभाषित किया है। परंतु समाजशास्त्रीय इसे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिभाषित करते हैं।

गोरे(१९७७) - "युवाओं को उनकी उम्र के आधार पर परिभाषित करना एक अपूर्ण प्रयास होगा, क्योंकि यह विवाद का कारण हो सकता है। इसके साथ ही युवाओं को परिभाषित करने के लिए कोई निर्धारित मापदंड नही है। ये आगे भी समांतर शब्द वयस्कता को विस्तृत करते हैं जो कि युवा की परिभाषा को और भी जटिल बनाता है।"

शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार ब्रह्मचर्य को युवावस्था मानने के औचित्य पर प्रश्न उठाते हुए मिश्रा वी. डी.(१९९३) ने कहा कि "यदि हम ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण स्वीकार करने की कोशिश करते हैं कि अगर युवा ब्रह्मचर्य से संबंधित है तो यह प्रश्न उठता है कि ब्रह्मचर्य कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा। "

बाक डिक्टर -(१९८१) ने युवाओं की उम्र को १३ से १८ वर्ष तक सीमित किया है।

उपरोक्त अवधारणाओं एवं तर्कों के आधार पर प्रस्तुत शोध में युवा- समूह के अंतर्गत १५ -२९ वर्ष की आयु के लोगों को सम्मिलित किया गया है।

शिक्षित युवा समस्याएं- शिक्षित युवा समस्या किसी क्षेत्र विशेष की समस्या नही है। यह बहुत बड़ी विश्वव्यापी समस्या है। शिक्षित युवा समस्याओं मे बेरोजगारी, निम्न सामाजिक - आर्थिक जीवन स्तर, उच्च प्रस्थिति को प्राप्त ना कर पाना आदि प्रमुख समस्याएं हैं विश्व के मात्र २.४ प्रतिशत क्षेत्र को समेटे हुए हमारा देश १०२.७ करोड़ जनसंख्या का भरण पोषण कर रहा है, जो कि विश्व की जनसंख्या का १६.६ प्रतिशत से भी अधिक है। इतनी सीमित क्षेत्र में इतनी अपार जनसंख्या तथा सभी लोग रोजगार की तलाश में हो,यह एक विडंबना ही है और ऐसे में जब नई तकनीकी प्रविधि (टेक्नोलॉजी) ने मानव श्रम का मूल्य घटा दिया हो तो सब को रोजगार मिले यह केवल एक कल्पित कामना ही है। जब समाज का कोई एक वर्ग जो अपनी सम- विषम परिस्थितियों में किसी तरह से शिक्षार्जन करता है और डिग्री प्राप्त करता तो समाज के विकास की धारा में शामिल हो जाता है या तो रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करा कर भविष्य का चिंतन करता है।

उद्देश्य

१. शिक्षित युवा वर्ग का अध्ययन करके उनकी समस्याओं के कारणों को जानना तथा उसे दूर करने का उपाय खोजना।

२. इन समस्याओं के कारण समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है का अध्ययन करना।

३. वर्तमान में इन शिक्षित युवाओं में बढ़ रहे तनाव,भटकाव,असंतोष का समाजशास्त्रीय आधार पर विश्लेषण करना।

४. इस शोध का प्रमुख उद्देश्य नव युवकों को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करना हे।

उपकल्पना-

१. शोध समस्या के विभिन्न स्वरूप व्यक्ति के शैक्षिक,सामाजिक परिवेश के अनुसार निर्धारित होते हैं।

२. इस समस्या में बाधक तत्व समाज को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं।

३. सरकार द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वे अपूर्ण तथा अपर्याप्त हैं

४. जाति व्यवस्था भी इन शिक्षित युवाओं की समस्याओं को पूरी तरह प्रभावित कर रही है।

शोध प्रश्चना एवं प्रविधि - शोध समस्या का अध्ययन करने के लिए प्राथमिक तथा द्वितीय शोध प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक तथ्यों का संकलन करने के लिए कुछ प्रमुख विधियों जैसे व्यक्तिगत तथा सामूहिक साक्षात्कार,अनुसूची प्रविधियों का प्रयोग किया गया तथा द्वितीयक तथ्यों के संकलन के लिए शोध पत्रिकाएं,पुस्तकें, अन्य शोध अध्ययनों का प्रयोग किया गया है।

समग्र निदर्श का निर्धारण - वर्तमान परिदृश्य में शिक्षित युवाओं की समस्याओं का समाज पर प्रभाव का अध्ययन (कानपुर जिले के संदर्भ में)अध्ययन पर आधारित है कानपुर के विकासखंड चौबेपुर से लॉटरी विधि द्वारा चयनित गांवों से ८० शिक्षित युवाओं का चयन उद्देश्य पूर्ण पद्धति द्वारा किया गया है।

सारणी संख्या -०१

शिक्षा के स्तर के अनुसार उत्तरदाताओं का विवरण

शिक्षा का स्तर	संख्या	प्रतिशत
इन्टर	२०	२५
स्नातक	४४	५५
परास्नातक	१६	२०
	८०	१००

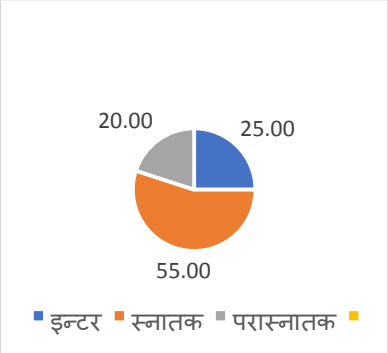

तालिका संख्या.१ में अध्ययन के स्तर के अनुसार उत्तरदाताओं का विवरण प्रदर्शित किया गया है। इस तालिका के विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक ५५ प्रतिशत उत्तर दाता स्नातक स्तर के हैं जबकि २५ प्रतिशत इंटरमीडिएट के हैं वहीं २० प्रतिशत उत्तरदाता परास्नातक स्तर के हैं।

तालिका संख्या -२

लिंग के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण

लिंग	संख्या	प्रतिशत
महिला	५२	६५
पुरुष	२८	३५
	८०	१००

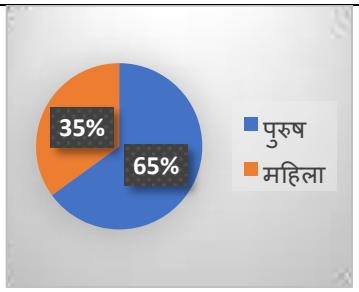

तालिका संख्या २ में लिंगवार प्रतिदर्श में सम्मिलित उत्तरदाताओं में ६५ प्रतिशत पुरुष उत्तरदाताओं के विवरण को प्रदर्शित किया गया है। इस तालिका के विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि प्रतिदर्श में सम्मिलित उत्तरदाताओं में ६५ प्रतिशत पुरुष तथा ३५ प्रतिशत महिलाएं है।

शिक्षित युवाओं की समस्याओं के जो कारण निकल कर सामने आए है वे इस प्रकार है-

१. आर्थिक विकास की मंद गति
२. जनसंख्या वृद्धि
३. दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति
४. भ्रष्टाचार
५. भाई भतीजावाद
६. रोजगार तलाश करने वालों में तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण तथा योग्यता का अभाव
७. शिक्षित लोगों की मांग व पूर्ति में असंतुलन आदि
८. तेजी मंदी का चक्र
९. दोषपूर्ण है योजनाएं
१०. जाति व्यवस्था
११. व्यवसायिक शिक्षा का मंदिर विकास
१२. शिक्षित वर्ग की विचारधारा

शिक्षित युवाओं की समस्याओं का समाज पर प्रभाव का अध्ययन -

प्रस्तुत अध्ययन शिक्षित युवा समस्याओं ने आज हमारे संपूर्ण समाज को इतना प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है कि व्यक्ति,परिवार तथा समाज के जीवन में विघटन की दशा उत्पन्न हो गई है इस दृष्टिकोण से शिक्षित युवा समस्याओं के कुप्रभावों को समझना अत्यंत आवश्यक है। विघटन की इन दशाओं को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है -

१. वैयक्तिक विघटन
२. पारिवारिक विघटन
३. सामाजिक विघटन

१. वैयक्तिक विघटन - शिक्षित युवा समस्याओं के कुप्रभाव में पहला कुप्रभाव वैयक्तिक विघटन के रूप में देखने को मिल रहा है। वैयक्तिक विघटन को सामाजिक विघटन का आधार कर सकते हैं। व्यैक्तिक विघटन की स्थिति उस समय आती जब व्यक्ति अपने पर्यावरण या वातावरण से समायोजन नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति सामाजिक मूल्यों एवं नियंत्रणों का विरोध करता है,फलस्वरूप समाज के विरुद्ध व्यवहार करता है। यदि समय रहते शिक्षित युवा समस्याओं का उचित समाधान न किया गया तो भविष्य में इसके भयंकर परिणाम देखने को मिलेंगे।

ई ० आर० मावर० के अनुसार – व्यैक्तिक विघटन व्यक्ति के उन आचरणों को व्यक्त करता है जो संस्कृति द्वारा अनुमोदित आदर्शों से इतना विचलित होते हैं कि उनमें सामाजिक अस्वीकृति उत्पन्न हो जाती है।

इलियट तथा मैरिल के अनुसार -सामाजिक नियमों तथा संपूर्ण समाज के साथ व्यक्ति का तादात्मीकरण ना होना विघटन है।

लेमर्ट ने व्यैक्तिक विघटन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है आपके अनुसार व्यैक्तिक विघटन वह दशा अथवा प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार, उसकी मुख्य भूमिका के अनुरूप नहीं रहते बल्कि अपनी भूमिका के चुनाव में अनेक भ्रम और संघर्षों का सामना करने लगता है। इस परिभाषा में लेमर्ट ने (क) व्यक्ति की कुशलता तथा उसे प्राप्त होने वाली स्थिति एवं (ख) व्यक्ति की स्थिति तथा उसकी भूमिका के बीज उत्पन्न होने वाले असंतुलन को व्यैक्तिक विघटन का आधार स्वीकार किया है।

इस प्रकार शिक्षित युवा समस्याओं से व्यैक्तिक विघटन के अनेक कारणों जैसे -सामाजिक आदर्श - नियमों से विचलन, प्रस्थिति तथा भूमिका का असंतुलन,अलगाव की भावना,नियमहीनता,मानसिक रोग दोषपूर्ण संगति,आत्महत्या आदि समस्याओं का जन्म होता है जो व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है।

२. पारिवारिक विघटन- शिक्षित युवा समस्याओं के कारण समाज में पढ़ने वाले कुप्रभावों में दूसरा कुप्रभाव पारिवारिक विघटन का है। प्रस्तुत अध्ययन में पारिवारिक विघटन के विषय में वर्णन किया गया है। पारिवारिक विघटन पारिवारिक संबंधों में बाधा डालता है अथवा यह संघर्षों की श्रंखला का वह चरम रूप है जो परिवार की एकता के लिए खतरा पैदा कर देता है। यह संघर्ष किसी भी रूप में हो सकता है। संघर्षों की इस श्रृंखला को पारिवारिक विघटन कहा जा सकता है। पारिवारिक विघटन का तात्पर्य पारिवारिक अव्यवस्था से है,चाहे यह पारस्परिक निष्ठा और पारिवारिक नियंत्रण की कमी से संबंधित हो अथवा व्यक्तिवादीता की वृद्धि से।

इलियट और मैरिल के शब्दों में, पारिवारिक विघटन में हम किन्ही भी उन बंधनों की शिथिलता, असमंजस्य अथवा पृथक्करण को सम्मिलित करते हैं जो समूह के सदस्यों को एक दूसरे से बांधे रखते हैं।

मार्टिन न्यू मेयर के शब्दों में, पारिवारिक विघटन का अर्थ परिवार के सदस्यों में मैतैक्य और निष्ठा का समाप्त हो जाना, अथवा बहुधा पहले के संबंधों का टूट जाना,परिवारिक चेतना का समाप्त हो जाना अथवा पृथकता में विकास हो जाना है।

सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि परिवार में जिस चेतना निष्ठा के आधार पर सदस्य एक दूसरे से बंधे रहते हैं और असीमित दायित्व की भावना को महसूस करते हैं उसी चेतना और निष्ठा का कम हो जाना अथवा इसमें कोई गंभीर बाधा पढ़ना ही पारिवारिक विघटन है। इन समस्याओं के कारण ही पारिवारिक विघटन के अनेक कारणों जैसे पति-पत्नी के बीच असमंजस विवाह विच्छेद की दर में निरंतर वृद्धि बच्चों के लालन पालन पोषण की समस्या परिवार के संस्करण का भंग हो जाना आदि समस्याएं सामने आ रही है।

३.सामाजिक विघटन- वर्तमान में हमारे समाज मे शिक्षित युवा समस्याओं का सबसे बड़ा कुप्रभाव सामाजिक विघटन के रूप में देखने को मिल रहा है। इन समस्याओं के कुप्रभावों का अध्ययन करने से पहले हमें सामाजिक विघटन को समझ लेना अत्यंत आवश्यक है।

सामाजिक विघटन- सामाजिक संगठन में आदत संस्थाएं समितियां आदि शामिल है। सामाजिक विघटन से यह सब अव्यवस्थित हो जाती है। सामाजिक विघटन मानव संबंधों के प्रतिमानों तथा प्रक्रमों में पड़ने वाली बाधाएं है । इसका तात्पर्य व्यक्तियों के बीच प्रकार्यात्मक संबंधों का इस सीमा तक टूट जाना है,जिससे संपूर्ण समूह में अव्यवस्था तथा भ्रम उत्पन्न हो जाता है, भ्रम का अर्थ समूह के सदस्यों में पारस्परिक अविश्वास का बढ़ जाना है। इस प्रकार सामाजिक विघटन की दशा में व्यक्ति अपने कर्तव्य भूल जाते हैं,सामाजिक नियमों का नियंत्रण कम होने लगता है,समाज के विभिन्न अंगों का संतुलन खोने लगता है एवं सामाजिक आदर्श के गिरने लगते है। इसके अतिरिक्त मॉकर ने सांस्कृतिक संपर्क के टूट जाने तथा संस्कृति के विभिन्न पक्षों के बीच होने वाले असंतुलन को सामाजिक विघटन का है।

लेमर्ट के अनुसार -सामाजिक संस्थाओं एवं समूहों के बीच असंतुलन तथा व्यापक संघर्ष पैदा हो जाने का नाम ही सामाजिक विघटन है।

फैरिस ने कहा है,कि सामाजिक विघटन व्यक्तियों के बीच प्रकार्यात्मक संबंधों के उस मात्रा से टूट जाने को कहते हैं जिससे समूह के स्वीकृत कार्यों को करने में बाधा पड़ती है।

इस प्रकार उपरोक्त कथनों के आधार पर कहा जा सकता है कि युवाओं की समस्याएं हमारे समाज के किसी एक क्षेत्र को प्रभावित ना करके समाज के संपूर्ण पक्ष को प्रभावित कर रही है। यदि समय रहते उनका उचित समाधान न किया गया तो आगे चलकर यह समस्याएं समाज के लिए भयंकर परिणाम लाएंगे।

जिस तरह प्रत्येक बीमारी को कुछ बाहरी लक्षणों की सहायता से पहचाना जा सकता है उसी प्रकार सामाजिक विघटन की अवधि में तथा उससे पहले कुछ ऐसी दशाएं उत्पन्न हो जाती है,जिनके आधार पर एक समाज में विघटन की प्रकृति तथा सीमा का अनुमान लगाया जा सकता है। विघटन की इस अवस्था में युवाओं में अनेक सामाजिक कुरीतियों जैसे- हत्या, चोरी,डकैती,मद्यपान आदि उत्पन्न होने लगती हैं

शिक्षित युवा समस्याओं के कुप्रभाव को दूर करने के सुझाव –

यदि हम अपने समाज को स्वस्थ, सशक्त समाज बनाना चाहते हैं तो हमें इन युवाओं की समस्याओं को दूर करने के सर्वप्रथम प्रयास करने पड़ेंगे। युवाओं की इन समस्याओं को दूर करने के लिए व्यक्ति, समाज और सरकार इन तीनों के संयुक्त सच्चे प्रयास की जरूरत है। अनेक प्रयासों के द्वारा इन युवाओं की समस्याओं को काफी हद तक दूर किया जा सकता है-

शिक्षित युवाओं की समस्याओं के कुप्रभाव को दूर करने के सुझाव -

१. शिक्षा पद्धति में सुधार किए जाएं
२. जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए
३. रोजगार दफ्तरों की स्थापना की जाए
४. देश की वर्तमान अर्थव्यवस्था में सुधार होना चाहिए
५. व्यवसायिक शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए
६. आईटी हब बनाए जाएं
७. मुद्रा ऋण योजना को जरूरतमंद लोगों तक आसानी से उपलब्ध कराया जाए
८. रोजगार के नवीन अवसर उत्पन्न किए जाएं
९. शिक्षित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए
१०. ग्रामीण औद्योगीकरण को प्रोत्साहन दिया जाए।

निष्कर्ष- प्रस्तुत अध्ययन शिक्षित युवा समस्याओं का समाज पर प्रभाव का अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलकर सामने आया है कि शिक्षित युवा और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, इनके अनेक कुप्रभावों जैसे - व्यैक्तिक,परिवारिक और सामाजिक विघटन के अंतर्गत हत्या, आत्महत्या चोरी,डकैती,मद्यपान,तलाक, विवाह-विच्छेद,विचलन,आदर्श हीनता आदि को अनेक प्रयासों के द्वारा दूर किया जा सकता है और एक स्वस्थ, सुदृढ़ और विकसित समाज तथा राष्ट्र की स्थापना की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ-

१. गोरे एम. एस. (१९७७)इंडियनयूथ रूप्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, विश्व युवा केंद्र,नई दिल्ली.
२. मिश्रा वी. डी.(१९९३) यूथ कल्चर रूए कंपैरेटिव स्टडी इन द इंडियन कांटेक्ट,इंटरइंडिया पब्लिकेशन,नई दिल्ली
३. बाक,डिक्टर (१९८१), क्राइसिस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ.
४. चंद्र,एस.एस. (२००२) भारत में सामाजिक समस्याएं, कनिष्का पब्लिशर्स रूनई दिल्ली
५. शर्मा,आर. एन.एवं शर्मा आर.के. (२००२) सामाजिक विघटन,एटलांटिक पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटस
६. आहूजा राम.सामाजिक समस्याएं,रावत पब्लिकेशन द्वितीय संस्करण,जयपुर एवं नई दिल्ली, २००१
७. कैरियर दर्शन (रोजगार समाचार)
८. टॉपर. कॉम
९. योजना (हिंदी पत्रिका)
१०. हिंदी बैग. कॉम

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, December 2022, Volume-14 Issue-23

गडचिरोली जिल्ह्यातील मस्त्यशेतीचा विकास

डॉ. वनश्री न लाखे

भूगोल विभाग प्रमुख) सरदार पटेल महाविद्यालय, गंजवार्ड, चंद्रपूर.

Email- vanashrilakhe@gmail.com

DOI- 10.5281/zenodo.7524361

सारांश :-

मानवाच्या दैनंदिन जीवनमानच्या गरजातील अतिशय महत्वाची गरज अन्नाची आहे याशिवाय मानवी जीवनाचा विचार करता येत नाही मानवी स्वास्थ्याकरिता कर्बोदके प्रथिने स्निग्ध व इतर पोषक जीवनसत्वाची आवश्यक्यता असते. हे पोषक तत्वे दैनंदिन आहारातून प्राप्त केले जातात.याद्वारे प्रमुख अन्न घटकांची गरज पूर्ण होत नसल्याने हे पोषण तत्व प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने यास आधार म्हणून जे अन्न सेवन करतात त्यास पूरक अन्न असे म्हणतात. मासे यास पूरक अन्न म्हणून संबोधण्यात येते यामध्ये 22 टक्के प्रथिने प्राप्त होतात. मासे मानवी जीवनात अत्यंत उपयुक्त असून त्यावर मानवी जीवनाचा स्तर अवलंबून असतो याचाच अर्थ असा की पूर्वी वंशपरंपरेनुसार हा व्यवसाय करणारे कोळी मत्स्य व्यवसाय हंगामी काळातच करत होते,त्यामुळे त्यांना वर्षातील 3 ते 4 महिने हा व्यवसाय करावा लागत असे यात त्यांच्या प्राथमिक गरजाही पूर्ण होत नसे. त्या दृष्टीने मत्स्य शेतीच्या लागवडीस प्रोत्साहन देण्यास आले .या दृष्टीने महाराष्ट्रातील अतिपूर्वेकडील गडचिरोली जिल्ह्याचा अभ्यास क्षेत्र म्हणून निवड करण्यात आली. त्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील अतिपूर्वेकडील त्या दृष्टीने गडचिरोली जिल्ह्यातील मत्स्य शेती विकासाचा सुखल अभ्यास करण्यात येईल. प्रस्तुत संशोधनासाठी जिल्ह्यातील विविध माहिती स्त्रोतांचा व सांख्यिकीय आकडेवारीच्या आधारावर माहितीचे विश्लेषण द्वितीय स्त्रोताच्या आधारावर करण्यात येईल.

गडचिरोली जिल्ह्यात मत्स्य शेतीचा विकास व बदल याचा संशोधनात्मक दृष्ट्या अभ्यास करण्याच्या उद्देशाने हा विषय निवडण्यात आलेला आहे तसेच या जिल्ह्यात पारंपरिक शेतीवरच अवलंबून न राहता यास पूरक व्यवसाय म्हणूनही उपयोग करता येईल.

प्रस्तावना :-

प्राथमिक आर्थिक क्रियेतील अतिशय महत्त्वाचा व्यवसाय म्हणजे कृषी होय महाराष्ट्रात जवळ जवळ 70 टक्के लोकसंख्या कृषी प्राथमिक क्षेत्रात कार्यरत आहे त्यातही मोठ्या प्रमाणात विदर्भ प्रांतातील चंद्रपूर गडचिरोली जिल्ह्यातही मोठ्या प्रमाणात कृषी क्षेत्राचा विकास दिसून येतो. त्यातील मोठ्या प्रदेशात जलप्रणालीचा विकास झालेला असून या मोठ्या नदीच्या खो-यात वैनगंगा गडचिरोली जिल्हा वसलेला असून या क्षेत्रात मस्त्य शेती या प्राथमिक आर्थिक व्यावसायिक क्रियेचा समावेश केलेला आहे. यात गडचिरोली जिल्ह्यातील मस्त्य शेतीच्या विकासाचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.

मस्त्य शेती म्हणजे काय? भारतीय कृषीचे अवलोकन केले असता केवळ मात्र अन्नधान्य पिकांचे उत्पादन देण्याच्या क्रियेलाच कृषी क्रिया म्हणण्याची प्रथा प्रचलित आहे. परंतु आजच्या या 21व्या शतकाच्या उंबरठ्यावर मोठ्या प्रमाणात कृषी आधुनिक तंत्रज्ञान व पद्धतीचा वापर करण्यात येतो. गडचिरोली जिल्ह्यात वर्तमान काळात मस्त्य शेती हा प्रमुख व्यवसाय बनून राहिलेला आहे. जनतेचा कल या व्यवसायाकडे वळविण्याचा प्रयत्न शासन करीत असून या व्यवसायाकरिता शासन नवनवीन योजना राबविण्याचा प्रयत्न करीत असून विशेष गडचिरोली जिल्हा आदिवासी जिल्हा असल्याने या जिल्ह्यात 30 टक्के बिगर आदिवासी व 70 टक्के आदिवासी लोकसंख्या निवास करते. आदिवासीच्या कृषी व्यवसायाकरिता शासनाच्या वतीने जिल्ह्यात कृषी कर्ज मत्स्यबीज नायलॉन जाळी आणि वाहतूक व्यवसाय करिता साधन सुविधा आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांमार्फत पुरविण्यात येतात.

जिल्ह्यात अनेक व्यवसाय केले जात असून या व्यवसायांच्या तुलनेत मस्त्य शेती या व्यवसायामध्ये भांडवल खर्च कमी होतो त्यामानाने आर्थिक लाभ अधिक होत असल्याने या जिल्ह्यातील आदिवासी कृषी चा भूमि धारकांचा कल इतर व्यवसायांच्या तुलनेत मत्स्य शेतीकडे अधिक कललेला आहे तसेच या ठिकाणची भौगोलिक परिस्थिती मत्स्य शेती पोषक असल्यामुळे या ठिकाणी यंत्रणा उत्पादनास पोषक आहे.

व्याख्या :-

1) भा.वी.थिटे: "मत्स्य शेती म्हणजे उपलब्ध झाल्यास यामध्ये मस्याचे संगोपन करून त्यांचे संवर्धन केले जाते मस्त्यशेती असे म्हणतात"
2) डॉक्टर मनोहर शिवराम चांडगे: "पाण्याच्या साठ्यात माशांची योजना पूर्वक वाढ करण्यासाठी अत्यंत अनुकूल अशी परिस्थिती मुद्दाम निर्माण करणे व अशा परिस्थितीत योग्य प्रमाणात मासे सोडून व त्यांना अन्न

देऊन त्यांचे जास्तीत जास्त उत्पादन काढणे या व्यवसायात मत्स्य शेती असे म्हणतात"

उद्देश :-

१) गडचिरोली जिल्ह्यातील मत्स्य शेतीचा विकास अभ्यासणे

२) जिल्ह्यातील मत्स्य शेतीचे व्यवस्थापन अभ्यासणे

अभ्यास क्षेत्र :-

कोणत्याही प्रदेशातील एखाद्या बाबीचा अभ्यास

करण्याकरिता त्या क्षेत्रातील भौगोलिक व इतर घटकांचा आढावा घेण्याकरिता अभ्यास क्षेत्र निश्चित करणे अगत्याचे असते प्रस्तुत लघुशोध निबंधात गडचिरोली जिल्ह्याच्या अभ्यास क्षेत्राविषयी माहिती बघितली आहे. त्या प्रदेशाच्या विकासावर येथील भौगोलिक क्षेत्रांचा व पर्यावरणाचा सखोल प्रभाव पडताना दिसून येतो. जिल्ह्याच्या विभाजनानंतर मागास भागाचा विकास करण्याकरिता महाराष्ट्राचा 29 वा नवीन जिल्हा गडचिरोली तयार करण्यात आला यात 1661 गावाचा समावेश होतो या जिल्ह्यांच्या भौगोलिक विस्तार 18º41' व 20º 50' उत्तर अक्षांशात व 71º 46' व 80º 55' पूर्व रेखांशात आहे याच्या पश्चिम दिशेने वरून वैनगंगा व दक्षिणेस प्राणहिता गोदावरी व इंद्रावती नदी वाहताना दिसून येते. या जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ १५४३३ चौ. किमी असून ते महाराष्ट्राच्या ५.०१ प्रतिशत आहे.

इसवी सन 2011 च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्यात 10,72, 942 एकूण आणि ग्रामीण लोकसंख्या 9,54,909 आहे यात नागरी प्रमाण 1,18,033 असून लोकसंख्येची घनता प्रति चौरस किमी 67 आहे जिल्ह्यात एकूण १६७९ तलावांची संख्या असून त्यांनी 7,504.23 सेक्टर क्षेत्र व्यापले आहे.

भौगोलिक घटक :-

गडचिरोली जिल्ह्याच्या भूरुपावरून १. टिपागड व चीरोलीचा डोंगराड प्रदेश, २. वैनगंगा नदिचे खोरे, ३. आग्नेयकडील टेकड्यांचा प्रदेश व ४. दक्षिणेकडील नद्यांचे मैदान असे चार प्राकृतिक विभाग पडतात.

संपूर्ण जिल्हा गोदावरी नदी प्रणालीत मोडतो. जिल्ह्याच्या मध्यभागी आयताकार व दक्षिण भागी जाळीदार प्रवाहप्रणाली आढळते. जिल्ह्याच्या उत्तर भागी तलावांची संख्या जास्त आहे.

तापमान व पर्जन्यमान :-

गडचिरोली जिल्ह्यातील हवामान आद्र व उष्ण स्वरूपाचे असल्याने हवामानाच्या बाबतीत विविध दिसून येते जिल्ह्या त तीनही ऋतूत मोठ्या प्रमाणात कृषी व्यवसाय केला जातो जिल्ह्यातील उष्णता मान बघता सरासरी प्रकारचे उन्हाळे दिसून येतात जिल्ह्यात सर्वाधिक तापमानाची नोंद मे महिन्यात करण्यात येते जिल्ह्यातील मे महिन्याचे सर्वाधिक तापमान जवळपास 41 °सेल्सिअसच्या दरम्यान दिसून येते तसेच हिवाळ्याचे तापमान 30°c असते.

जिल्ह्यातील पर्जन्य मानाचा विचार केला असता गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वसाधारण पर्जन्य 140 ते 150 सेंटीमीटर पडते यातील 50% ते 10 टक्के पर्जन्य जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर महिन्यात सरासरी 40 ते 70 दिवसात संपूर्ण पाऊस पडतो जिल्ह्यातील चिरोली टेकड्यांच्या परिसरात सर्वाधिक पावसाच्या नोंदी करण्यात येत असून इसवी सन 2011 ला 160 सेंटिमीटर पावसाची नोंद करण्यात आली तर इसवी सन 2021 ला याच भागात 180 सेंटिमीटर पर्जन्यमानात वाढ झालेली दिसून येते.

गडचिरोली जिल्हयातील सरासरी पर्जन्य वितरण

अ. क्र.	तालुके	सरासरी पर्जन्य mm
१	गडचिरोली	१४५२
२	आरमोरी	१३५६
३	कुरखेडा	१४५२
४	धानोरा	१६६२
५	एटापल्ली	१३६८
६	सिरोंचा	११५९
७	अहेरी	१३६८
८	चामोर्शी	१४५२
९	वडसा	
१०	कोरची	१५५२
११	भामरागड	१३६८

१२	मुलचेरा	१४५२

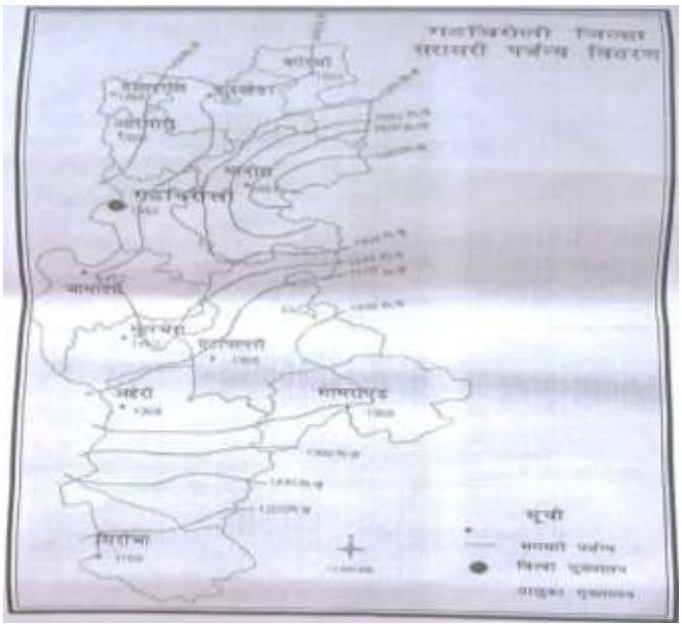

मृदा :-

जिल्ह्यातील गोदावरी किनाऱ्यावरील सिरोचा भाग व ऐटापल्ली च्या दक्षिणेकडील भाग या तालुक्यांमध्ये भारी गाळाची काळी व सुपीक मृदा दिसून येते ईशान्य भागातील चिकन मातीची जमीन मृदेत लोह खनिजांचे मृदा कण तसेच मॅग्नीज चुनखडी अशुद्ध लोखंड व दगडी कोळसा इत्यादी खनिजे आहेत अशा प्रकारची चिकन गाळाची लालसर रेताळ व खनिजे युक्त मृदा गडचिरोली जिल्ह्यात आढळून येते यात जलकण साठवून ठेवण्याची क्षमता सर्वाधिक असते.

जलसंपत्ती :-

मासे हे जलचर प्राणी असल्यामुळे पाण्याशिवाय मासा जगू शकत नाही. मत्स्य शेतीचा अभ्यास करताना ही शेती जिथे करायची त्या पाण्याच्या साठ्याचा अभ्यास करणे आवश्यक असते जिल्ह्यातील जनप्रणालीचा मत्स्य शेतीवर खोलवर प्रभाव पडलेला दिसून येतो गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रमुख नद्यांमध्ये वैनगंगा ही नदी गडचिरोली जिल्ह्याच्या पश्चिम सीमेवरून उत्तर दक्षिण वाहत येणारी खोब्रागडी,पाल,काढणी या नद्या वैनगंगेस मिळालेल्या आहेत. पोटफोडी नदी व पूर नदी ही सुद्धा वैनगंगेस मिळते जिल्ह्यात वृक्षाकार नदी प्रणाली असून वैनगंगा, प्राणहिता, गोदावरी व इंद्रावती आणि पामुलगौतम, पलीकोट व बंदिया इत्यादी उपनद्या आहेत.

गडचिरोली जिल्ह्यातील मस्त शेतीचा विकास :-

आजच्या आधुनिक काळातील वाढत्या लोकसंख्येचा दर व लोकसंख्येच्या गरजेचा विचार केल्यास अन्न उत्पन्नात तुटवडा भासत असल्याने पूरक अन्न म्हणून माशांचा वापर केला जातो त्यामुळे मस्त शेतीचा विकास करणे अगत्याचे ठरते 26 ऑगस्ट 1982 ला चंद्रपूर गडचिरोली जिल्ह्याचे विभाजन करण्यात आले.इसवी सन 1982 ते 1985 पर्यंत गडचिरोली जिल्ह्यातील मत्स्य शेती चंद्रपूर जिल्हा अंतर्गत असल्याने मत्स्य उत्पादनाची स्वतंत्रपणे नोंद आढळून येत नाही.या कालावधीत शासकीय मत्स्यबीज केंद्र उपलब्ध नव्हते.इसवी सन 1985 ला जिल्ह्यामध्ये केंद्र पुरस्कृत 'मत्स्यसंवर्धक विकास यंत्रणा' ही योजना राबविण्यात आली.या जिल्ह्यात सहकारी क्षेत्रात व खाजगी क्षेत्रात मत्स्य जिरे आणि मत्स्यबीज 1986 ते 87 या वर्षापासून स्थानिक रित्या सुरू करण्यात आले आहे जिल्ह्यात खाजगी क्षेत्रात या विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली 435 हेक्टर जलक्षेत्रात मत 26 संघपन केंद्र निर्माण करण्यात आले आहे हे विदर्भ विभागात एकमेव खाजगी क्षेत्रातील मत्स्यबीज केंद्र आहे यात मत्स्यबीस संगोपनाबरोबरच झिंगा उत्पादन हा कार्यक्रम होत असून सन 1996 ते 97 वर्षात दर हेक्टरी 750 किलो झिंगा उत्पन्न झाले.

गडचिरोली जिल्ह्यातील वार्षिक मत्स्य उत्पादन वर्ष 1986 2020

इसवी सन 1986 मध्ये जिल्ह्यात 1100 टनात एकूण मत्स्य पिकाचे उत्पादन गोड्या पाण्यात घेण्यात आले.तर अनुक्रमे 2001 ला 800 मीटर ,२०११ ला १७५० मीटर ,2015 ला 1528 मीटर मत्स्य पिकाचे उत्पादन होते. तसेच इसवी सन 2020 ला 1632 त्यांना उत्पादन घेण्यात आले होते हे सर्व उत्पादन जिल्ह्यात घेण्यात येते.

संगोपन तळी :-

गडचिरोली जिल्ह्यात 1980 ते 87 वर्षापासून मत्स्यबीज संगोपन स्थानिक रित्या सुरू करण्यात आले आहे

जिल्ह्यात खाजगी क्षेत्रात या विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली 435 हेक्टर्स जलक्षेत्रामध्ये मत्स्यबीज संगोपन केंद्र सुरू आहे. मत्स्यबीज चे 8 मीमी किंवा 12 ते 25 मीमी पर्यंत संगोपन करण्याकरिता संगोपन तळी आयताकृती 0.02 ते 0.04 हेक्टर असते.

संवर्धन तळी :-

15 ते 20 आकाराच्या मत्स्यबीज हे वेगवेगळ्या संवर्धन तलावात वाढवून 50 ते 100 मिलिमीटर आकाराचे मत्स्यबीज हे वेगवेगळ्या काळात संगोपन करून बोटू कळयांच्या स्वरूपात तळयात सोडण्यात येते गडचिरोली जिल्ह्यातील मत्स्यबीज निर्मिती व मत्स्यबीज संचयन वर्ष निहाय 1986 2020 संदर्भसंवर्धन विकास यंत्रणा गडचिरोली गडचिरोली जिल्ह्यातील मत्स्य जिरे निर्मिती व मत्स्यबीज संचय केंद्र दर्शविण्याकरिता मत्स्यबीज निर्मिती वर्ष 1986 ला 30 लाख व 1991 ला 144 लक्षात निर्मिती व 90 लक्षात मत्स्यबीस संचयन झालेले आहे. तर 1998 ला 195 लक्षात निर्मिती व 107 मत्स्यबीज लक्षात झाले यातून मोठ्या प्रमाणात मत्स्य पिकाचे उत्पादन शेती तळयातून निर्माण करण्यात आले तसेच इसवी सन 2020 ला 300 मत्स्यजिरे लक्षात 130 हेक्टर लक्षात संचयन करण्यात आले वर्षानुसार याच मत्स्य जिऱ्याचा उत्पादनात वाढ होताना दिसून येते.

व्यवस्थापन :-

मत्स्य उत्पादनासाठी प्रचंड मोठ्या जलक्षेत्राची गरज असते त्यापासून वाजवी प्रमाणात मत्स्य यांचे उत्पादन घेण्यात येते त्याकरिता खालील प्रमाणे व्यवस्थापन करणे आवश्यक असते

1) मत्स्य शेती तळे: सदन कृषी भूमी घटकासाठी जास्तीत जास्त एक ते दोन हेक्टर पर्यंतच्या विस्ताराची तळी वापरली जातात लहान तळी व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने सुलभ असतात या दृष्टिकोनातून वर्तमान काळात शासनाने गडचिरोली जिल्हा करताना असे संवर्धन यंत्रणेद्वारा तळे मांडण्याचा कार्यक्रम ठरविला राबविला आहे .

2) मत्स्यबीज केंद्र: मत्स्यबीज केंद्रात अधिकार अधिकाधिक जिल्ह्यांचे संगोपन करून बोटू कोळी समिती खात्याअंतर्गत उबवणी केंद्र व उपयोग शाळेची व प्रयोगशाळेची सुविधा असणे बंधनकारक आहे

निष्कर्ष :-

1) गडचिरोली जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती मस्त शेतीस अनुकूल असल्याचे निदर्शनास येते.

2) इसवी सन 1986 च्या आकडेवारीचे निरीक्षण केले असता यात वाढ झाली असून यात वाढ करण्याकरिता मोठ्या प्रमाणात सोयीचा अभाव असल्याचे निदर्शनास येते.

3) गडचिरोली जिल्ह्यात मत्स्य सहकारी संस्था स्थापित करण्यात आलेल्या असून याद्वारे मत्स्य शेतीच्या विकासात योग्य निष्कर्ष प्राप्त होताना दिसून येतात.

4) गडचिरोली जिल्ह्यात मत्स्य शेती व्यवस्थापन उत्तम दर्जाचे असून या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याची गरज आहे.

उपाय योजना :-

1) गडचिरोली जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार केल्यास उपयुक्त भौगोलिक क्षेत्रात मस्त्यबीज उत्पन्नात वाढ करण्यात यावी.

2) गडचिरोली जिल्ह्यातील मस्त्य उत्पादनात वाढ करण्याच्या दृष्टीने त्या ठिकाणी खाजगी व सहकारी मोठ्या प्रमाणात मत्स्य शेती बांधून देण्यात आली.

3) मस्त्य उत्पादनाच्या सभोवतालच्या कृषी भूमीचा उपयोग वृक्षारोपणासाठी करण्यात यावा तसेच उपयुक्त वृक्षाची लागवड करून आर्थिक उत्पादनात वाढ करण्यात यावी.

4) मस्त्यना रोगाची लागण होऊ नये याकरता शासनामार्फत पूर्ण पुरविण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय सेवांचा लाभ घेण्यात या तसेच तपासणी करण्यात यावी.

5) शासनाने पुरविलेल्या भांडवलाचा योग्य प्रमाणात नियोजन करण्याकरिता कार्यकारणी असणे आवश्यक असते करिता गैरसहकारी कल्याणा तंत्राचा वापर करण्यात यावा.

संदर्भ ग्रंथ :-

1)गोड्या पाण्यातील मस्त शेती - र.ह.जोशी , भा.वी. थिटे

2) बांधातळी पिकवा माशा मत्स्य व्यवसाय विभाग आयुक्त तारापूर वाला मुंबई

3) जिल्हा गडचिरोली पाटबंधारे विषय पुस्तक १९९५ - .चंद्रपूर जिल्हा विशेष कृती कार्यक्रम समिती प्रकाशित.

4)आदिवासींच्या जलद विकासाचा कार्यक्रम कृती

5) कृषी संध्या शेतकरी मासिक 1997

6) महाराष्ट्रातील जिल्हे - दीपक भागवत

7) इकॉनॉमिक्स झूलॉजी - डॉक्टर जावेद आश्रम अँड कंपनी लिमिटेड रामनगर न्यू दिल्ली (11 ते 55)

8) सामाजिक आर्थिक समलोचन वर्ष 2020 - महाराष्ट्र प्रदेश वेबसाईट ऑनलाइन प्रकाशित जिल्हा नियोजन विभाग प्रकाशित

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, December 2022, Volume-14 Issue-23

वैश्विक संकट के दौर में भारत के किशोरो में बढ़ती नशे कि प्रवृत्ति

पर्वत कुमार कृष्णा[१] डॉ. अनिता सामल[२]

[१]शोधार्थी पी. एच. डी. (राजनीति विज्ञान) कलिंगा विश्वविद्यालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

[२]शोध निर्देश - प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान) कलिंगा विश्वविद्यालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

DOI- 10.5281/zenodo.7524371

सारांश - अध्ययन में पाया कि, युनिसेफ के एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर पांचवा व्यक्ति किशोर है। देश में लगभग ३० करोड़ से अधिक किशोर वर्ग कि जनसंख्या है। वैश्विक दृष्टि से भारत में सबसे अधिक किशोर जनसंख्या निवास करती है। जिस कारण भारत किशोरों का देश है। किशोर वर्ग किसी भी राष्ट्र में भावी पिढ़ी के रूप में देश का कार्यबल एवं उर्जाशक्ति होता है। गंभीर मुद्दा यह है, कि विश्व के अनेक देशो के साथ - साथ भारत में भी इस कार्यबल का बहुत बड़ा भाग, विभिन्न कारणों से नशीले पदार्थो के सेवन कि ओर प्रवृत्त हो चुके हैं और इसकी संख्या वर्ष दर बढ़ती जा रही है। वर्तमान में भारत के नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो के आंकडों के अनुसार, १० करोड़ से ज्यादा लोग ड्रग के शिकार हैं। जिसमें ज्यादातर लोग किशोरवर्ग एवं युवावर्ग के हैं। ऑल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एक रिपोर्ट के अनुसार, ४.५ लाख बच्चे ड्रग कि लत से ग्रसित है। नशे कि प्रवृत्ति से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को होने वाले नुकसान सर्वविदित है। जैसे कि नशे कि आदत से किशोरों, बच्चों और युवाओं में होने वाले नुकसान, जीवन प्रत्याशा में कमी, गम्भीर रोग से ग्रस्त होना, भ्रमित जीवन, आर्थिक हानी व अपराध अभिमुख होना, समाजिक अलगाव आदि प्रमुख है। नशे का मानव जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनो तरह से प्रभाव पडता है। समकालिन समाज में नशें की स्थिति को सकारात्मक भ्रष्ट रूप कहा जा सकता है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नशे के उपयोग को अभिजन वर्गो ने व्यवहारिक रूप दे दिया है। अब समाज का समान्य स्वरूप नशे के अतिप्रचलन से भ्रष्ट रूप में परिवर्तित हो रहा है। जिसे नियंत्रित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है एवं कानूनी प्रावधान भी लागू है। लेकिन किशोरो के नशे कि ओर प्रवृत्त होने और दुर्घटनाओं व अपराधिक घटनाओं की संख्या में वृद्धि को देखते हूए इसे प्रयाप्त समझना सार्थक नहीं है। इसके लिए सरकार के नीति - नियमों में सुधार, नैतिक आंदोलन और कठोर नियंत्रण व्यवस्था कि आवश्यकता है।

मुख्य शब्द - ड्रग, प्रभाव, चेतना, रूढ़िवाद, नकारात्मक विचार, नीति, अभिजन वर्ग।

प्रस्तावना - "भारत आज उस स्थिति में पहूंच गया है, जहां वह अपने हजारों सालो के इतिहास में नहीं पहूंचा था, वह स्थिति है भ्रष्टाचार कि, अपराध कि और अव्यवस्था कि।" - विधिवेत्ता पालकीवाला

भारत किशोरों का देश है, क्योंकि यहां विश्व कि तुलना में सबसे अधिक किशोर जनसंख्या निवास करती है। किशोरों और बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया **जुवेनाइल जस्टिस एक्ट** के धारा २, के अर्न्तगत, किशोर कि परिभाषा, "१८ वर्ष से कम आयु वर्ग के लडके व लडकियां किशोर है"। इस अवयस्क अवस्था में किशोरो के साथ हूए अपराध को किशोर अपराध कहा जाता है। विभिन्न कारणों से भारत में किशोरों कि विशाल जनसंख्या नशे के लत के भंवर में फस चुकी है और सरकारी आंकडों के अनुसार, नशे कि ओर प्रवृत हो रहे किशोरो कि संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही हैं। प्रति साल लगभग २.५ लाख लोग ड्रग के सेवन से जान गंवा देतें हैं। युनाईटेड नेशन के ड्रग एण्ड क्राइम रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रतिदिन नशे के कारण १० मौतें होती है। ऐतिहासिक रूप से नशे का प्रचलन लोगो के बीच औषधी के रूप में होता था, फिर इसका उपयोग खुशी, मातम और अय्याशी कें कार्यक्रमों में होने लगा। नशा प्रवृत्ति नशीले पदार्थो के सेवन का आदी होना है। इन पदार्थो में शराब, तम्बाखू, सिगरेट, हिरोइन, ड्रग्स व नशा उत्पन्न करने वाला इंजेक्शन व दवाई प्रमुख है। नशा चाहे किसी भी प्रकार का हो, यह मानव शरीर में बायोलॉजिकल इफेक्ट उत्पन्न करता है और मानव शरीर के अन्दर पोषक तत्वों के बैलेंस को असंतुलित कर देता है। जिसका प्रभाव विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, परिवारिक, आर्थिक व सामाजिक समस्याओं के रूप में सामने आती है। नशे के प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति के साथ - साथ

समाज व राष्ट्र को भी गंभीर नुकसान होता है। जिसमें जीवन क्षय, गम्भीर बिमारी, भ्रम, आत्महत्या कि प्रवृत्ति का सूत्रपात होना, परिवारिक कलह, नैतिक पतन, सड़क दुर्घटना, समय व धन का नुकसान, अवसाद और अपराध अभिमुख होना आदि शामिल है। नशे के कारण किशोरो में अपराधीकरण कि प्रवृत्ति का विकास और आये दिन घटित होने वाली अपराधिक घटनाएं चिंतनीय है। नशीले पदार्थो के गुणों के अनुसार, उसके नुकसान व प्रभाव भी पृथक - पृथक होते हैं।

उद्देश्य - १. किशोरों में नशे कि प्रवृत्ति के कारणों का अध्ययन करना।

२. किशोरों में नशे के प्रभाव का अध्ययन करना।

महत्व - भारत कि गणना विश्व में निम्न आय वर्ग के देशो में कि जाती है। ज्यादातर लोगो को अपने दैनिक आवश्यकताओं के लिए कठिन परिश्रम करना पडता है। यहां कि विशाल जनसंख्या में लगभग ३० करोड़ कि अबादी किशोर वर्गो कि है। जो कि शिक्षा के अभाव, अनैतिक वातावरण, अतिमहत्वकांक्षा आदि विभिन्न कारणों से नशा जैसे सामाजिक कुरूति के जाल में फसकर जीवन बर्बाद कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन वेब न्यूज, सोशल मीडिया, अखबारो में छपने वाले खबरें, जिसमें नशे के कारण घटित घटनाओं का उल्लेख रहता है, जो कई समाजिक पहलूओं को उजागर करती है। और समाज में फैल रहे नशे कि गम्भीर समस्या कि ओर ध्यान खिंचती है। नशे के कारण सड़क दुर्घटना, परिवारिक कलह, किशोरों में अपराध कि प्रवृत्ति आदि में वृद्धि साधारण सी लगने लगी है। इन गम्भीर समस्या के निदान के सन्दर्भ में प्रस्तुत अध्ययन का विशेष महत्व है।

परिकल्पनाएं - १. भारत में नशे कि प्रवृत्ति से ग्रसित किशोर वर्गो कि संख्या में वृद्धि हो रही है।

२. किशोर वर्गो के अपराधीकरण में नशा आदतों का योगदान है।

प्रविधि - वर्णात्मक प्रविधि अंतर्गत द्वितीयक समंकों का उपयोग किया गया है। **मूल्यांकन** - किशोरों में नशे कि प्रवृत्ति के मुख्य कारकों को नम्नलिखित बिन्दुओं में विभाजित किया जा सकता हैं।

१. **सामाजिक कारक** -

(१) परिवारिक कारण :- यदि घर परिवार में कोई सदस्य या रिश्तेदार नशे का आदी है, तो उसे देखकर परिवार के दूसरे सदस्य भी नशे के पाश में फंस सकते हैं।

(२) सामाजिक परिवेश :- किशोरों के नशे के आदी होने और अपराध कि ओर जाने में सामाजिक परिवेश कि भूमिका महत्वपूर्ण है। सामाजिक परिवेश में दोस्तों, परिचितों व अजनबियों कि आकर्षक भूमिका से किशोरों में नशे का लत व अपराध वृत्ति का विकास हो सकता है।

२. **आर्थिक कारक** -

(१) सम्पन्नता :- सम्पन्न वर्गो के किशोर अय्याशी और पश्चिमी सभ्यता को प्राथमिकता देने के कारण नशे के आदी हो जाते हैं।

(२) आमदनी :- निम्न आय वर्ग के किशोरो में आमदनी कि लालसा और अति महत्वकांक्षा नशे के आदी बनाने और अपराध के ओर खिंचने में महत्वपूर्ण कारक साबित हो रहे हैं।

३. **राजनीतिक कारक** -

(१) वोट बैंक :- भारत में राजनीति के अपराधीकरण से इंकार नहीं किया जा सकता। अपराधी प्रवृत्ति के नेताओं द्वारा किशोरों को भावी वोट बैंक के रूप में देखते हूए, उन्हें नशे व अपराध के दलदल में फसानें कि रणनीति अपनाते हैं।

(२) अभिजनवादी व्यवस्था :- सत्ता के विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत गांधी के आदर्श ग्रामों में शराब दुकानों का औचित्य अप्रासंगिक है। गांव - गांव में शराब दुकानों का खुलना और शासन द्वारा संचालन अभिजनवादी व्यवस्था कि देन है। जिसने सभी वर्गो के लिए नशे तक पहूंच को आसान बना दिया है, और किशोरों व बच्चों में नशे कि आदतों के विकास होने के कारण गांव एवं शहर

दोनों नशे के प्रभाव व प्रवृत्ति के क्षेत्र में एक सा हो गए हैं।

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	शराब बिक्री से सरकार को राजस्व कि प्राप्ति वृद्धि (करोड़ में)
१	२००० - २००१	५६०
२	२००१ - २००२	६०६
३	२००२ - २००३	७२५
४	२००३ - २००४	७०८
५	२००४ - २००५	८५८
६	२००५ - २००६	१०२४
७	२००६ - २००७	११३३
८	२००७ - २००८	१३०१
९	२००८ - २००९	१४२०
१०	२००९ - २०१०	१६४३
११	२०१० - २०११	२०२७
१२	२०११ - २०१२	२५३३
१३	२०१२ - २०१३	२८६९
१४	२०१३ - २०१४	३१५१
१५	२०१४ - २०१५	३४२२
१६	२०१५ - २०१६	४२५९
१७	२०१६ - २०१७	४२४३
१८	२०१७ - २०१८	४८१६

सारणी - दिल्ली में शराब से प्राप्त राजस्व।
स्त्रोत - आबकारी मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग दिल्ली कि वेबसाइट से।

(३) विज्ञापन :- ज्ञान व चेतना के अभाव में मनुष्य मन का दास होता है। अभिजनवादी संस्कृति मनुष्य को उत्पादो का दास बना देती है। किशोर व बच्चो का एक बड़ा समुह नशे के लुभावनों विज्ञापनों के आकर्षण में बंध कर नशा प्रवृत्ति कि ओर उन्मुख होते हैं।

४. **मनोवैज्ञानिक कारक** -

(१) नैतिक मूल्यों में अरूचि :- वैश्विकरण और आधुनिकता कि चमक - दमक ने किशोर वर्गो के मन में नैतिकता के प्रति अरूचि उत्पन्न कर दिया है। नैतिक मूल्यों के अभाव में किशोरों का जीवन अनैतिक जीवन कृत्य कि ओर उन्मुख हो रहा है। नशे जैसे कुप्रवृत्ति को फैशन के रूप में किशोरो व बच्चों द्वारा अपनाया जाना चिंतनीय है।

(२) तकनीकि समझ का अभाव :- तकनीकि ज्ञान के अभाव में किशोर व युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है। जिससे उनके मन में तनाव उत्पन्न होता है। तनाव से राहत पाने के लिए ये नशे कि ओर उन्मुख हो जाते हैं।

प्रभाव :-

१. **अपराधों में वृद्धि** :- मादक पदार्थो के सेवन से उनके जैव रसायन प्रभाव शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को अनियमित कर देती है। नशे के आदि किशोर वर्ग भ्रम कि स्थिति में अपराध कि ओर अधिक प्रवृत्त होते हैं।

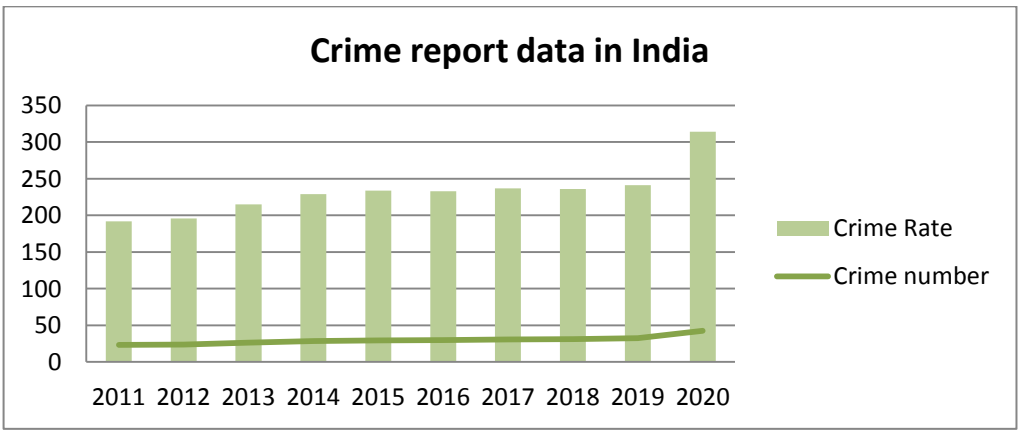

क्रमांक	वर्ष में	भा. द. सं. के अंर्तगत दर्ज किये गए अपराध कि संख्या	दर
१	२०११	२३२५५७५	१९२
२	२०१२	२३८७१८८	१९६
३	२०१३	२६४७७२२	२१५
४	२०१४	२८५१५६३	२२९
५	२०१५	२९४९४००	२३४
६	२०१६	२९७५७११	२३३
७	२०१७	३०६२५७९	२३७
८	२०१८	३१३२९५५	२३६
९	२०१९	३२२५५९७	२४१
१०	२०२०	४२५४३५६	३१४

सारणी - भा. द. सं. के अंर्तगत दर्ज किये गए अपराध कि संख्या व दर।
स्त्रोत - एन. सी. आर. बी. के वेबसाइट से।

२ असुरक्षित मानव जीवन :- नशा केवल स्वास्थ्य नाशक ही नहीं है, बल्कि प्राण नाशक भी है। नशे के कारण प्रतिवर्ष लगभग १० हजार लोग आत्महत्या कर लेते हैं। और वर्ष दर इसमें वृद्धि हो रही है।

क्रमांक	वर्ष	दर्ज हुए आत्महत्या कि घटनाएं
१	२०१७	१२९८८७
२	२०१८	१३४५१६
३	२०१९	१३९१२३
४	२०२०	१५३०५२
५	२०२१	१६४०३३

सारणी - दर्ज किये गए आत्महत्या के सरकारी आंकड़े।

स्त्रोत - एन. सी. आर. बी. के वेबसाइट से।

३ भ्रष्ट समाज का निर्माण :- नशा सभी बुराइयों कि जननी है। जो भ्रष्ट समाज का निर्माण करती है।

४ देशहित कि हानी :- विभिन्न समाचार एजेंसियों के अनुसार, भारत में लगभग १० - २० लाख करोड़ का अवैध नशीले पदार्थो का कारोबार चल रहा है। जिसमें ड्रग माफिया से लेकर कई प्रसिद्ध लोगो के नाम भी एन. सी. बी. के रिपोर्ट में सामने आ चुके हैं।

निष्कर्ष - नशे से होने वाले नुकसान ज्यादातर प्रत्यक्ष प्रकार के होते हैं। जिसे असानी से समझा व समझाया जा सकता है। नशा के सेवन के आधार पर, नशीले पदार्थो के प्रकृति के आधार पर अनेक प्रकार के हैं। सभी नशीले पदार्थो का शरीर पर नुकसान व प्रभाव भी पृथक - पृथक प्रकार के होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से नशे कि लत व्यक्ति, परिवार, समाज व राष्ट्र का विनाश करता है। चाहे नशे कि लत किसी भी तरह का हो। बेरोजगारी, अशिक्षा, अभिजन संस्कृति, वैश्वितकरण, पश्चिमी सभ्यता का वर्चस्व, चेतना केन्द्रो के अभाव, बढ़ती जनसंख्या एवं कठोर कानूनी नियंत्रण के अभाव आदि के कारण किशोर वर्ग का विशाल समूह नशे के गर्त में गिर चुका है। ग्रामिण संस्कृति में बच्चे भी इनसे अछूते नहीं रह गए हैं। क्योकि भारत के गांव - गांव में शराब के सरकारी दुकाने शासन के नियमानुसार संचालित हैं।

सुझाव - वैश्वितक संकट के दौर में भारत के किशोरो में बढ़ती नशे कि प्रवृत्ति जैसी आपदा से निपटने के लिए निम्नानुसार कार्य किए जानें चाहिए - स्कुली पाठ्यक्रम में सुधार किया जाना चाहिए, स्कुली पाठ्यक्रम अधिक व्यवहारिक होना चाहिए। नशे के आदी शिक्षाको कि छटनी कर देनी चाहिए। शहरों एवं प्रत्येक गांव में चेतना केन्द्रो कि स्थापना किया जाना आवश्यक है। एवं गांधी के ग्राम में शराब दुकानों का संचालन बंद कर देना चाहिए। कठोर कानुनी नियंत्रण को लागू किया जाना चाहिए, ताकि संविधान के अनुरूप आम नागरिको को कल्याणकारी जीवन कि प्राप्ति हो सके। सभी सरकारी कार्यालयों में ब्रेथ एनालाइजर का प्रबंधन व उपयोग को अनिवार्य किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

संदर्भ सूची

1. लक्ष्मीकांत, एम. (२०२२) "भारत की राजव्यवस्था", McGraw Hill Education (India) Private Limited, Chennai
2. फड़िया, डॉ. बी. एल. एवं फड़िया, डॉ. कुलदीप (२०१९) "भारतीय षासन एवं राजनीति", साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा (उ.प्र.)
3. गाबा, ओम प्रकाष (२०१८) "राजनीति चिंतन की रूपरेखा", मयुर बुक्स, दरियागंज, नयी दिल्ली
4. https://wikipedia.org/wiki
5. https://ncrb.gov.in
6. https://excise.delhi.gov.in
7. www.amarujala.com
8. www.aajtak.in
9. www.bhaskar.com
10. www.jagran.com

भारतीय लोकशाही आणि संविधानिक नैतिकता

प्रा. डॉ. देविदास ग्यानुजी नरवडे

(राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख) गोदावरी कनिष्ठ व वरिष्ठ कला महाविद्यालय अंबड

ता. अंबड जि. जालना.

ई-मेल :- dgnarwade75@gmail.com

DOI- 10.5281/zenodo.7524381

प्रस्तावना:-

स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर 26 जाने.1950 साली भारताने आपली स्वत:ची राज्यघटना अंमलात आणण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासून आजतागायत आपण संसदिय लोकशाही हे प्रतिमान राबवत आहोत. धर्मपिरपेक्ष प्रजाकसत्ताक, उदारमतवादी, समाजवादी लोकशाहीचे प्रारुप आपण स्वीकारले आहे. लोकांनी, लोकांकडून, लोकांसाठी असलेली लोकशाही आपण संविधानाच्या माध्यमातून स्वत: प्रत अर्पण केली आहे. यात लोककल्याणाचा कल्याणकारी राज्य स्थापन करण्याचा संकल्प आहे. लोकशाही ही केवळ एक राजकीय प्रणाली नसून सामाजिक जीवनाची प्रक्रिया आहे[1].

भारतीय सामाजिक व्यवस्था ही वर्ण व्यवस्थेवर आधारलेली विषमता मुलक सामाजिक व्यवस्था आहे. एकाच धर्मातील, समाजातील व्यक्तींचा सामाजिक दर्जा उच्च , कनिष्ठ अस्पृश्य स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे एक जिनसी सामाजिक व्यवस्था निर्माण होऊ शकली नाही. तरीही भारतीय संविधान कर्त्यांनी विविध जाती, धर्म, भाषा भु-प्रदेश चालीरिती परंपरा,असूनही भारत देशास अखंड ठेवण्यात यश प्राप्त केले आहे. भारतीय संविधान कर्त्यांनी संविधानात सामाजिक विषमता, भेदाभेद कमी करण्यासाठी त्यावर पायबंद घालण्यासाठी अनेक तरतुदी कायदे केले. उदा. कलम 15 नुसार धर्म, वंश, जात, लिंग जन्मस्थान यावरून भेदाभेद करता येणार नाही. तसेच नागरिकांना मुलभूत अधिकार देण्यात आले त्याचे न्यायालयात संरक्षण दिले. सामाजिक दृष्टया मागास वर्गांना विशेष संधी म्हणून आरक्षण देण्यात आले. एखादया देशाचा विकास म्हणजे शेवटच्या नागरिकांचा विचार करुनच शक्य आहे मुठभर लोकांचा विकास हा देशाच्या विकासाचे द्योतक असू शकत नाही. भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त होऊन 74 वर्षे झाली आणि 1950 पासून संविधानाची अंमलबजावणी सुरु झाली तद्नंतर 1952 ला लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुका झाल्या तेव्हापासून भारतात संसदीय लोकशाही शासन व्यवस्था सक्षमपणे सुरु आहे. काँग्रेस पक्षाची एक हाती सत्ता देशात काही अपवाद वगळता 2014 पर्यंत होती. त्यानंतर 2014 नंतर भारतीय जनता पार्टी सत्तेत आली आहे. भारतीय संविधानाने भारतीय नागरिकांना एकेरी नागरिकत्व देऊन दुहेरी शासन व्यवस्था प्रदान केली आहे. केंद्र राज्य यांच्यात अधिकार वाटणी करून केंद्र सुची व राज्यसुची, समवर्ती सूची निर्धारित केली आहे. प्रत्येक राज्यांची निर्मिती भाषावर केली आहे. भारतासारखा खंडप्राय देश एकत्रित ठेवण्याचे महत्वपूर्ण कार्य राज्यघटनेने केले आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला देश म्हणून भारताचा नाव लौकीक आहे. कालांतराने या लोकशाही व्यवस्थेत काही दोष निर्माण झाले आहेत जसे, राजकारणातील गुन्हेगारीकरण, भ्रष्टाचार, बंडखोरी, राजकीच नैतिक अधीपतन इत्यादी कृप्रवृत्ती वाढलेल्या आहेत त्यावर वेळीच चिंतन, मनन, करून उपाय शोधले पाहिजेत.

देशातील विविध राज्यात बहुसंख्य आणि सधन असलेला वर्ग राज्यांच्या शासन व्यवस्थेत अग्रभागी राहिला आहे. तामिळनाडू सारख्या राज्यात ओ. बी. सी. घटक सत्तेवर आला परंतु इतर राज्यात उच्चवर्णीयच, सधन वर्गच सत्तेत राहीला आहे.

कि-नोटस: भारतीय लोकशाही, भारतीय समाज व्यवस्था, संविधानिक तरतुदी

भारतातील लोकशाही व्यवस्था :-

भारतातील राजकीय व्यवस्था प्रातिनिधीक स्वरूपाची आहे. संसदेत भारतातून लोक प्रतिनिधी निवडून जातात. आणि हे प्रतिनिधी संपूर्ण देशातील जनतेचे कल्याण करण्यासाठी संसदे मार्फत सरकार स्थापन करून राज्यकारभार हाकत असतात.

लोकसभेत 545 सभासद असतात त्यांत लोक संख्येनुसार अनु. जाती आणि अनु. जमातींना राखीव जागांची तरतुद करण्यात आली आहे. संसद ही

लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन सभागृहांनी मिळून बनलेली आहे. भारताच्या राजकीय व्यवस्थेविषयी सत्ता विभाजनाचा अवलंब करण्यात आला आहे. सत्तेचे केंद्रीकरण होऊ नये याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ अशी ही विभागणी केलेली आहे. लोकशाहीत जनता ही सर्वोच्च असते म्हणून लोकप्रतिनिधीचे सभागृह सर्वोच्च असते.

परंतु या लोकप्रतिनिधीच्या जबाबदाऱ्या लोकांच्या प्रश्नाच्या बाबतीत लोक प्रतिनिधी च्या कार्याचा लेखाजोखा जनतेसमोर आला पाहिजे जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी या लोकप्रतिनिधीची निवड होत असते. भारतात जात, धर्म, भाषा अशा मुद्द्यांची निवडणुकीत रेलचेल असते अनेक ठिकाणी जात हा प्रमुख मुद्दा असतो आणि त्यामुळे बहुसंख्य जातीतील उमेदवार निवडून येतो व जातीय विषमता, जातीयता घट्ट होत जाते. उमेदवाराचे कर्तव्य, इमानदारी कडे दुर्लक्ष करून राजकीय पक्ष निवडून येणारा बहुसंख्य जातीचा, पैसा खर्च करण्याची कुवत असणारा उमेदवार दिला जातो लोकांनी जात-धर्म न पाहता, उमेदवार हा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा भ्रष्टाचारी असू नये असा आग्रह राजकीय पक्षांकडे धरावा किंवा तसा योग्य उमेदवार निवडून देणे गरजेचे आहे. हेच उमेदवार निवडून येऊन जनतेच्या भवितव्याची धोरणे आखत असतात. लोकशाहीत लोक नेहमी जागरूक असावे लागतात. लोकशाही राजकीय व्यवस्था ही जीवन प्रणाली बनली पाहिजे[2].

लोकशाहीचे सक्षम सामाजीकरण होणे आवश्यक आहे. लोकशाहीत सर्व नागरिकांच्या समावेश याबरोबरच राजकीय न्याय प्रस्थापित करून अल्पसंख्या, मागास घटकांना व्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेऊनच ही लोकशाही प्रगल्भ व परिपक्व आणि चिरंतन टिकवून ठेवू शकतो. देशात शांतता सहकार्याचे वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. कारण लोकशाही ही सनदशीर मार्गाने मार्गक्रमण करणारी व्यवस्था आहे. दुसरे म्हणजे लोकशाही सर्व नागरिकांना सामावून घेणारी धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था असली पाहिजे. भारतासारख्या देशात तर अनेक जाती, धर्म, वंश प्रादेशिक असमतोल, धर्मांधता, जातिभेद मोठ्या प्रमाणात आहेत यामुळे राष्ट्रीय ऐक्य, सामाजिक सलोखा ह्या गोष्टी प्रकर्षाने व जाणीवपूर्वक पाळणे शांतता अबाधित राहणे नितांत आवश्यक आहे. प्रत्येक नागरिकांचा सन्मान त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणारी व्यवस्था विश्वासास पात्र ठरते. लोकशाहीत नागरिकांना लोकशाहीचे संपूर्ण ज्ञान असणे हे लोकशाहीस पूरक व यशस्वी करण्यास आवश्यक असते. जनता साक्षर असेल तर लोकशाहीत जबाबदार शासन व्यवस्था निर्माण होण्यास मदत होत असते भारतात आजही निरक्षरतेचे प्रमाण 25.40% आहे[3].

भारतीय सामाजिक व्यवस्था :-

भारतात सामाजिक व्यवस्था ही विषमतेवर, उच्चनीचतेवर वर आधारित आहे. त्यामुळे भारतात निव्वळ राजकीय अधिकार देऊन सामाजिक उत्थान होणार नाही कारण सामाजिक व आर्थिक अधिकारा याशिवाय राजकीय अधिकारांचा संकोच होईल. करिता सामाजिक विषमता, जातीय भेद नष्ट करून एकसंघ समाज निर्माण करण्यात भारतीय राज्यघटनेचा अवलंबन प्रकर्षाने करावा लागेल. नितिवान, निमंत्रित सभ्य समाज निर्माण करण्यास राज्यघटने विषयी इमानदार राहून बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, वृद्धिंगत होणे काळाची गरज आहे.

1970 ते 1990 या दशकात भारतात सामाजिक चळवळीचा काळ म्हणून ओळखला जातो[4]. हजारो वर्षापासून भारतीय समाजात प्रवाहा बाहेर, गावकुसाबाहेर, दरिद्री, अपमानित हलाखीचे जीवन जगणाऱ्या वर्गाने माणूस म्हणून जगविण्यासाठी प्रस्तापित सभात राजकीय व्यवस्था यांच्याकडे आपले मूलभूत हक्क आत्मसन्मान यासाठी प्रखर लढा दिला.

प्रस्थापित समाज व्यवस्थेकडून दलित, मागासवर्ग, स्त्रिया यांच्यावर जी सामाजिक मानहानीकारक बंधने होती त्यामुळे समाजाचा मोठा वर्ग विशिष्ट वर्गाच्या चाकरीत आपले जीवन जगत असे. भारतीय लोकशाही विषयी डॉ. आंबेडकरांची जी धारणा होती लोकशाहीच्या कल्पनेमध्ये सामाजिक विषमता ही समाजाच्या अधोगतीला कारणीभूत ठरत असते. आणि भारतात आजही सामाजिक, विषमता जातीभेद असून जातींच्या अस्मिता तीव्र होताना दिसत आहेत.

भांडवलशाही व्यवस्थेत आर्थिक प्रश्न, गरीबी दारिद्र्याचे प्रमाण वाढताना दिसते आहे. गरिबांना शिक्षण मिळणे दुरापास्त झाले आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता, सुशिक्षित पणा समाजाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका वटवत असतो. सर्वांसाठी मोफत शिक्षण तेही पदवीपर्यंत द्यावे. अशिक्षित, गरीब, दलित, स्त्रिया यांच्या जीवनात अंधारच पसरत असतो. भारतात प्रचंड आर्थिक विषमता दारिद्रय आहे. ज्यामुळे ही जनता लाचारीचे जीवन जगत असते परिणामी निवडणुकांमध्ये यांचा सर्रास वापर करून, आमिषे दाखवून त्यांच्या अमूल्य मतांची किंमत लावली जाते. लोकशाहीच्या सुदृढतेसाठी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकासाची अत्यंत आवश्यकता असते. कारण समाजातील अशिक्षित लोकांना अनेक बाबतीत ज्ञान मिळत नाही त्यांचे अधिकार, स्वातंत्र्य, कामाचा मोबदला, मतदानाचे महत्व, शासन व्यवस्था, लोकप्रतिनिधींचे कार्य, कर्तव्य यांची माहिती याविषयी त्यांच्यात अनभिज्ञता राहते परिणामी त्यांच्यावर अन्याय, अत्याचार होत असतात.

भारतीय समाजात जातिव्यवस्थेमुळे जन्मावरून जात ठरत असल्या कारणाने जाती-जातीत संघर्ष होत असतो[5]. सामाजिक नीतिमत्ता, मानवता, सहकार्य यातूनच भारतीय समाजाची प्रगती होऊ शकते. खंडित समाज प्रगतीपथावर मजल मारण्यास अक्षम्य ठरत असतो. त्यासाठी सक्षम समाज, सक्षम समाज व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी नैतिकतेचा आलेख उंचावला पाहिजे.

संविधानिक तरतुदी:-

भारतीय संविधानाच्या भाग 3 मध्ये नागरिकांना मूलभूत हक्क देण्यात आले आहेत. कलम 14 समानतेचा हक्क-कायद्यापुढे कोणत्याही नागरिकास समान वागणूक दिली जाईल असे स्पष्ट केले आहे.

कलम 15 मध्ये - धर्म, वंश, जात, लिंग अथवा जन्मस्थान यावरून राज्य भेदभाव करणार नाही[6].

कलम 17 नुसार - अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आली.

कलम 19 नुसार – भाषण स्वातंत्र्य व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य, भारतात मुक्त

संचार करण्याचे स्वातंत्र्य, स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य

अशाप्रकारे भारतातील नागरिकांना मुक्त करून देशाला एक दिशा देण्याचे कार्य संविधानिक पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. देशातील सामाजिक समस्या यावर कायद्याने परिणाम कारक उपाय योजना करण्याचा प्रयत्न सविधान निर्मात्यांनी केला आहे, परंतु या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याचे तंत्र ज्यांच्यावर सोपवलेले आहे त्यांनी नीतिमत्ता पाळून निरपेक्ष कायद्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक ठरते. डॉ. आंबेडकरांनी एक स्पष्ट केले आहे की संविधान कितीही चांगले असले आणि अंमलबजावणी करणारे लोक जर वाईट असतील तर ते संविधान कुचकामी ठरेल.

भारतीय समाजात शोषणाविरुद्ध कलम 23 मध्ये मानवाच्या अपव्यापार, वेठबिगारी यास मनाई करण्यात आली आहे. भारतात अस्पृश्यांना समाजातील खालच्या वर्गात हीन आणि जनावरापेक्षाही निम्नस्तराची वागणूक दिली जात होती त्याला तथाकथित धर्ममार्तंडाकडून मान्यता होती. यामुळे समाजाचा मोठा वर्ग अपमानित गुलामगिरीचे जीवन जगत होता. त्यामुळे मोठा वर्ग राज्याच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर होता. स्वातंत्र्यानं तर भारतातील या सामाजिक क्रूर, अन्यायी, जुलमी , परंपरा पासून सुटका करण्याचे व संपूर्ण भारतीय हे एक आहेत असे स्पष्ट करण्यात आले. कोणतेही राष्ट्र हे विषम समाजव्यवस्था असतांना आपली उन्नती करू शकत नाही परंतु सामाजिक दृष्ट्या संवर्ण आहेत त्यांना त्यांचा अधिकार, वर्चस्व, सत्ता सोडून देणे आजही शक्य होत नाही. माणसाने माणसाला माणूस म्हणून व्यवहार करावेत. जात, धर्म, वंश, स्पृश्य, अस्पृश्य, उच्च - नीच म्हणून व्यवहार करू नये यामुळे माणुसकीला काळिमा फासल्यागत परिस्थिती निर्माण होते. आपल्या सद्सदविवेक बुद्धीला साद घालून मानवी व्यवहार व्हावेत आपली नीतिमत्ता कायम ठेवावी असेच वर्तन संविधानाला अपेक्षित आहे त्यावर चिंतन व्हावे म्हणजे योग्य विचार, साहित्य नागरिकांना मिळेल देशातील समाजाला मानवी मूल्याधिष्ठिता प्राप्त होईल.

संविधानाच्या भाग चार मध्ये राज्य धोरणाची निर्देशक तत्व मधील कलम 39 मध्ये राज्याच्या धोरणाविषयी मार्गदर्शन केले आहे. सर्व नागरिकांना

कामाबद्दल योग्य व समान वेतन असावे. स्त्री-पुरुषांना उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळवण्याचा समान हक्क असावा. भावी पिढी विषयी युवकांना, बालकांना निरामय पद्धतीने आणि मुक्त, प्रतिष्ठापूर्ण वातावरणात, आपला विकास करण्यासाठी संधी व सुविधा राज्याने दिल्या पाहिजेत. त्यांना शोषणापासून आणि नैतिक व भौतिक गरजांच्या बाबतीत उपेक्षे पासून संरक्षण दिले जावे[7].

अशा पद्धतीने संविधानातील विविध तरतूदीतुन देशाच्या नागरिकांचे नैतिक अधिष्ठान सक्षम करण्यासाठी किंवा राष्ट्रांची नैतिक ताकद वाढविण्याच्या दृष्टीने सहाय्यकारी आहेत त्यावर योग्य रीतीने अंमल होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

सारांश

भारतीय नागरिकांमध्ये मोठी व्यापक बुद्धिमत्तेची परंपरा आहे. एवढ्या कर्मठ सामाजिक व्यवस्थेतही भारतात लोककल्याणकारी, लोकशाही शासन व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष संविधान निर्माण होऊन ते अंमलात आले आहे गेली 74 वर्ष लोकशाही शासन व्यवस्था सक्षम पणे उभी आहे. भारतीय समाजाने अनेक परिवर्तन स्वीकारले आहेत. प्राचीन काळापासून सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय, धार्मिक परिवर्तने होत आली आहेत. भारतात अनेक जागतिक धर्मांचा उदय झाला उदाहरणार्थ जैन, बौद्ध, हिंदू तसेच जगातील सगळ्यात धर्माची अनुयायी भारतात मोठ्या संख्येने राहतात. अनेकतेतून एकता हे भारताचे वैशिष्ट्य आहे संविधानाने भारतीय नागरिकांना आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला पटेल त्या धर्माचा अनुनय, प्रचार-प्रसार, पूजा – अर्चा करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. नागरिकांना राजकीय व्यवस्थेत सहभागासाठी प्रत्येकाला मतदानाचा अधिकार देताना कोणताही भेद केला नाही. लोकशाहीचे पालन पोषण करून आम्ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहोतच पण ती लोकशाही जगातील आदर्श लोकशाही कशी होईल हे सर्वस्वी जनतेच्या व्यवहार वर्तनावर अवलंबून आहे.

संदर्भसूची:-

१)प्रा. डॉ. प्रकाश चौधरी, आंतरभारती(संपा) भारतीय संविधान:- सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय (लेख) प्राचार्य सदा विजय आर्य, आंतरभारती संकुल, औरंगाबाद पृष्ठ क्रमांक 16.

२)प्रा. बी. बी. पाटील लोकशाही निवडणुका व सुशासन, फडके प्रकाशन कोल्हापूर पृष्ठ क्रमांक. 85.

३)उपरोक्त पृष्ठ क्रमांक 88

४)प्रा. डॉ. प्रकाश चौधरी, आंतर भारती जनता, नागरिक, लोक इत्यादी: राजकीय न्यायाची बदलती संकल्पना राजेश्वरी देशपांडे, आंतरभारती संकुल, औरंगाबाद पृष्ठ क्रमांक 241.

५)प्रा. बी. बी. पाटील, लोकशाही निवडणूका सुशासन, फडके , कोल्हापूर पृष्ठ क्रमांक 77.

६)महाराष्ट्र राज्य, भारतीय संविधान, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 2014 पृष्ठ क्रमांक 06.

७)उपरोक्त पृष्ठ क्रमांक 17.

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, December 2022, Volume-14 Issue-23

वर्तमान राजनीति में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता

डॉ कुमार मंगलम पाण्डेय

राजनीति विज्ञान, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा

Email- officialmrpandey01@gmail.com

DOI- 10.5281/zenodo.7524387

शोध सारांश:-

भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में कौटिल्य का अपूर्व योगदान रहा उनके योगदान को लेकर ही उन्हें भारतीय राजनीतिक चिंतन का जनक माना जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का सबसे अधिक स्पष्ट वैज्ञानिक एवं विस्तृत ग्रंथ है जिसके आधार पर ही तत्कालीन राजनीतिक विचारों एवं संस्थाओं का परिचय प्राप्त होता है। आज की राजनीति में या यूं कहें की सर्वकालिक राजनीति में अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता सदैव बनी रहेगी कौटिल्य के अनुसार राजा कुलीन, प्रशिक्षित, मृदुभाषी होना चाहिए शासक के रूप में राजा की मानसिक क्षमता को बढ़ाने वाले नैतिक गुण भी उसके अंदर होना चाहिए उसे इंद्रिय जयी, विद्या अनुरागी, स्मृतिवान मर्यादा सील होना चाहिए।[1] वह शासन कला से संबंधित सभी गुणों से संपन्न होना चाहिए इन गुणों से वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था मे शासक हो जाए तो यह धरा स्वर्ग तुल्य हो जाए एवं यहां की जनता देव तुल्य हो जाए।

संकेतक शब्द:-

कौटिल्य, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, प्रासंगिकता, चाणक्य, वर्तमान

परिचय:-

आज प्राचीन भारतीय आर्थिक, राजनीतिक दर्शन का चिंतन मनन एवं अध्ययन अत्यंत ही आवश्यक है।पूरे विश्व में जब हम राजनीतिक चिंतक महान व्यक्तित्व, कूटनीतिज्ञ की जब भी गणना करेंगे तो उनमें भारतीय राजनीतिज्ञ चिंतक के रूप में ईसा पूर्व सर्वोपरि चाणक्य का नाम आता है। कहा जाता है कि विश्व में पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन प्रारंभ से लेकर अब तक जितने भी महान कूटनीतिज्ञ हुए उनमें कृष्ण, शकुनि के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो चाणक्य का ही नाम आता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक छोटे से कस्बे पिछड़ी समाज से आने वाले युवा को अपनी सोच तथा कूटनीति से उन्होंने देश के सबसे बड़े राज्य मगध की गद्दी पर धनानंद जैसे राजा को चुनौती देकर अपनी कूटनीतिज्ञ विद्या से चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठा दिया। चाणक्य की कूटनीति एवं प्रासंगिकता का प्रभाव भारतीय राजनीति ही नहीं वरन विश्व की राजनीति पर व्यापक प्रभाव डालता है। अपनी सोच और कूटनीतिज्ञ के लिए मशहूर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की जो वर्तमान राजनीति में एक अत्यंत प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थित है क्योंकि किसी भी राष्ट्र की वर्तमान नीतियों का 'उत्स' उसकी प्राचीन कालीन संस्थाओं में समाहित होता है। इस प्रकार से राष्ट्रीयता को ध्यान में रख कर के हमें अपने प्राचीन नीतियों पर ही वर्तमान की आधारशिला रखनी चाहिए। हमारा वर्तमान अपने मूल से जुड़कर ही पुष्पीत और पल्लवित होगा। इस प्रकार का अध्ययन हमारे भूतकाल में हुए गलतियों को सुधार कर वर्तमान को संभालते हुए सुशासन का मार्ग प्रशस्त करेगी।[2]

चाणक्य अपने पूरे जीवन काल में अपने औकात से अधिक समृद्ध सशक्त और शक्तिशाली राजा से अपने नीतियों के बदौलत ही प्रतिद्वंदिता के स्वरूप को प्रतिपादित करते हुए उसने एक ऐसे राजा को उत्पन्न किया जिसके अंदर किसी भी प्रकार से राजा का गुण व्याप्त नहीं था ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी चाणक्य जिनकी प्रखर नीतियां एवं पारखी गुण से चन्द्रगुप्त मौर्य जैसे राजा को दिया जो कि आज के समाज के लिए उदाहरण बन गया। आज उनकी नीतियां अति आवश्यक एवं शासन को समृद्ध और शक्तिशाली तथा जनकल्याणकारी के साथ साथ समावेशी सरकार के निर्माण के लिए है।

कौटिल्य के अनुसार जीवन का उद्देश्य धर्म अर्थ और काम है। कौटिल्य मौर्य साम्राज्य में उच्च पद पाते हुए भी गंगा तट पर पर्णकुटी बनाकर सन्यासी एवं त्यागी का जीवन व्यतीत किया और उसी त्याग और सन्यास के स्वरूप मे अर्थ शास्त्र की उत्पत्ति की जो कि सर्वकालिक शासन के लिए वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ है।

कौटिल्य की महान रचना अर्थशास्त्र है इस रचना के संबंध में कौटिल्य प्रारंभ में ही कहते है कि "पृथ्वी की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए पुरातन आचार्यों ने जितने भी अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथों का निर्माण किया उन सब का सार संकलन पर प्रस्तुत अर्थशास्त्र की रचना की गई है।[3] कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र की रचना पहले के अठारह उन्नीस अर्थशास्त्र विद्वानों का उल्लेख किया है जिनमें प्रमुख स्थान रखने वाले विद्वानों में मनु महाराज, भीष्म पितामह, एवं शुक्राचार्य है, जिनके विचारों को ग्रहण करके उन्होंने अपने अद्भुत ग्रंथ का निर्माण किया है। पुरातन आचार्य परंपरा के परिचय से प्रतीत होता है कि अर्थशास्त्र का निर्माण बहुत पहले से होने लगा था जिसका वृहद एवं व्यापक व्याख्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि विश्व के अग्रणी अर्थशास्त्रियों में महानतम पद को धारण करने वाले कौटिल्य ही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय राजनीति ही है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण 180 प्रकरण एवं छः हजार श्लोक है, जिसके अंतर्गत राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, नीति शास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, इंजीनियरिंग विद्या आदि विषय पर प्रकाश डाला गया है।

कौटिल्य के विचारों मे विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करने के लिए सभी राजनीतिक एवं आर्थिक क्रियाकलाप नीति सम्मत होने चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दर्शन एवं राजनीति शास्त्र का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है।

अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कौटिल्य मनुष्यों की जीविका को अर्थ कहते है। मनुष्यों वाली भूमि को भी अर्थ कहा जाता है अतः अर्थ प्राप्ति में भूमि को सर्वश्रेष्ठ माना है। उस पृथ्वी को लाभ करने और पालन करने के उपायों को बताने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र से संबोधित किया है|[4] कौटिल्य इस बात को मानते हैं कि जीविका का आधार और जीवन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं जीवन धारण हेतु मौलिक रूप से अर्थ की आवश्यकता है | कौटिल्य अर्थशास्त्र विषय वस्तु का समावेशन अपने विविध अध्यायों में कभी स्वतंत्र रूप से तो कभी प्रशासन तंत्र की मर्यादा का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया है| प्रजा के सुख में ही राजा का सुख और प्रजा के हित में ही राजा का हित हैं अपने आपको प्रिय लगने वाले कार्यों को करना राजा का हित नहीं अपितु प्रजा के प्रिय कार्यों को करना ही राजा का अपना प्रिय होता है|

"प्रजा सुखे सुखराज: प्रजाना: च हिते हितम,
मात्मप्रियं हितं राज: प्रजानां लूं प्रियम हितम"[5]

वर्तमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अनेकों प्रकार की खामियां व्याप्त है| उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने हेतु धनबल का प्रयोग. भाई भतीजावाद एवं वंशवाद इसकी प्रमुख कड़ियां है।

भारत की राजनीतिक संस्कृति में राजनीतिक विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता की कमी, राजनीतिक दलों में अवसरवादीता, गुटबाजी, लोगों को एकजुट करने हेतु पहचान की राजनीति अर्थात जाति, धर्म, भाषा जैसे पहचान चिन्हों का उपयोग जैसे लक्षण विद्यमान नजर आते हैं।

हाल ही के समय में राजनीतिक दलों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ असहिष्णुता तथा उग्रवादी विचार फैलाने का आरोप भी लगाया गया है। ये राजनीतिक लक्षण भारतीय लोगों को प्रभावित करते है और जैसा की कौटिल्य ने "यथा राजा तथा प्रजा"[6] कहा था, ऐसा लोगों में राजनीतिक नेतृत्व के चरित्र का अनुसरण करते हुए उनमें परिलक्षित होते हैं ।

कौटिल्य के राजनीतिक सिद्धांत:-

कौटिल्य ने अपने राजनीतिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए तीन प्रमुख सिद्धांत को प्रतिपादित किया।

प्रथम:-

प्रथम श्रेणी के अंतर्गत उन उद्योगों को रखा गया है जिन पर राज्य का स्वामित्व हो और जो राज्य के द्वारा ही संचालित एवं संगठित हो इन लोगों की पूंजी श्रम श्रम का दायित्व राज्य पर ही निर्भर रहे। इस प्रकार की औद्योगिक, अअर्नीति, का प्रमुख उद्देश्य एक सशक्त आत्मनिर्भर और सर्व साधन संपन्न राज्य की प्रतिष्ठा करना था। इसमें मुख्य उद्योग सोना, चांदी, शिलाजीत, तांबा, सीसा, टीना, लोहा, मणी, लवण आदि के उद्योग है।

द्वितीय श्रेणी:-

द्वितीय श्रेणी में वे सभी उद्योग आते हैं जिन पर नागरिकों का पूर्ण अधिकार या निजी संपत्ति आती है। उनके संगठन, संचालन, प्रबंधन, पूंजी, श्रम, आदि का दायित्व नागरिकों पर ही निर्भर होता है या यूं कहें कि उन पर जनता का ही पूर्ण स्वामित्व होता है। ऐसे उद्योगों में खेती, सुत, शिल्प, गौ-पालन, पशुपालन, हस्तशिल्प, सूरा, मांस, नट, नर्तक, गायक, वादक आदि आते हैं।

तृतीय सिद्धांत:-

तृतीय सिद्धांत में समाज में ऐसी सुव्यवस्था बनाए रखने की नीति बनाई है जिसमें राज्य के समस्त उत्पादन वितरण उपयोग पर शासन सत्ता का नियंत्रण बना रहेगा। धर्म अर्थ काम इन तीनों का पारस्परिक संबंध बताते हुए कौटिल्य ने यह स्वीकार किया है कि उनमें प्रमुखता अर्थ की है शेष दोनों ही धर्म और कर्म अर्थ धन पर ही निर्भर है। यही अर्थ राज्य कर के रूप में एक जगह एकत्रित होकर राजकोष का निर्माण करता है और उसी से राज्य का संचालन किया जाता है। कौटिल्य राज्य कोष के वृद्धि से लेकर राज्य कर्मचारियों को संचालित करने के लिए भी बहुत ही विचार मंथन करके नियमावली बनाया है। कौटिल्य कहते हैं कि राज्य कर ऐसा होना चाहिए जो प्रजा पर भार स्वरूप ना हो राजा को अपना आचरण उस मधुमक्खी के समान रखना चाहिए जो फूलों को बिना कष्ट पहुंचाए उसके पराग को चूस कर उससे मधु एकत्रित करती है। जो वस्तुएं देश के लिए दुखदायक हो निरर्थक हो या केवल शौक के लिए हो, उन पर अधिक कर लगा करके उनके आयात को कम करना चाहिए।

कौटिल्य के सिद्धांत में कुछ ऐसे भी पदार्थ थे जिनका निर्यात वर्जित था और देश में उनका आयात करने के लिए भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था जैसे में अस्त्र-शस्त्र, धातु, सेना के काम आने वाले रथ आदि अप्राप्य या दुर्लभ पदार्थ, अनाज और पशु आदि। कुछ अवस्थाओं में विशेष कर का प्रावधान था जैसे लोग विदेशों से अच्छी सुराए आदि लाते थे अथवा घर में अरिष्ट आदि बनाते थे। उन पर इतना अधिक कर लगाया जाता था, जिससे राज्य मे विकने वाली एसी चीजो की कम विक्री का हरजाना निकल आये।

कौटिल्य के आर्थिक विचार:-

कौटिल्य ने अपने आर्थिक विचार में सर्वोपरि स्थान सार्वजनिक वित्त का है, कारण की चाणक्य यह मानते हैं कि बिना धन के व्यवस्था को बनाए रखना संभव नहीं चाणक्य के अनुसार किसी भी देश की समृद्धि शक्ति विकास का मूल्यांकन उसके धन अर्थात अर्थव्यवस्था से किया जाता है। जिस देश की वित्तीय स्थिति जितनी अच्छी होगी उस देश की व्यवस्था भी उतनी ही अच्छी होगी उस देश को आपातकाल की स्थितियों जैसे बाढ़, भूचाल, सूखा, आदि का

प्राकृतिक आपदाओं से जनता को बचाने तथा जनता का भरण पोषण करने में सहजता से सहायता मिलेगी अर्थात वह अपनी जनता की रक्षा सहज भाव से कर पाने में समर्थ होगा।

कौटिल्य के अनुसार देश की कर प्रणाली न्यायोचित होनी चाहिए[7] जिससे जनता की कल्याण हो सके ना की एक वर्ग पर कर का बोझ लाद दिया जाए और दूसरे को निशुल्क कर दिया जाए। चाणक्य के अनुसार महिलाओं, नाबालिगों, विद्यार्थियों, दिव्यांगों तथा अन्य समाज के कमजोर वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहिए।[8] जिससे उनका सामूहिक विकास हो सके। वस्तु की कीमत निर्धारण में जिस प्रकार मांग एवं पूर्ति की शक्तियों को अर्थशास्त्री मार्शल ने महत्वपूर्ण माना है कौटिल्य जिन्हें कि भारत के अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, उनके अनुसार भी राजा को स्वयं अपनी इच्छा अनुसार वस्तु की कीमत नहीं निर्धारित करनी चाहिए बल्कि मांग एवं पूर्ति के आधार पर ही कीमत का निर्धारण करना चाहिए।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देश की कुशल शासन व्यवस्था तथा जनकल्याण को सर्वोपरि मानते हुए एक कुशल राजा के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है जो वर्तमान युग में भी प्रासंगिक है। कौटिल्य अर्थशास्त्र चाणक्य की आर्थिक नीतियों राजनीतिक सिद्धांतों का सम्मिश्रण है जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से संचालन करने का अद्भुत ज्ञान प्राप्त होता है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र और उनके जीवन के उद्देश्यों का अध्ययन करने से यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि कौटिल्य का उद्देश्य एक ऐसे विराट साम्राज्य की स्थापना करना था, जिस की शासन व्यवस्था निरंकुश हो, जिसके अतुल बल, वैभव के सामने किसी को भी सर उठाने का साहस न हो फिर भी उसके नीति के अंतराल में लोक कल्याण की व्यापक भावना व्याप्त थी जिसका उल्लंघन चंद्रगुप्त ने कभी भी नहीं किया यही कारण रहा है कि कौटिल्य की निरंकुश नीति में प्रजातंत्रीय विचारों का आश्चर्यजनक रूप से समन्वय था।

कौटिल्य की प्रखर बुद्धि कौशलता कुटिल राजनीतिज्ञ के आधार पर ही भारत को अखंड अर्थात (भारत का बंटवारा ना होने देना) बनाने में सफलता प्राप्त हुई थी। यूनान के राजा सिकंदर जो कि विश्व के कई देशों को जीतने के उपरांत भारत विजय के सपने को संजोए हुए भारत की सीमा पर प्रवेश करने आए थे लेकिन चाणक्य की कुटिल नीति प्रखर बुद्धि राजनीति के विशारद अस्त्र से सिकंदर के सपनों को चकनाचूर कर के सिकंदर को भारत से वापस लौटने के लिए बाध्य करके अखंड भारत की रक्षा की तथा अपने नीतियों एवं विलक्षण क्षमता से परिपूर्ण चंद्रगुप्त रूपी राजा का निर्माण करके अखंड भारत की रक्षा की।

निष्कर्ष:-

उपरोक्त व्याख्या के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की सफलता चाणक्य की आर्थिक नीतियों, विचारों, तथा कुशल मार्गदर्शन का परिणाम था। कोई भी राजा या शासक प्रजा के कल्याण के बिना सफल या कुशल शक्तिशाली शासक नहीं हो सकता है। जो राजा प्रजातंत्र जनता को महत्व दें तथा उनका कल्याण करे वही कुशल राजा युगो युगो तक अपनी छाप छोड़ता है। वर्तमान में हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अनुसरण करना चाहिए ताकि भारत में चौमुखी विकास हो सके तथा भारत भी विकसित देशों की श्रेणी में स्थान प्राप्त कर सकें।

वर्तमान समय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता अत्यंत ही आवश्यक है जिसके आधार पर भारत में प्रजातंत्र के महत्व को जनता व शासन अधिकारी समझने का प्रयास करें और जन कल्याण हेतु कार्य करें, ताकि सभी लोगों का जीवन सुखमय बन सके और देश का भविष्य उज्जवल हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1-कॉसमॉस बुक यूजीसी नेट पृष्ठ 7

2-यू०एस० स्मिथ, अरल हिस्ट्री आफ इंडिया, 1914 पेज 112,113

3-कौटिल्य, अर्थशास्त्र प्रथम अधिकरण

4-कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण, 15 अध्याय 1 श्लोक 3

5-कौटिल्य अर्थशास्त्र एक 1/19/39

6-दृष्टि आईएएस लेख 10 अगस्त 2019

7-कौटिल्य अर्थशास्त्र 2/21/2/22

8-सेमिनार का अंश चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश फरवरी 2022

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, December 2022, Volume-14 Issue-23

ज्योतिसर की मनोवैज्ञानिक उपादेयता

डॉ. राजेश

सहायक आचार्य ,मनोविज्ञान विभाग आई.ई.सी. विश्वविद्यालय, बद्दी, हिमाचल प्रदेश

Email- rajesh.psychology@iecuniversity.com

DOI-10.5281/zenodo.7524395

शोध सारांशिका :

प्रस्तुत शोध पत्र महाभारत जैसे अद्वितीय सत्य पर आधारित संग्राम की रणभूमि को आधार मान के लिखा गया है, जिसमें कुरुक्षेत्र के वीरों की अमरगाथा को याद करते हुए अर्जुन और कृष्ण के संवाद श्रीमदभागवत गीता पर विचार व्यक्त किये गये हैं | वैसे तो दुनिया के लोग कुरुक्षेत्र को गीता की जन्मस्थली मानते है लेकिन आज आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा की गीता ने कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में जन्म लिया है | स्थानीय लोगों की माने तो ज्योतिसर वह पवित्र स्थान है जहां गीता जैसे पवित्र ग्रन्थ का जन्म हुआ | ज्योतिसर कुरुक्षेत्र का सबसे सम्मानित तीर्थ है | हरियाणा प्रदेश के इतिहास में इस स्थल का गौरवमय इतिहास रहा है | इस स्थल पर दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान श्रीमदभागवत गीता का अध्ययन हमें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ हमारे मानसिक एवं व्यक्तित्व विकास पर बल देता है | ज्योतिसर एक स्थान ही नहीं अपितु हरियाणा के लिए एक गौरव का विषय है | इस शोध पत्र में इस पवित्र स्थान के अनेक ऐतहासिक पहलुओं का अध्ययन किया है | श्रीमदभागवत गीता हमें सभी हिन्दू शास्त्रों का निचोड़ प्रदान करती है |

शब्द कुंजी : श्रीमद्भागवतगीता, जन्मभूमि, कुरुक्षेत्र, ज्योतिसर

श्रीमदभागवत गीता का परिचय :

श्रीमदभागवतगीता दो व्यक्तियों भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुरुक्षेत्र के हस्तिनापुर (ज्योतिसर) युद्ध के मैदान में दिया गया | यह विस्तृत आध्यात्मिक व्याख्यान है | इसमें कुल 18 अध्याय है, जिसमें लगभग 701 श्लोक हैं | इसका पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है और अंतिम अध्याय मोक्ष सन्यास योग है | श्रीमदभागवत गीता मम धर्म मेरे कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, अधिकारों, नैतिकता के दृष्टिकोण पर आधारित है | जो महाभारत युद्ध के ठीक पहले 45 से 60 मिनट का श्री कृष्ण द्वारा दिया गया एक मनोवैज्ञानिक परामर्श है | जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन की अवश्यकता पर भय, परानुभूति, एवं पारिवारिक मोह माया को दूर करने के लिए विस्तृत व्याख्यान दिया | जो आजतक हमारे व्यक्तित्व एवं जीवन को प्रभावित करता है |

ज्योतिसर की साहित्यिक व्याख्या :

श्रीमदभागवतगीता के द्वारा हम अपने जीवन को एक नए रास्ते पर ले जा सकते है और जीवन में एक नई राह अपनाई जा सकती है | जो कर्म बोध, यथार्थ बोध, कर्तव्य परायणता, ज़िम्मेदारी की भावना, कार्य के प्रति लगाव से परिपूर्ण है |

ज्योतिसर शब्द ही अपने आप में एक व्यापक अर्थ लिए है 'ज्योति' का अर्थ होता है 'प्रकाश या आत्मज्ञान' एवं 'सर' का अर्थ है 'मूल' या 'सारांश' । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 'ज्योतिसार' का अर्थ होता है 'प्रकाश का मूल' या 'अनंत ईश्वर का अर्थ' या 'ज्ञान का सार'। कुछ लोगों ने इसका अर्थ इस प्रकार बताया है 'ज्योति' का अर्थ 'प्रकाश' है तथा 'सर' का अर्थ 'तालाब' । अर्थात "प्रकाशमयी तालाब" |

ज्योतिसर के बारे में खुद विकिपीडिया जैसा ज्ञान कोश कहता है कि "ज्योतिसर सरोवर आर्द्रभूमि के तट पर, भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र शहर में एक हिंदू तीर्थ स्थल है । पौराणिक कथाओं में यह वह जगह है जहां कृष्ण ने भगवदगीता का उपदेश दिया - कर्म और धर्म का आध्यात्मिक सिद्धांत अपने विषाद ग्रस्त मित्र धनुर्धारी अर्जुन को अपनी नैतिक दुविधा को हल करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए, अपने विराट रूप (सार्वभौमिक रूप) को प्रकट किया ।

ज्योतिसर का स्थानीय वर्णन :

ज्योतिसर जैसा पवित्र स्थान हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित एक तीर्थ स्थल है । यह एक प्राचीन सर्वव्यापी तीर्थ स्थल है जो पौराणिक मान्यता वाले कुरुक्षेत्र-पेहवा मार्ग पर थानेसर स्थान से पाँच कि.मी. पश्चिम में स्थित है । इतिहासकारों का मानना है कि यहीं पर भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था । यहाँ एक बरगद का वृक्ष है जिसके बारे में स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इसी वट वृक्ष के नीचे श्रीकृष्ण ने अर्जुन को श्रीमदभागवतगीता का उपदेश दिया था और यहीं अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था । वट वृक्ष के नीचे चबूतरे का निर्माण दरभंगा के महाराजा द्वारा करवाया गया ।

पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण ने ज्योतिसर में अर्जुन को एक उपदेश दिया था, जिसके दौरान भगवदगीता प्रकट हुई थी, यहाँ वर्तमान में एक विशाल वट वृक्ष (बरगद का पेड़) है | भारतीय मूल के लगभग सभी धर्मों जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में वट वृक्ष को एक पवित्र वृक्ष की संज्ञा दी गई है । यही वो वट वृक्ष बरगद का पेड़ है, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा आज भी पूजा जाता है | ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण द्वारा प्रचारित श्रीमदभागवत गीता इसी वट वृक्ष की एक शाखा के नीचे

खड़े होकर दी गई थी | वह वट वृक्ष आज भी ज्योतिसर में एक पत्थरों के उठे हुए विशाल चबूतरे पर स्थित है।

यहां एक अति प्राचीन शिव मंदिर भी है जहां कौरवों और पांडवों ने श्री शिव की आराधना महाभारत युद्ध के पूर्व की थी। यहीं पर अभिमन्युपुर और हर्ष का टीला जैसे ऐतिहासिक स्थल पुरातात्विक खोज में प्राप्त हुए हैं। इसी प्राचीन स्थल के समीप अनेक प्राचीन धरोहर विशाल संग्रहालय, कुरुक्षेत्र पैनोरमा और क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र और श्रीकृष्ण संग्रहालय भी स्थित हैं। जो इस पवित्र पौराणिक स्थल की शोभा को और बढ़ा देते है | यह पवित्र तीर्थ स्थल SH-6 राज्य राजमार्ग पर कुरुक्षेत्र शहर के पश्चिम में स्थित है।

हरियाणा प्रदेश में स्थित कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा ज्योतिसर तीर्थ का जीर्णोद्धार और निरंतर उन्नयन किया जा रहा है। कृष्णा सर्किट योजना, कुरुक्षेत्र विकास परियोजना, हरियाणा सरकार और भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से अनेक योजनाएँ इसके उत्थान के लिए शुरू की गई है, जिसमें कुरुक्षेत्र में और उसके निकट कई अन्य पर्यटन स्थलों का विकास शामिल है | इनमें पवित्र ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर, नरकतारी बाण गंगा, अभिमन्यु का टीला और महाभारत थीम पार्क आदि शामिल हैं। इसके साथ ही भगवत गीता और महाभारत संग्रहालय की अनेक मूर्तियाँ और चारकोसी कुरुक्षेत्र परिक्रमा मार्ग आदि में विभिन्न तीर्थ स्थलों का विकास शामिल है। स्थानीय सरकार ने सराहनीय कार्य के रूप में पिपली से ज्योतिसर तक पुनर्जीवित सरस्वती नदी का विस्तार करने का संकल्प भी लिया है।

एक और सराहनीय कार्य के रूप में राष्ट्रीय कृष्ण यात्रा मार्ग के हिस्से के रूप में, अड़तालीस कोसी कुरुक्षेत्र और इसके भीतर एक सौ चौतीस पवित्र तीर्थ स्थलों को ब्रज की ब्रज कोसी यात्रा के ही तर्ज पर और सुदृढ़ विकसित किया जा रहा है। इस विशिष्ट राष्ट्रीय परियोजना के तहत हरियाणा राज्य सरकार, भारत सरकार और संबंधित अन्य स्वयंसेवी संस्थायें भी भगवान कृष्ण के दो अत्यंत विशाल मंदिरों का निर्माण इसी क्षेत्र में कर रही हैं, जो देश के अन्य क्षेत्रों में पूर्व निर्मित मंदिरों के तर्ज पर होगा | (वृंदावन में 65 एकड़ में 800 करोड़ रुपये (US120 मिलियन) की लागत से और बैंगलोर में 700 करोड़ रुपये की लागत से (US105 मिलियन) |

ज्योतिसर का एतिहासिक वर्णन :

इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखे तो हमें साक्ष्य मिलता है कि 150 साल पहले कश्मीर के राजाओं ने विशेष तौर पर ज्योतिसर का जीर्णोद्धार कराया था | 1923 में पहली बार लाला दयालीराम ने सभा में कहा था कि "श्रीमदभागवत गीता की वास्तविक उपदेश स्थली ज्योतिसर ही है।"

ज्योतिसर तीर्थ के पूर्व महंत आदरणीय स्वामी हरा नंद जी ने "इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट", देहरादून के विशेष वैज्ञानिकों को बुलाकर शोध कराया था। शोध से प्राप्त प्रमाण ये दावा करते थे कि "ये वटवृक्ष विश्व के पुरातन पांच हजार वर्ष पुराने वट वृक्षों के वंशज हैं।"

द्वापर युगी महाभारत आज से पांच हजार वर्षो पहले ही हुई ऐसा माना जाता है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बॉटनी विभाग के प्रोफेसर डॉ. ए.बी. वशिष्ठ के अनुसार वटवृक्षों की आयु प्रायः ड्रेंडोक्रोनोलॉजी व कार्बन डेंटिंग से ही पता चलती है। हालांकि वटवृक्ष के बारे में यह सही है कि प्राब रूट्स से नया तना बनता है, पुराना तना नष्ट होता जाता है। ऐसे में कोई भी वटवृक्ष सैकड़ों साल पुराने पेड़ का वंशज हो सकता है।

निष्कर्ष :

कुरुक्षेत्र के इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत युद्ध ज्योतिसर से शुरू हुआ | यहीं युद्ध की पूर्व संध्या पर वीर योद्धा अर्जुन को गीता के शासक भगवान श्री कृष्ण से अनन्त संदेश दिया | इतिहासकार कहते हैं कि आदि गुरु श्री शंकराचार्य ने ईसा के युग की 9वीं शताब्दी में हिमालय में रहने के दौरान इस स्थान की पहचान की | कालांतर में 1850 में कश्मीर के राजा ने ज्योतिसर तीर्थ में एक शिव मंदिर का निर्माण किया। आगे के इतिहास में 1924 में, दरभंगा के राजा ने उक्त पवित्र बरगद के पेड़ के चारों ओर एक पत्थर का विशाल मंच उठाया जो श्रीमदभागवत गीता के भक्तों एवं स्थानीय इतिहासकारों के अनुसार यह गीता गेल श्रीमदभागवत गीता के अनंत कोटि व्याख्यान का एक प्रमाणिक सबूत है। कालान्तर में 1967 में कांची काम कोठी पीठ के श्री आदि शंकराचार्य ने पूर्व में सामने पड़ने वाले मंच पर गीता की वास्तविकता को दिखाते हुए एक दिव्य श्री कृष्ण एवं अर्जुन का व्याख्यान रथ स्थापित किया है। ऐसा माना जाता है कि अतीत में यह तीर्थ पवित्र प्राचीन मंदिर में शामिल हो सकता है | दमनकारी मध्ययुगीन काल में मुग़ल आक्रमणकारियों के क्रोध के कारण इसका विकास अवरोधित हो गया, जिस कारण इस तीर्थ स्थल का व्यापक विकास नहीं हो सका। 9वीं -10 वीं शताब्दी के इस तरह के मंदिर की स्थापत्य कला में इस मंदिर की अनुपम छवि है | यह प्राचीन मंदिर भारत के भव्य मंदिरों में शामिल है। हरियाणा प्रदेश, पर्यटन विभाग भारत सरकार सहयोग से यहां प्रतिदिन सायं काल के समय हिंदी और अंग्रेजी में एक साउंड शो का संचालन सुचारू रूप से होता चला आ रहा है।

संदर्भ ग्रंथ :

1. केंद्रीय पर्यटन मंत्री से हरियाणा के सीएम की मुलाकात खत्म, एक घंटे की मीटिंग में इन मुद्दों पर बात, haryanaexpress.in, 29 July 2021.

2. ज्योतिसर तीर्थ का प्रोजेक्ट अटका, थीम पर काम पूरा होना तो दूर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तक पूरा नहीं, Dainik Jagran, 22 Aug 2021.

3. डॉ ओमप्रकाश एम. अष्टंकर, किट, रामटेक, भारत; मन प्रबंधन: भगवद गीता से सबक; कंप्यूटर में उन्नत अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल विज्ञान और प्रबंधन अध्ययन; खंड 4, अंक 3, मार्च 2016

4. युबराज पांडे, इकनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ भगवद गीता का दर्शन: एक वर्णनात्मक विश्लेषण; विकास के मुद्दों के आर्थिक जर्नल; खंड 23 और 24, संख्या 1-2 (2017) संयुक्त अंक

5. गीता स्थली ज्योतिसर में लगेगा श्रीकृष्ण भगवान का विराट स्वरूप, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट, वजन 33 टन, Dainik Jagran, 16 Aug 2021.

6. Kurukshetra to have 4 bronze statues, The Tribune,23 Oct 2020.

7. Remove encroachments: Saraswati board to public, The Tribune, 1 march 2021.

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, December 2022, Volume-14 Issue-23

21 वीं सदी के हिन्दी बाल नाटकों का महत्व

शालिनी तायवाडे[1] डॉ. ज्योति सिंह[2]
[1]शोधार्थी कला संकाय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)
[2]निर्देशक सहा. प्राध्यापक (भाषा विभाग) प.म.ब. गुजराती विज्ञान महाविद्यालय,
इन्दौर (म.प्र.)
Email- ranjeetwankhade@gmail.com
DOI-10.5281/zenodo.7524527

सार

नाटक बाल साहित्य की उन सफलतम विधाओं में बहुआयामी विधा है जो बच्चों को बाल्यावस्था से ही संस्कारवान एवं चरित्रवान बनाती है। बाल नाटक बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में आधार स्तम्भ होते हैं। बच्चों के लिए बाल नाटक सर्वांगीक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो इसीलिए बाल नाटककार को बच्चा बनकर उनके भाव जगत से एकाकार होना पड़ता है। एक बाल नाटककार के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका चिरंजीवी बचपन होता है। इसी गुण के आधार पर वह बच्चों के भाव जगत से जुड़ता है। नाटककार को बच्चों की काल्पनिक दुनिया उनके अतरंगी खेलों से एवं उनके व्यवहारों से जुड़ना पड़ता है। क्योंकि एक नाटककार की भावना यही होती है कि जब वह किसी उद्देश्य का सृजन करें तो वह पूर्णरूप से बाल उपयोगी हो। बचपन से दिये गये संस्कार और मूल्य आजीवन बच्चों में निहित रहते हैं। यही नींव बच्चों को जीवन में सफल बनाने में महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए बाल नाटक बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

बालनाटक बच्चों को एकल शिक्षा प्रदान न कर जीवन को विभिन्न रंगों से भरने का सृजनात्मक कार्य करते हैं। ये शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास भरकर उनकी झिझक, शरमाना, घबराहट को कम कर आपसी सहयोग की भावना का विकास करके विचारों का आदान–प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करते हैं। यह एक ऐसी विधा है जिसमें संगीत, अभिनय, नृत्यु, गीत, काव्य सभी कलाओं का प्रादुर्भाव समावेशित होता है। इन कला के समावेश के कारण बच्चों में विभिन्न प्रकार का सौंदर्य बोध विकसित होता है।

इतना ही नहीं, इसमें कहानी, कविता, उपन्यास खुद ही खुद जुड़ते चले जाते हैं। जो बच्चों का सर्वांगीक विकास करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। नाटकों और उसके महत्व को स्वीकार करते हुये डॉ. हरिकृष्ण देवसरे जी लिखते हैं – ''बच्चों के नाटक ऐसे होने चाहिए जो उनकी कल्पना शक्ति को जागृत एवं उत्तेजित कर सकें, उनके व्यक्तित्व का विकास कर सकें और साथ ही उनके अनुभव क्षेत्र का प्रसार करने में समर्थ हो।''

इन नाटकों का महत्व तब सफल होगा जब इन नाटकों में सर्वदा कल्याणकारी एवं प्रेरणात्मक ज्ञान को लिखा जायेगा। बच्चे जिसके द्वारा अपने अंदर छुपी प्रतिभा को जानकर अपना चारित्रिक एवं बहुमुखी विकास कर सकें। चूँकि बाल नाटकों का क्षेत्र आज व्यापक स्तर पर महत्वपूर्ण हो चुका है, इसके महत्व को स्वीकार कर आज विदेशों में भी बच्चों को अभिनेय के लिये थिऐटर बने हुये हैं। जिसमें बच्चे ही सब कुछ है। यह एक ऐसी विधा है, जिसमें एक से बढ़कर एक प्रसंग होते हैं। ये प्रसंग विभिन्न विषयों से सरोकार रखने वाले होते हैं जो उन्हें नित नई जानकारी देकर चेतना जागृत करते हैं। इस प्रकार के रोचक प्रसंग बच्चों में नई–नई जानकारियाँ प्रदान कर उनका बौद्धिक एवं चारित्रिक निर्माण कर भविष्य का सृजन करते हैं। बच्चों के समक्ष ऐसे आदर्श चरित्रों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जिनसे बच्चे अपने व्यवहारिक जीवन में अच्छी आदतों का निर्माण करने, आलस्य को दूर भगाने, झूठ न बोलना, चोरी न करना, सदा सत्य के मार्ग पर चलना इन सबके लिये उन्हें राजा हरिशचन्द्र, ध्रुव प्रहलाद, भरत, गाँधी के जीवन चरित्रों से परिचित कराना आवश्यक है। जिससे बच्चे जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़कर अपना कल सुनिश्चित करें। डॉ. प्रकाश मनु ने बाल नाटकों के सन्दर्भ में अपने विचार व्यक्त कर रहा है कि ''बाल नाटक बाल साहित्य की वह विधा है, जो बच्चों को इतने देर तक अपने आप में तल्लीन रख सकती है कि एक क्षण के लिए भी वहाँ से भटकाव या इधर–उधर ताँकने झाँकने का मौका नहीं मिलता शायद इसीलिए कि बाल नाटकों में बाल साहित्य की अन्य विधाऐं खुद–ब–खुद चली आती है।''

बाल नाटक बच्चों को तल्लीन रखकर उनकी उत्सुकता और जिज्ञासाओं को प्रबल बनाकर उन्हें विचार एवं चिंतन की ओर ले जाते हैं। इन नाटकों में अन्य रोचक चीजों के कारण बच्चों की रोचकता बढ़ते चली जाती है। बाल नाटक बच्चों के जीवन में खेलों के महत्व और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों के माध्यम से उनको खेल जगत से जोड़ने का कार्य करते हैं। ये जीवन की उन समस्याओं को सुलझाने का कार्य करते हैं, जो जीवन में किसी न किसी रूप में दस्तक देती है और उनका समाधान भी प्रस्तुत करते हैं।

नाटकों में अभिनेय करने से बच्चों को संवाद के माध्यम से भाषा की अशुद्धियाँ और कठिनाईयाँ समझ में आने लगेगी और इसी के साथ भाषा के उच्चारण में शुद्धता आयेगी। अकसर देखा जाता है कि बच्चे किताबों में लिखी बनावटी भाषा से परिचित होते हैं। वे भाषा को उचित रुप से पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि अधिकतर लोग घर पर या व्यवहार में बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा

का सही तरीके से अध्ययन करने से बच्चों को बोलने में सुविधा उपलब्ध होगी। इस तरह से नाटक अपनी विभिन्न विशेषताओं से अपनी क्षमता दर्शाते है। बाल नाटक मन की जिज्ञासाओं को शांत कर मन के संस्कारों को समृद्ध बनते हैं।

21 वीं सदी के बाल नाटकों में जीवन के वो सारे रंग मौजूद है जिसके दर्पण में बालक दुनिया के सारे रंग देख सकता है। बच्चों का यही आकर्षण बाल नाटकों की उपयोगिता के महत्व का प्रतिपादन करता है। इस बारे में आज के सन्दर्भ में बाल नाटकों के बारे में बहुत कुछ करने की जरुरत है। ''बच्चों की सहज सजृनात्मक अभिव्यक्ति के रुप में स्कूलों में पढ़ाई के अलावा एक महत्वपूर्ण और जरूरी गतिविधियों के रुप में और वयस्कों द्वारा नियमित रंगमंच के महत्वपूर्ण कल्पना प्रधान प्रकार के रुप में बाल रंग मंच के विभिन्न रुप न केवल बच्चों के सौंदर्य बोध और कलात्मक प्रवृत्तियों को जगाते, सँवारते और उत्तेजित करते हैं वे भविष्य के अभिनेता, निर्देशक, रंगशिल्पी और इन सबसे भी अधिक संवेदनशील दर्शक भी तैयार करते हैं।''

आज के समय में दी जाने वाली शिक्षा पुस्तकों का मूल आधार है। परंतु इस शिक्षा में जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण नहीं है। कहीं न कहीं मनुष्य ऊँचाई पर पहुँचने के लिए शीघ्र से शीघ्र प्रयत्न में लगा है। उसे दुनिया भर की जानकारी देने के लिये संचार माध्यमों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है और वहीं शिक्षा में भी देखने को मिलती है। जिसका जीवन के समस्त विकास में कोई महत्व नहीं है, परंतु बाल नाटक ऐसा सशक्त माध्यम है जो बच्चों की निरसता, अकेलापन और उस पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को कम किया जा सकता है। ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसका असर जनमानस पर भी दिखाई पड़ता है। नाटकों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए नाटकों में शास्त्रीय एवं लोक कलाओं का होना आवश्यक है, क्योंकि बच्चे नृत्य और संगीत को ज्यादा पसंद करते हैं अगर बाल नाटकों मे इनका समावेश हो, तो यह बालकों के लिये और भी महत्वपूर्ण हो जायेंगे, क्योंकि थका हारा बच्चा भी मनोरंजन चाहता है और बाल नाटकों का सबसे प्रमुख गुण 'मनोरंजन' है। मनोरंजन ही बाल नाटकों को आकर्षक एवं सहज बनाते हैं इसी कारण बच्चे इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। यही संगीत बच्चों में सौंदर्य बोध जगाते हैं।

बाल नाटकों के द्वारा बच्चों में महान चरित्रों के माध्यम से अच्छे आदर्श एवं संस्कार संप्रेषित किये जा सकते है ''रंग मंचीय बाल नाटकों को अपना अलग महत्व होता है। महान पुरुषों के जीवन से सत्प्रेरणा प्राप्त करने के लिए राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महात्मा गाँधी, शिवाजी, महारानी लक्ष्मीबाई, विवेकानंद, सुभाषचन्द्र बोस, सरदार सिंह आदि के जीवन चरित्रों का अभिनय बालकों द्वारा इस उद्देश्य से बनाए गए मंचों पर किया जाता है, तो बालक प्रेरित होते हैं। एक तो ये जीवन मूल्यों की शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरा जन्मभूमि मातृभूमि देश के प्रति भक्ति के भाव उनके हृदय में जागृत होते हैं फिर भी यह देखा जाता है कि हमारे देश में बच्चे के अभिनय के लिए मंचों की व्यवस्था की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बालकों में अच्छे गुणों और संस्कार डालने के लिए बाल नाटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।''

बाल नाटकों का महत्व बच्चों को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने एवं नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए भी महत्वपूर्ण माने गये है। 21 वीं सदी का समय संचार और नई–नई प्रौद्योगिकी और आविष्कार का युग है। इन संचार और रोचक तथ्यों को जानने में बच्चा इतना लिप्त हो गया है कि वह अपनी संस्कृति सभ्यता भूलते जा रहा है। वह जीवन की वास्तविकता को अनदेखा कर अपने मार्ग से भटकते जा रहा है और अपने जीवन मूल्य को भूलते जा रहा है। परंतु कही न कही इन सब मूल्यों को विकसित करने का एक मात्र साधन बाल नाटक ही है। इसके प्रदर्शन और विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का चित्रण कर बालक बहुत कुछ सीख सकता है।

21 वीं सदी पूर्णतः जागरूक एवं नवीन विचार शैली को अपनाने वाली है जिसमें माता–पिता भी समय के साथ अपने बच्चों के भविष्य एवं कार्य श्रेष्ठ के लिए गंभीर चिंतन के रुप में बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित है। आज स्कूलों के वार्षिक उत्सवों में बच्चों की सहभागिता के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। उनका सृजनात्मक विकास करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वह जानने लग गए है कि आज की इस प्रतिस्पर्धा की तोड़ में बच्चों को कैसे संस्कारित एवं भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिये कैसे तैयार करें।

माता–पिता बच्चों को सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक एवं जीवन मूल्य आदि से सर्वांगीक रूप से परिचित कर उनको भविष्य के लिये तैयार कर रहे हैं। राष्ट्र क्या राष्ट्र के मायने उन्हें बाल नाटकों के माध्यम से समझा रहे हैं। इसी संदर्भ में देवप्रकाश जी लिखते हैं ''हकीकत यह है कि बाल रंगमंच बच्चों को अच्छा अभिनेता बनाये या न बनाये। एक अच्छा इंसान तो बनाता है। बाल रंगमंच में बच्चों में किसी समस्या या विचार को समझने की सामर्थ्य में वृद्धि तो होती है। उनकी निरीक्षण क्षमता, सजगता, अन्तःदृष्टि तथा कल्पना शक्ति आदि अनेक क्षमताऐं भी सशक्त होती है, ऐसा इसीलिए संभव हो पाता है, क्योंकि नाटक बच्चों को अपनी अनेक वस्तुओं के बारे में नये सिरे से सोचने के लिए प्रेरित करता है।''

बाल नाटक कहीं तो बच्चों को सहयोग की भावना तो कही पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करने में तो कही पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक चेतना जागृत कर बच्चों में संस्कारों का निरुपण कर रहे हैं। साथ ही बच्चों में परोपकारी, ईमानदारी, सत्य कर्तव्यनिष्ठ जैसे नैतिक मूल्यों का प्रतिपादन कर बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर रहे हैं। बाल साहित्यकारों ने बच्चों के लिये हर प्रकार से अपने साहित्य में उन गुणों का

सृजन किया है जिससे बच्चा अपना शारीरिक एवं मानसिक विकास कर सकें। बच्चों के भविष्य और उनकी मानसिकता को परखकर बाल नाटककारों ने ऐसे बाल नाटकों का सृजन किया है जो बच्चों के महत्व के हो। श्रीमति रेखा जैन का उधम धीरज बड़ी चीज है। यह नाटक कछुए और खरगोश के माध्यम से बतलाया है कि खरगोश की भाँति अधिक आतुर व घमण्ड न रखने का संदेश दिया है और कछुऐं की भाँति धीरज रखकर किसी भी कार्य को करने के लिये कहा है। कमलेश्वर जी का बाल नाटक पैसों का पेड़ जो बच्चों में सहयोग की भावना का विकास करता है।

विष्णु प्रभाकर का ऐसे–ऐसे जिसमें होमवर्क के नाम पर बच्चों का पेट दर्द होने लगता है। श्रीकृष्ण का बाल नाटक मरखना बैल, माँग पत्र जो बच्चों की बुरी आदतों एवं अपने हक के लिए लड़ते बच्चों के नाटक है। गिरिराज शरण अग्रवाल का बाल नाटक 'आम का पौधा' जिसमें एक ईमानदार बालक की रोचक कहानी है, वहीं राष्ट्रबन्धु जी के नाटक पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या पर तीखा प्रहार है। इसके अलावा डॉ. बानो सरताज के बाल नाटक जिसमें सामाजिक चेतना और बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करते दिखाई पड़ते हैं, जिसमें जब जागे तभी सवेरा, टमाटर खाँ, जन्मदिन का पार्टी आदि डॉ. रोहिताश्व अस्थाना जी ने भी अपने नाट्य संग्रह चुने हुये बाल एकांकी में बच्चों के उपयोगी एवं महत्व के नाटकों को प्रस्तुत किया है।

जय प्रकाश भारती ने नाटकों के महत्ता का प्रतिपादन कर लिखा है ''शिशु हो या बालक अभिव्यक्ति करना उसके स्वभाव में होता है, बड़ो ने इसे बाद में अपना लिया अभिनय करने पर बालक में विश्वास जगता है। अपनी बाते साफ–साफ कहने की क्षमता बढ़ती है। मनोरंजन तो होता है, ऐसे पूरा जीवन ही रंगमंच पर अभिनय होता है।''

अंततः कह सकते है कि बाल नाटक बच्चों की अभिव्यक्ति का सुलभ साधन है एवं बच्चों के जीवन को विभिन्न रंगों से भरकर उनका सरलता एवं सहजता के साथ विकास करते हैं। बाल नाटक बच्चों के लिए सर्वांगीक रुप से उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। चाहे शिक्षा की दृष्टि से हो या स्वच्छता की दृष्टि से बच्चों के जीवन मे बाल नाटकों का निर्वाद महत्व है।

संदर्भ सूची

1. हिन्दी बाल साहित्य के अनन्य साधक डॉ. शकुन्तला कालरा, संस्करण 2014, पृष्ठ 196
2. भारतीय बाल साहित्य अकादमी, उदयपुर पृष्ठ – 15, साहित्य अकादमी, उदयपुर
3. बाल साहित्य का स्वरुप और रचना संसार पृ. 179, संस्करण 1998
4. प्रतिनिधि बाल नाटक डॉ. हरिकृष्ण देवसरे प्रथम संस्करण 1996 पृष्ठ–96
5. बाल साहित्य समीक्षा के प्रतिमान और इतिहास लेखन डॉ. सरोजनी पाण्डेय संस्करण 2011, पृष्ठ – 165
6. डॉ. राष्ट्रबन्धु का बाल साहित्य एक मूल्यांकन पृष्ठ–26

'Journal of Research & Development'
A Multidisciplinary International Level Referred and Peer Reviewed Journal,
Impact Factor-7.265, ISSN: 2230-9578, December 2022, Volume-14 Issue-23

निर्धनता का अनुसूचित जाति की महिलाओं के शिक्षा पर प्रभाव- एक अध्ययन

प्रियंका प्रिया[1] डॉ० विश्वनाथ झा[2]

[1]शोधार्थी, विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

[2]पूर्व प्रधानाचार्य सह अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, चन्द्रधारी मिथिला महाविद्यालय, दरभंगा

DOI- 10.5281/zenodo.7546439

सारांश:-

भारत में महिलाएं समाज के अधिक वर्चस्व वाले और उत्पीड़ित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं और उम्र भर उनकी उपेक्षा की जाती रही है। समाज में महिलाओं की स्थिति विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। इन कारकों में रोजगार, शिक्षा, आय आदि शामिल हैं। भारत में महिला शिक्षा समाज के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बावजूद अनुसूचित जाति की महिलाओं में शिक्षा का बहुत अभाव है। यह अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक रूप से देखा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा कारक निर्धनता एवं जागरूकता को माना गया है। जिस कारण अनुसूचित जाति की महिलाएं शिक्षा से वंचित रहने को विवश हो जाति है। प्रस्तुत आलेख में अनुसूचित जाति की महिलाओं की शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है एवं उसपर निर्धनता का पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द:- शिक्षा, निर्धनता, उत्थान, सामाजिक, आर्थिक, आदि।

परिचय:

शिक्षा का सीधा संबंध व्यक्ति और समाज के विकास से है। यह आर्थिक विकास और सामाजिक स्वतंत्रता दोनों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षा न केवल संस्कृति के प्रसारण के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में समाज के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। सवाल यह है कि हमारे समाज में महिलाओं की शिक्षा क्यों जरूरी है? डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है कि "शिक्षा वह है जो व्यक्ति को निडर बनाती है, उसे एकता का पाठ पढ़ाती है, उसे अपने अधिकारों से अवगत कराती है, और उन अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है।" महिलाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण है ताकि समान व्यवहार किया जा सके और समाज में पुरुषों के समान अवसर प्रदान किए जा सकें। यदि एक महिला को शिक्षित किया जाता, तो वह सभी अधिकारों को प्राप्त करने में सक्षम होती और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि सभी क्षेत्रों की केंद्रबिंदु होती। भारत में, महिलाओं की स्थिति जाति से जाति, वर्ग से वर्ग, धर्म से धर्म, संस्कृति से संस्कृति आदि में भिन्न होती है। शिक्षा आवश्यक ज्ञान, सीखने और कौशल प्रदान करती है जो व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं को परिवार के साथ-साथ समाज में आदर्श रूप से संचालित करने में सक्षम बनाती है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को समाज में प्रगति और विकास के संकेत के रूप में देखा जाता है और यह उस समाज के कुशल कामकाज में भी योगदान देता है।

महिलाओं के लिए शिक्षा आवश्यक है ताकि वे समानता प्राप्त कर सकें। मूल्य परिवर्तन के लिए यह एक पूर्व-आवश्यकता है, क्योंकि मूल्य परिवर्तन के बिना सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सामाजिक कानूनों ने उन्हें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक अधिकार दिए हैं, लेकिन केवल उन्हें अधिकार देने से वे इन अधिकारों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। कानून उन्हें चुनाव में वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक पदों पर बैठने का अधिकार दे सकता है, लेकिन यह उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यह मुख्य रूप से शिक्षा की कमी के कारण है, जिसने उन्हें पारंपरिक भूमिकाओं और मूल्यों से चिपका दिया है। साहस की कमी उन्हें साहसिक कदम उठाने से रोकती है। शिक्षा उन्हें उदार और व्यापक सोच देगी और उनके दृष्टिकोण, मूल्यों और भूमिका की धारणाओं को बदल देगी।

शिक्षा सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली तत्व है जो समाज में मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। हाल के वर्षों में भारत में बहुत कम लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला है। उन परिस्थितियों में अनुसूचित जाति की महिलाओं ने छुआछूत और भेदभाव का अभिशाप झेला है। उन्हें जमीन और यहां तक कि पानी तक की पहुंच से वंचित कर दिया गया। पहले के समय में शिक्षण संस्थानों में भी छुआछूत और जाति व्यवस्था का प्रचलन था। भारत में अनुसूचित जाति की महिलाओं की निम्न शैक्षिक स्थिति असमान शैक्षिक अवसरों और शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न जाति-आधारित भेदभाव के कारण थी। यद्यपि भारत में अनुसूचित जाति की महिलाओं के शैक्षिक उत्थान के संबंध में कई संवैधानिक प्रावधान हैं, फिर भी उनकी शैक्षिक स्थिति पहले की तरह ही बनी हुई है। इस प्रकार, जबरदस्त प्रगति के बावजूद, अनुसूचित जाति की महिलाएं अभी भी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक क्षेत्रों की परिधि में हैं। समाज के कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा का विशेष महत्व है, क्योंकि सदियों से उनकी अशिक्षा और

सामाजिक पिछड़ेपन का उपयोग उनके उत्पीड़न, अपमान और आर्थिक शोषण के लिए किया जाता रहा है। अनुसूचित जाति की महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में बहिष्करण और भेदभाव का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी शिक्षा के स्तर और साक्षरता दर के बीच अन्य की तुलना में एक महत्वपूर्ण अंतर है।

साक्षरता समाज में किसी भी समूह की शैक्षिक स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। यह अन्य विकासात्मक संकेतकों से भी संबंधित है। भारत में, कुल जनसंख्या की साक्षरता दर 1951 में 16.7 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 65.2 प्रतिशत हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत बताई गई है और समय-समय पर इसमें वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति के लिए साक्षरता दर 1961 में 10.4 प्रतिशत से बढ़कर 1981 के दौरान 39.61 प्रतिशत और 2001 के दौरान 62.18 प्रतिशत हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में अनुसूचित जाति की आबादी की साक्षरता दर 66.1 प्रतिशत बताई गई है और यह भी 2019-19 से बढ़ गई है। समय - समय पर। भारत में अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर 2001 में लगभग 42 प्रतिशत थी और 2011 में बढ़कर 56.5 प्रतिशत हो गई है। अनुसूचित जाति की महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में पिछले दो से तीन दशकों में काफी बदलाव देखा गया है।

अनुसूचित जाति की महिलाओं के शिक्षा पर निर्धनता का प्रभाव:-

गरीबी को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक विकास में बाधा माना जाता है। वर्तमान विश्व में गरीबी उन्मूलन में शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है। गरीबी और उससे जुड़े नुकसान बच्चों के जीवन को कई तरह से प्रभावित करते हैं। बचपन के चरण के दौरान प्राथमिक पहलू शिक्षा का अधिग्रहण है। जो बच्चे गरीबी की स्थिति में रह रहे हैं वे शैक्षिक अवसरों और शैक्षिक परिणामों दोनों को प्रभावित करते हैं जो वे शायद अनुभव करेंगे। निर्धनता को शिक्षा ग्रहण करने के राह में सबसे बड़ा बाधा माना गया है। अनुसूचित जाति आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए है, जिस कारण शिक्षा के बजाय बच्चो को मजदूरी करना पड़ता है। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक है, जहां अनुसूचित जाति की महिलाओं में शिक्षा की व्यापक कमी है। इसका मुख्य कारण उसके परिवार के आर्थिक स्थिति है। निर्धनता के कारण बच्चो को विशेषकर लड़कियों को स्कूल जाने के बजाय मजदूरी करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश महिलाएं अशिक्षित है, कुछ मामले में अनुसूचित जाति स्कूल जाने को आज भी समय की बर्बादी ही मानते है। चूंकि निर्धनता के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण करना उनको मुश्किल लगता है, जबकि बचपन से मजदूरी करने पर एक कुशल श्रमिक बनने की बात कही जाती है। बच्चो के मजदूरी से परिवार का भरण-पोषण ठीक ढंग से हो पाता है।

गरीब परिवारों के बच्चे, जिनके पास बुनियादी संसाधनों और ज़रूरतों की कमी है, असुरक्षित और प्रदूषित पड़ोस में रहते हैं और सीखने के माहौल से वंचित हैं। गरीबी का व्यक्तियों के संज्ञानात्मक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बढ़ते मानकीकरण, अकुशलता और शिक्षकों के काम पर नियंत्रण को छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव के रूप में देखा जाता है, जो गरीबी और सामाजिक नुकसान के कारण कई अभावों से गुज़रे हैं।

सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए कई योजनाए शुरू करने के बावजूद अनुसूचित जाति के बच्चो को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण जागरूकता का अभाव है। सरकार के योजनाओं का समय पर लाभ नहीं मिलना भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जिस कारण अधिकांश अनुसूचित जाति के लोग शिक्षा से दूर रहने को विवश है।

शिक्षा के महत्व के बारे में गरीबों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्तमान युग में नीतियां और योजनाएं लागू की गई हैं। ऐसे विज्ञापन हैं जो शिक्षा के महत्व पर जोर देते हैं, दावा करते हैं कि जब नागरिक शिक्षित होंगे, तो देश प्रगति करेगा। चाहे कोई व्यक्ति कम शिक्षित हो या उच्च शिक्षित या पढ़ने, लिखने और अंकगणित के बुनियादी साक्षरता कौशल के पास हो, शिक्षा व्यक्तियों को एक कुशल जीवन जीने में सक्षम बनाती है, बशर्ते इसका उपयोग कुशल तरीके से किया जाए। गरीबी की स्थिति में रहने वाले व्यक्ति शिक्षा के महत्व को समझते हैं; वे अपने रहने की स्थिति को बनाए रखने के लिए ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में प्रवास करते हैं और आमतौर पर निर्माण श्रमिकों, मजदूरों, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, ड्राइवर, या रसोइया जैसी नौकरियां प्राप्त करते हैं, और महिलाएं आमतौर पर रसोइयों, छोटे बच्चों या बुजुर्गों की देखभाल करने वालों के रूप में कार्यरत होती हैं, और घरेलू सहायक । वे अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं जहां उन्हें मुफ्त शिक्षा मिलेगी और वे अपने कौशल में सुधार कर सकेंगे।

निष्कर्ष:-

भारत में अनुसूचित जातियां समाज में सबसे पिछड़े और वंचित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। वर्तमान आलेख में इस बात पर चर्चा की गई है कि साक्षरता और उन्हें प्रदान की जाने वाली योजनाओं तक पहुंच के विभिन्न मानव विकास संकेतकों के मामले में अनुसूचित जाति किस तरह पीछे है। वे स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक

संकेतकों में सबसे नीचे हैं और हर क्षेत्र में उनका आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से शोषण किया जाता है। यह जानकर भारत सरकार ने उनके उत्थान के लिए विभिन्न सकारात्मक कार्रवाई और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को अपनाया है। अपनाई गई विभिन्न नीतियों और कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं और इस वंचित समूह की स्थितियों में सुधार हुआ है। लेकिन, विभिन्न प्रावधान कभी-कभी एक मिथक बन जाते हैं कि उन्हें अज्ञानता के कारण और कभी-कभी जाति या नस्ल जैसी सामाजिक सीमाओं के कारण इन प्रावधानों तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हालांकि, अनुसूचित जातियों के मानव विकास की स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति के लिए, विकास संगठनों को प्रोत्साहन के विभिन्न स्तरों का पता लगाने और भारत में राष्ट्रीय सामाजिक समानता का पीछा करना जारी रखना चाहिए।

शिक्षा के अवसर जो समाज द्वारा गरीबी से पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं, स्कूलों तक पहुंच और उचित बुनियादी ढांचे, योग्य, कुशल और कुशल शिक्षकों और सुखद सीखने के माहौल वाले स्कूलों के रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच के मामले में अपर्याप्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी स्कूलों और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है लेकिन सीमित है और इसे सीमांत के रूप में देखा जा सकता है, जबकि राज्य की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गरीबी से पीड़ित व्यक्तियों के बीच शिक्षा की सुविधा के लिए, वित्तीय सहायता, बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधाओं, रचनात्मक गतिविधियों, निर्देशात्मक रणनीतियों और स्कूलों के भीतर उचित शिक्षण और सीखने के तरीकों का प्रावधान करना आवश्यक है, ताकि वे सीखने के प्रति प्रेरित महसूस करें।

संदर्भ सूची:-

1. डेका, नबनिता। इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज (आईआरजेआईएमएस), II (VI), 2016, 64-69, रौता डेवलपमेंट ब्लॉक के विशेष संदर्भ में उदलगुरी जिले में अनुसूचित जाति के लोगों की शैक्षिक स्थिति पर एक अध्ययन।
2. ढेंडे, लता दिगंबर। भारत में अनुसूचित जाति और उच्च शिक्षा परिदृश्य का एक अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस एंड रिसर्च, 4(11), 2017।
3. नजीमुद्दीन, एस.के., "सोशल मोबिलिटी एंड द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग सोशल मोबिलिटी," इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, 3(7), 2015।
4. आहूजा, राम। भारत में समाज: अवधारणाएं, सिद्धांत और हालिया रुझान नई दिल्ली: रावत प्रकाशन, 1999।
5. भारतीय समाज में देसाई, नीरा और उषा ठक्कर महिला नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, 2001।
6. राव, सी.एन.एस. सोशियोलॉजी: प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी विथ एन इंट्रोडक्शन टू सोशल थॉट नई दिल्ली: एस. चंद एंड कंपनी लिमिटेड, 1990।

बिहार में पर्यटन क्षेत्र में भविष्य का विकल्प – इस्कॉन (ISKCON)

[1]सुप्रिया सृष्टि, [2]रघुबर प्रसाद सिंह

[1]शोधार्थी, विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा

Email- shristisupriya@gmail.com

[2]शोधार्थी, विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा

Email- rrajji4@gmail.com

DOI- 10.5281/zenodo.7546469

सारांश:-प्रस्तुत शोध आलेख में पर्यटन की महत्वता को समझते हुए बिहार में पर्यटक के लिए नए अवसरों की खोज का अध्ययन किया गया है साथ ही बिहार में धार्मिक स्थल की वास्तुकला को परिभाषित करने का एक प्रयास किया गया है । बिहार हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और इस्लाम जैसे विभिन्न धर्मों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। कई पर्यटक अपनी तीर्थ यात्रा करने के लिए बिहार की यात्रा करते है। दरभंगा जैसे छोटे जिले मैं पर्याप्त समृद्धि होने के बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के क्षेत्र में इसे अनदेखा किया जाता आ रहा है, यहां उचित अवसर प्राप्त नहीं है। इसका प्रमुख कारण है, यहां की वास्तुकला की समृद्धि स्थानीय स्तर तक ही सीमित है, जिसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पसंद करने के लिए यहां की कलाओं की जानकारी पूरे देश में पहुंचाई जा सके और इसी चुनौती को समझते हुए इस शोध में प्रयास किया जा रहा है। पर्यटन विकास योजनाओं का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र दीर्घकालीन सफलता का सूचक है और प्रमुख हित धारकों के सहयोग को प्रोत्साहित करता है। पर्यटन के संदर्भ में राष्ट्रीय से क्षेत्रीय स्तर तक आने वाले भविष्य की समीक्षा आवश्यक हो गई है क्योंकि पर्यटन स्थानीय विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देता है।

प्रमुख शब्द : पर्यटन, धार्मिक स्थल, वास्तु कला, विरासत, संस्कृति।

परिचय:-

पर्यटन अर्थव्यवस्था का एक निर्यातोन्मुख सेवा क्षेत्र है जहां कुशल, अकुशल और अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए स्वतंत्र रोजगार के अवसर का निर्माण किया जा सकता है। यह मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक राज्य से दूसरे राज्य, और देश को विदेशों की संस्कृति से जुड़ने का उसे समझने का अवसर देता है। पर्यटन वह यात्रा है जिसका उद्देश्य प्राचीन काल में धार्मिक संस्कृति से जुड़ा था, जो आज ज्ञान और मनोरंजन का भी एक प्रमुख साधन है। संत अगस्टिन के शब्दों में पर्यटन की विशेषता बताते हुए यह कहा गया है कि बिना विश्व दर्शन ज्ञान अधूरा है। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार पर्यटक वह लोग हैं, जो मनोरंजन व्यापार आदि उद्देश्यों से ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष के लिए यात्रा करते हैं। प्राचीन काल से ही विकास सुख और शांति तथा संतुष्टि के लिए पर्यटन को जरूरी बताया गया है । हमारे देश के ऋषि मुनि भी इसके उदाहरण हैं।

शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध गुणात्मक और वर्णनात्मक आधार पर है, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आकरो को स्रोत बनाया गया है।

- प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत अवलोकन पद्धति अपनाई गई है।
- द्वितीयक आंकड़ों के लिए प्रमुख नीति पत्र, संबंधित शोध की समीक्षा, मैगजीन, पुस्तक, समाचार पत्र इत्यादि की मदद ली गई है।

बिहार के संबंध में पर्यटन की स्थिति

पूर्वी भारत में 94563 वर्ग किलोमीटर में फैला बिहार दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए स्थानों में है, जिसका इतिहास 3000 काल प्राचीन है, जिसकी क्षेत्रफल भारत की 2.46 प्रतिशत है। विश्व पर्यटन केंद्रों में बिहार अपना एक अलग पहचान रखता है। भारत भ्रमण पर आने वाला हर छठा विदेशी पर्यटक बिहार की यात्रा करने को उत्सुक रहता है। हर साल लगभग 70 हज़ार पर्यटक बिहार आते हैं।

बिहार राज्य में कुल पर्यटकों की संख्या-

वर्ष	पर्यटकों की कुल संख्या	विदेशी पर्यटक की कुल संख्या
2001	614 6841	85673
2005	694 4006	6321

2010	1658 3411	50686
2015	2895 2855	9237 37

प्राचीन काल से ही अपनी समृद्ध संस्कृति, विभिन्न संस्कृति, धर्मस्थल, ऐतिहासिक संपन्नता, भौगोलिक भिन्नता तथा प्राकृतिक संपदा के लिए बिहार देश दुनिया को आकर्षित करता आ रहा है। प्रसिद्ध वैष्णो देवी तीर्थ के बाद उत्तर भारत में दूसरा सबसे बड़ा बजट वाला महावीर मंदिर, पटना है।

बिहार सरकार पर्यटन विभाग द्वारा यहां 7 पर्यटन परिपत्रों को चिन्हित किया गया है।

- बौद्ध परिपथ-राजगीर, नालंदा, पटना आदि
- सूफी परिपथ- राजगीर, नालंदा, पटना आदि
- जैन परिपथ-चंपारण मंदार पावापुरी आदि
- राजनगर परिपथ-सीतामढ़ी दरभंगा बक्सर आदि
- शक्ति परिपथ-आमी उज्जैन थावे आदि
- सीख परिपथ-लक्ष्मीपुर गया सासाराम आदि
- गांधी परिपथ-मोतिहारी भितिहारवा आदि

पर्यटन के बहुत से प्रकार हैं सृजनात्मक पर्यटन मनोरंजन यात्रा शीतकालीन प्रकृति यात्रा सामूहिक पर्यटन आदि परंतु ब्रिटेन के इन प्रकारों में स्थानीय स्तर पर धार्मिक परिवर्तन कहीं पीछे छूटता जा रहा है।

उपयुक्त परिपथ में रामनगर परिपथ के अंतर्गत आने वाला एक पर्यटन परिपथ दरभंगा है जो यहां के महाराज रामेश्वर सिंह द्वारा निर्मित किला दरभंगा राज पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों के लिए अहम स्थान रखता है। उत्तर बिहार में बागमती नदी तट पर बसा दरभंगा जिला के अंतर्गत दरभंगा मधुबनी और समस्तीपुर आते हैं दरभंगा के विकास के आधुनिक परिवेश का विकास का काल मुगल व्यापारी और वहीं वार्ड शासकों के काल से देखा जाता है स्रोतों के अनुसार आर्यों की विधि शाखा ने मिथिला नगर की स्थापना की यहां धर्म और संस्कृत बहुत ही माननीय है, जिसका उदाहरण यहां के प्रमुख धार्मिक स्थल है। परंतु आधुनिक परिवेश के अंतर्गत संग रचनात्मक रूप से बदलते हुए पर्यटन संरचना में इन धार्मिक स्थलों की जगह आधुनिक इमारतों ने ले ली और यह स्थली मुश्किल से ही स्थानीय लोगों के बीच अपनी प्रसिद्धि बनाया हुआ है। इस प्रसिद्धि को क्षेत्रीय स्तर से उठाकर राज्य की सीमा से बाहर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है। और इसी क्षेत्र में बिहार के लिए सुनहरे अवसर के रूप में उगता हुआ सूरज इस्कॉन दरभंगा को देखा जा सकता है।

कृष्ण भावना मृत संघ एक परिचय

अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामय संघ की स्थापना ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा 13 जुलाई 1966 में न्यूयॉर्क में की गई थी जिसे हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से जाना जाता था। इसके अंतर्गत दुनिया भर के सैकड़ों संरक्षण और मंदिर (ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, यूके, इटली आदि) आते हैं।

वर्तमान आंकड़ों के अनुसार पूरे विश्व में इस्कॉन मंदिर की संख्या 800 है साथ ही भारत में इसकी संख्या 150 है। गुरु के प्रकाशन और हरे कृष्ण भजन का नाम करते हुए कृष्ण की चेतना का प्रसार करना इस समूह का प्राथमिक उद्देश्य है साथ ही इस्कॉन के अंतर्गत 1 लाख स्वयंसेवकों की श्रृंखला है जो लगातार विकसित हो रही है साथ ही दुनियाभर में मानवता के बहुआयामी कल्याण के उद्देश्य से कार्य करती है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, भूख, पर्यावरण, स्वास्थ्य और अन्य जनकल्याण क्षेत्रों में विकराल चुनौतियों का समाधान करना है। इस्कॉन संगठन वैष्णव बाद का अनुसरण करते हुए विकराल चुनौतियों का समाधान करना है। इस्कॉन संगठन वैष्णव बाद का अनुसरण करते हुए मानव कल्याण का कार्य करता है ।

इस्कॉन दरभंगा

इस्कॉन मंदिर दरभंगा बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण बलराम और राधा का मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना 1814 में दरभंगा राज के वंशज भुनेश्वर सिंह द्वारा किया गया है जिसे 2021 के मार्च महीने में इस्कॉन को समर्पित किया गया। पूरे उत्तर बिहार का यह प्रथम मंदिर है जिसे अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा ग्रहण कर मान्यता दी गई है। श्री राधा कृष्ण बलराम मंदिर जिसे इस्कॉन दरभंगा नाम से जाना जाता है। बिहार के राज्य के अंतर्गत दरभंगा जिले में न्यू कॉलोनी शुभंकरपुर वार्ड 8 महाराज जी पुल के पास दरभंगा टावर से 1.2 कि.मी की दूरी पर अवस्थित है।

दरभंगा इस्कॉन मंदिर की वास्तुकला

प्रकृति की गोद में बसा है मंदिर प्रांगण बिहार में वास्तुकला की अनुपम समृद्धि को बतलाता है। इस मंदिर का निर्माण कला नव वैदिक और पारंपरिक वास्तुकला का मिश्रण बतलाते हुए यहां के उत्कृष्ट कला समृद्धि को बतलाता है। इस मंदिर को विद्रोह के रूप में पहले मंजिल पर डिजाइन किया गया है जो बरामदा पटेल मैदान और स्तंभों से परिपूर्ण है। आम के बगीचों के बीच प्राकृतिक रूप से परिपूर्ण मिथिला का प्रसिद्ध बागमती नदी के तट पर प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित है जो मंदिर की शोभा बढ़ाती है। मंदिर की भव्यता उसके विशाल प्रांगण का स्वरूप दूर से ही देखा जा सकता है। मंदिर का आरंभ उसके प्रवेश द्वार से शुरू होता है। इसके अनोखी वास्तुकला का आरंभ इसकी जमीनी स्तर से ऊंचाई पर है अर्थात इस मंदिर की आधारशिला पहली मंजिल से होती है और भूतल पर गोलाकार गुंबद की तरह आने जाने के लिए रास्ता है।

मंदिर की सुंदरता का प्रतीक यहां की सीढ़ियों से ही आरंभ हो जाती है जो गोलाकार किसी भूल भुलैया जैसी प्रतीत होती है। इन सीढी को पार कर मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही एक बहुत बड़ा घंटा देखा जा सकता है जिसकी ध्वनि कि श्वर धन की गूंज बहुत दूर तक जाती है जो मन के साथ-साथ आत्मा को भी शांति देती है। इस प्रांगण को पार कर पटेल मैदान है जो चारों और से खंभे के सहारे घिरा है परंतु बहुत ही प्राचीन होने के कारण इसकी दीवारें कमजोर हो चुकी है। यहां से सीधे मंदिर का मुख्य हिस्सा आरंभ होता है जिसकी शुरुआत सुंदर रचना से परिपूर्ण खंभों से होती है। मंदिर की बाहरी सुंदरता को पीछे छोड़ते हुए प्रमुख हॉल में पहुंचने पर दाहिने और प्रभु श्रीला प्रभुपाद की छायाचित्र विराजमान है जहां भक्तों द्वारा इनकी पूजा की जाती है। इस हॉल के चारों और श्रीकृष्ण संबंधित आरतियां मंत्र और श्लोक के छायाचित्र को लगाया गया ह इस हॉल के बाहर और दाहिनी और 2 कमरे हैं।

स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां का एक कक्ष पुजारियों और दूसरा कक्ष भगवान था रसोईघर था जो कि अब रखरखाव में कमी और जर्जर ता होने के कारण रहने योग्य नहीं है। आगे बढ़ते हुए भव्य भगवान कक्ष है जिसकी सुंदरता इसके फर्श पर अंकुरित डिजाइन से शुरू होती है । भगवान कब्ज के ऊपर चित्रकारों द्वारा हस्त निर्मित चित्र को बनाया गया है साथी मंदिर से संबंधित कुछ प्राचीन जानकारियों को एक शिलालेख पर अंकित

किया गया है। मंदिर के भगवान कक्ष में यहां के पुजारियों और सदस्यों के अलावा किसी को जाने की अनुमति नहीं है परंतु यहां का दृश्य बाहर से ही मनोरम है जहां से प्रभु के दर्शन होते हैं। प्राचीन पत्थरों पर उकेरी कला से निर्मित आसन पर विराजमान मध्य भाग में श्रीकृष्ण दाएं और बलदाऊ और बाएं और श्री राधा का प्रतिमा विराजित है। प्रतिमा के पीछे लगी छतरी पर कृष्ण लीला से जुड़ी चित्र इसकी सुंदरता को बढ़ाता है यह पर्दा हर रोज अनेक लीलाओं का उपनिवेश करते हुए बदला जाता है।

मंदिर के प्रांगण में आगे और पीछे की ओर बढ़ते हुए नए रसोईघर का निर्माण किया गया जहां संभवत ही भगवान के भोग और महाप्रसाद का निर्माण किया जाता है साथ ही इस्कॉन संघ के सदस्यों के लिए आश्रय का तत्कालीन व्यवस्था है मंदिर के इस हिस्से में आम भक्तों का प्रवेश वर्जित है। मंदिर का आखरी पर आओ जो कि अपने आप में प्रमुख है वह है यहां की छोटी सी उपवन जो हमारी प्रकृति में हरियाली की महत्व को बतलाता है।

मंदिर के नियमित कार्यक्रम

प्रातः 4:30 से 5:30 तक मंगल आरती नरसिंह आरती तुलसी आरती तथा अन्य प्रार्थना।

प्रातः 7:15 से 9:00 बजे तक श्रृंगार दर्शन प्रभुपाद पूजा कथा श्रीमद् भागवत प्रवचन।

संध्या 7:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक संध्या आरती कीर्तन तथा भगवत गीता प्रवचन।

मंदिर मैं दर्शन का समय सुबह 7:15 से अपराहन 1:00 बजे तक और संध्या 4:15 से रात्रि 9:00 तक।

मंदिर सप्ताह के सभी दिन खुले होते हैं।

सामाजिक सेवा

यहां हर रविवार भक्तों के बीच महा प्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण होता है। कुवैत के समय जनकल्याण में सहयोग देते हुए इस्कॉन दरभंगा के सदस्यों के द्वारा जरूरतमंदों को भोजन के रूप में सहायता प्रदान की गई थी।

विशेषताएं

- यहां के भक्तों के लिए मंदिर के हॉल हमेशा खुले होते हैं जहां भक्त हरि नाम जप कर सकते हैं।
- प्रत्येक रविवार को विशेष अतिरिक्त कार्यक्रम होता है जहां संध्या 6:00 से 8:00 बजे तक कीर्तन आरती और प्रवचन तथा महा प्रसाद की व्यवस्था की जाती हइस्कॉन।
- हॉल में विभिन्न आरतीयो ओ की छाया चित्र ।
- इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद की पुस्तकें स्टॉल शनिवार और रविवार संध्या 4:00 बजे से लेकर रात्रि 9:00 बजे तक के लिए उपलब्ध रहता है।
- शनिवार और रविवार को संध्या 4:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक प्रसादम काउंटर जहां मिठाई नमकीन और समोसे होते हैं।
- हर संध्या आरती के बाद प्रसादम की व्यवस्था।
- नगर संकीर्तन।

उत्सव समारोह

रामनवमी नरसिंह जयंती जन्माष्टमी राधा अष्टमी एकादशी बलराम जयंती झूलन उत्सव रथयात्रा दीपोत्सव बैकुंठ नित्यानंद एकादशी गोरा पूर्णिमा इत्यादि।

निष्कर्ष:-

इस शोधपत्र से प्राप्त जानकारी बताता है बिहार एक संभावित पर्यटन स्थलों में धार्मिक स्थल के रूप में इस्कॉन प्रमुख स्थान बन सकता है। परंतु यहां की भवने बहुत ही प्राचीन और क्षतिग्रस्त है साथ ही यहां सुरक्षा और स्वच्छता का अभाव है। जिसकी रखरखाव का निजी स्थानीय निकायों द्वारा प्रयास किया जाता है परंतु इसे सरकारी संरक्षणता की भी आवश्यकता है। अतः सरकार को चाहिए की प्रत्येक क्षेत्र में भविष्य को देखते हुए अन्य स्थलों के साथ-साथ धार्मिक स्थलों का भी विस्तार करें तथा इससे संबंधित सुरक्षा और रखरखाव पर निर्णय करें।

वास्तव में किसी क्षेत्र राज्य या देश का विकास का सूचक उसके पर्यटन उद्योग के आधार और आकार पर निर्भर करता है बिहार में पर्यटकों की संख्या में इजाफा लाने के लिए सरकारी प्रयास किए गए हैं जिसके अंतर्गत प्रमुख पर्यटन सर्किट में परिवर्तन सुविधा का विस्तार होटल विशेषता बजट होटल विस्तार निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन वायु परिवहन का आरंभ जैसे अहम प्रयास शामिल है परंतु एक राज्य स्तर पर यह प्रयास जितना सफर लगता है उतना ही दरभंगा जैसे जिलों में यह जमीनी स्तर पर आज भी अभावग्रस्त ही लगता है मूलतः इस्कॉन जैसे धार्मिक स्थलों के लिए। पर्यटन के द्वारा एक राज्य और राष्ट्र स्तर पर मांग का उत्पादन बढ़ता है जिसके परिणाम स्वरूप उद्योग इस मांग को पूरी करने के लिए अधिक उत्पादन करते हैं और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है साथी वैश्विक मानकों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है।

अत: देश में बढ़ते धार्मिक पर्यटन के भविष्य को देखते हुए राज्य स्तर, जिला स्तर पर इस्कॉन जैसे धार्मिक स्थलों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए जो आने वाले कल में पर्यटन के क्षेत्र में उभरकर राष्ट्र की आय निर्मित करता है।

संदर्भ सूची

1. भक्ति आर्ट ऑफ ईटरनल लव।
2. कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति।
3. कृष्ण की ओर।
4. रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म।
5. पर्यटन सांख्यिकी पुस्तिका।
6. एसडब्ल्यूओटी एनालिसिस ऑफ इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एप्लीकेशन या इनोवेशन इन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट (आईजेएआईईएम), खंड 2, अंक 12, दिसंबर 2013 3 ।
7. पर्यटन और गरीबी में कमी के बीच, यात्रा अनुसंधान जर्नल, 47, 94-103 मोडेस्ट, एन.सी. (1995)।
8. बिहार राज्य, भारत में पर्यटकों के आगमन का अनुभवजन्य मूल्यांकन। क्रोज़, आर।, और वेनेगस, एम। (2008), संयोग और कार्य-कारण।

Chief Editor
Dr. R. V. Bhole
'Ravichandram' Survey No-101/1, Plot, No-23,
Mundada Nagar, Jalgaon (M.S.) 425102
Email- rbhole1965@gmail.com
Visit-www.jrdrvb.com

Address
'Ravichandram' Survey No-101/1, Plot, No-23,
Mundada Nagar, Jalgaon (M.S.) 425102